उन्नति विचार

वर्ष : 6 अंक : 4 अक्टूबर-दिसंबर, 2001

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
दलित आंदोलन:
डरबन से पहले और बाद में

आपके लिए 11
ग्रामीण राजस्थान में अस्पृश्यता के बारे में अध्ययन

अपनी बात
बनासकांठा जिले में दलित अधिकार के संदर्भ में समस्याएँ और आंदोलन 22

राजस्थान में दलितों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रयास 37

गतिविधियां 41

संदर्भ सामग्री 44

अपने बारे में 46

संपादकीय टीम:
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25/- रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संस्थान, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

डरबन सम्मेलन के बाद दलितों की स्थिति

स्वतंत्र भारत में दलितों की समस्याओं के समाधान हेतु कानूनी एवं प्रशासनिक स्तर पर बहुत प्रयास किए जा चुके हैं, परंतु सामाजिक समरसता के अभाव में उन प्रयासों का वांछित परिणाम नहीं निकला। भारत के दलित शोषण और भेदभाव के विषचक्र में फँसे रहे हैं और उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण यह है कि उन प्रयासों से समाज की चेतना नहीं जागी। उसी भाँति राज्य की निष्ठा भी जाग्रत नहीं हुई। 'संयुक्त राष्ट्र' के तत्त्वावधान में २००१ के उत्तरार्ध में दक्षिणी अफ्रीका के डरबन शहर में सम्पन्न हुए वंशवाद विरोधी सम्मेलन ने दलितों की अभिव्यक्ति तथा आवाज को एक राजनीतिक व सामुदायिक अवसर प्रदान किया है। डरबन सम्मेलन से पहले यह प्रश्न पूछा जाता था कि क्या दलित एक अलग वंश है या नहीं। इसके अतिरिक्त, ऐसा तर्क भी प्रस्तुत किया जाता था कि दलितों की समस्या सिर्फ भारत की समस्या है, उसके बारे में वैश्विक स्तर पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि डरबन सम्मेलन में इन दोनों मुद्दों की एक ओर रखकर चर्चा समाप्त हुई।

डरबन सम्मेलन ने दलितों की समस्याओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यक्त करने का एक अपूर्व अवसर प्रदान किया था। परंतु सम्मेलन में भारत सरकार के नकारात्मक रुख के कारण सहभागी देशों के प्रतिनिधि वहाँ काम और जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे के रूप में माने जाने की तैयारी प्रकट नहीं कर सके, यह एक दु:खद बात है। पर उसके परिणाम स्वरूप दलितों की अथवा भारत सरकार की दलितों के प्रति होने वाली अन्याय निवारण संबंधी प्रतिबद्धता जरा भी कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए। दलितों के अधिकारों का प्रश्न देश के सभी लोगों के मानवाधिकार के प्रश्न जितना ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय को दलितों के अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखकर यदि प्रयत्न किया जाएगा तो दलितों की समस्याएँ शीघ्र हल हो सकेंगी। ये प्रयत्न सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं, अपितु समाज स्तर पर भी होने चाहिए। इन प्रयत्नों के लिए दलित चेतना को और समग्र सामाजिक चेतना को जगाना होगा। दलितों के प्रति पूर्वाग्रह लोकमानस में घर कर चुके हैं और समानतापूर्ण विकास तथा सहभागी विकास के मार्ग में वे मजबूत अवरोध बन कर खड़े हैं। अपने मानवाधिकारों के निरंतर हनन से प्रेरित होकर दलित अपने मूल धर्म को त्याग रहे हैं, इस सच्चाई को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। अत: यह वांछनीय है कि राज्यसत्ता की लोक-मानस को बदलने की निष्ठा तथा विधायिका और दंडात्मक व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन ही डरबन सम्मेलन के बाद की कार्यवाही का भाग बने। वास्तव में यह भी राज्य का उत्तरदायित्व है कि अन्याय के प्रतिकार के लिए दलितों की क्षमता बढ़े। राज्य यह कार्य तभी कर सकेगा कि जब वह उसके लिए अनुकूल प्रशासनिक तथा न्यायिक कदम उठाएगा। इस प्रकार दलितों, गैर-दलितों और राज्य इन तीनों की सक्रिय और संयुक्त भूमिका ही दलितों को न्याय दिलाने के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित कर सकेगी।

दलित आंदोलन : डरबन से पहले और बाद में

दक्षिणी अफ्रीका के डरबन शहर में वंशवाद विरोधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हाल में ही समाप्त हुआ है। उसमें भारत के दलितों के मानवाधिकारों का सवाल उठाया गया था और विश्व मंच पर उसकी चर्चा हुई थी। उसी पृष्ठभूमि में यह लेख तैयार किया गया है, और इसमें दलितों की स्थिति, डरबन सम्मेलन और उसके बाद के प्रश्नों के बारे में चर्चा की गई है।

प्रस्तावना

सदियों से भारत में दलित समाज के लोग उच्च वर्ण के लोगों के अत्याचारों के शिकार बनते रहे हैं। सामाजिक तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में वे ठेठ नीचे की सीढ़ी पर हैं, क्योंकि उनके लिए विकास के अवसर अत्यंत अल्प अथवा सीमित रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान किये गये अस्पृश्यता निवारण के प्रयासों तथा स्वातंत्र्योत्तर संवैधानिक व्यवस्थाओं के कारण निश्चय ही थोड़ा सा गुणात्मक बदलाव आया है, फिर भी देश में, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में सामाजिक समरसता के अभाव के फलस्वरूप दलित अपने मूलभूत अधिकारों तथा मानवाधिकारों से वंचित रहते रहे हैं। सदियों से प्रचलित जाति प्रथा की पकड़ ढीली हो जाने पर भी इसने वर्तमान समाज में भी असमानता पैदा करने में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है, यह तो मानना ही होगा। अस्पृश्यता निवारण कानून, संबधित विविध कानूनों के विधायक प्रभाव दलितों की दशा में सुधार के संकेत अवश्य मिलते हैं, परंतु सामाजिक-आर्थिक असमानता और अपमान के शिकार तो दलित रोजाना ही बन रहे हैं।

गुजरात में 'नवसर्जन' संस्था ने ११ जिलों में सन् १९९० से १९९३ के दौरान दलितों पर हुए अत्याचारों का विस्तृत सर्वेक्षण हाथ में लिया था। इस सर्वेक्षण के परिणाम इस प्रकार हैं:

(१) दलितों पर अत्याचार की दृष्टि से ११ जिलों में ६० हत्याएँ, १ बाल हत्या और ४४ बलात्कार दर्ज हुए थे।
(२) अत्याचारों की कुल ४३५९ घटनाएँ दर्ज हुई, उनमें से ७२९ घटनाएँ गंभीर थी।
(३) अत्याचारों की सबसे ज्यादा वारदातें महेसाणा में १५.७८ प्रतिशत बनासकांठा में १५.३१ प्रतिशत और जूनागढ़ में १०.३१ प्रतिशत दर्ज हुई थी।
(४) १९९० में अत्याचारों की घटनाएँ ७०० थी, परंतु १९९३ में वे बढ़कर १३३३ हो गई थी।

इस सर्वेक्षण को आठ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी इस परिस्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन आने की जानकारी नहीं है। ऐसी परिस्थिति मात्र गुजरात में ही हो, ऐसी बात नहीं है। भारत के सभी अंचलों में देश की जनसंख्या के लगभग १४ प्रतिशत दलित अस्पृश्यता सहित कई अत्याचारों के शिकार बनते हैं। इस सत्य को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि जीवन निर्वाह का अधिकार, समान सामाजिक भागीदारी संबंधी महिलाओं के अधिकार, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, भूमि एवं श्रम का अधिकार, सुरक्षा के साथ जीवन यापन का अधिकार, इत्यादि अधिकारों से देश भर के दलित अधिकांशतः वंचित हैं।

ऐसे समय में डरबन सम्मेलन हुआ। उसमें दलितों को समस्याएँ उठाने के प्रयास किए गए। ये प्रयास दलितों के प्रति अत्याचारों के विरुद्ध आवाज तथा साथ ही साथ उनके प्रति किए गए जाने वाले भेदभाव के विरुद्ध अभिव्यक्ति के रूप में किए गए। भारत के दलितों के संबंध में आनंद की बात यह है कि उनकी आवाज सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, वरन् अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी संगठित रूप में प्रस्तुत हुई है।

'राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार आंदोलन' दलितों की वर्तमान दशा के बारे में चेतना जगाता है तथा राज्य से न्याय माँगने का काम करता है। इसने डरबन सम्मेलन में दलितों के अधिकारों का सवाल उठाने का काम किया है। इस आंदोलन से संबंधित विवरण दो तालिकाओं में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। दिनांक १०.१२.१९९५ को स्थापित इस

आंदोलन ने दलितों के अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दिलाने का प्रभावी प्रयास किया है। डरबन सम्मेलन में भी इसने इस प्रश्न पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकृष्ट किया है।

दलितों की समस्या अंतरराष्ट्रीय मंच पर

'संयुक्त राष्ट्र' (युनाइटेड नेशन्स) के द्वारा १९९४ से २००३ के दशक को वंशवाद एवं भेदभाव समाप्ति के तीसरे दशक के रूप में घोषित किया गया था। अगस्त-सितंबर, २००१ के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा दक्षिण अफ्रीका में आयोजित वैश्विक सम्मेलन इस दशक को समारोह पूर्वक मनाने के एक भाग के रूप में था। पूर्व में सन् १९७८ और १९८३ में इसी विषय पर सम्मेलन संपन्न हुए थे। इस अवसर पर पहली बार काम और जाति पर आधारित भेदभाव को ध्यान में रखते हुए जाति पर आधारित भेदभाव के प्रश्न को वंशवाद विरोधी विश्व सम्मेलन की कार्यसूची में शामिल किया गया था। पिछले दो वर्षो से 'राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार आंदोलन' द्वारा जबरदस्त प्रयास किया जा रहा था कि दलितों की समस्याओं को इस सम्मेलन में समावेश किया जाए।

इस विश्व सम्मेलन से पूर्व 'राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार आंदोलन' के पास अपने कई ठोस ध्येय थे। परंतु अनेक ध्येय तो इस विश्व सम्मेलन की पूर्व तैयारी स्वरूप आयोजित बैठकों के दौरान ही सिद्ध हुए थे। ये ध्येय निम्नानुसार थे:

१. दलितों की समस्याओं को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान प्रदान करना।
२. नेटवर्क खड़ा करके तथा समान विचारधारा वाले समूहों, कार्यकर्ताओं और दुनियाभर के अग्रणी व्यक्तियों के साथ एकता स्थापित करके जाति आधारित भेदभाव की समस्या को वैश्विक समस्या के रूप में ध्यान में लाना।
३. जाति प्रथा के कारण रंगभेद जैसी ही जो अमानवीय परिस्थिति पैदा हो जाती है, उसको प्रकाश में लाना।
४. दलितों के अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दिलाना।

डरबन सम्मेलन के अंत में जो घोषणा की गई, उसमें काम तथा वंश के आधार पर उत्पन्न होने वाली भेदभाव संबंधी बात को शामिल नहीं किया गया, यह भारतीय दलितों तथा समग्र दक्षिणी एशिया के दलितों के लिए एक आघातजनक घटना है। परंतु डरबन सम्मेलन में और उसके कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दलितों के अधिकारों और उनकी वास्तविक स्थिति के संबंध में जो चिंताएँ व्यक्त हुई, वे महत्त्वपूर्ण हैं।

यूरोपीय संसद का सम्मान

दलित समूह इस यथार्थ से खुश है कि काम तथा वंश के आधार पर जाति आधारित भेदभाव अब अधिक से अधिक वैश्विक चिंता का विषय बनता जा रहा है। हाल ही में मानव अधिकारों संबंधी अपने प्रतिवेदन में यूरोपीय संसद - यूरोपीय संघ और उसके सदस्य राज्यों पर दक्षिणी एशिया और अन्यत्र तथा भारत के २५ करोड़ लोगों पर प्रभाव डालने वाले व्यापक जातिगत भेदभाव के संदर्भ में आवाज उठाने के लिए अनुरोध करती है तथा जातिवाद विरोधी सम्मेलन के संदर्भ में विनती करती है कि जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के अमानवीय व्यवहार को जातिवाद विरोधी वैश्विक सम्मेलन के घोषणापत्र एवं आसन्न कार्यक्रम में समाहित करे तथा भारत में अस्पृश्यता के व्यवहार और जातिगत भेदभाव को समाप्ति में उसकी नीतियां किस हद तक योगदान देती हैं, इसकी छानबीन करने के लिए यूरोपीय संघ का आह्वान करती है।

इस सम्मेलन में दलितों की समस्याओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.), यूनेस्को, 'संयुक्त राष्ट्र' मानवाधिकार कमिश्नर सुश्री मेरी रोबिन्सन, दक्षिण अफ्रिका के राष्ट्रपति थोबो एम्बेकी, दक्षिणी अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला तथा 'संयुक्त राष्ट्र' के महासचिव कोफी अन्नान आदि का सहयोग मिला, यह इस सम्मेलन की एक उल्लेखनीय परिणति है।

भारत सरकार ने इस सम्मेलन में ऐसा रुख अख्तियार किया था कि जाति (कास्ट) वंश (रेस) नहीं है, अतः डरबन सम्मेलन में जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे का समावेश नहीं होना चाहिए। साथ ही उसका दूसरा तर्क यह था कि भारतीय दलितों की समस्या भारत का आंतरिक मामला है अतः उसको अंतरराष्ट्रीय फलक पर ले जाने और वहाँ चर्चा किए जाने की जरूरत नहीं है। वैसे, ये दोनों तर्क निराधार थे और उन्हें कोई ज्यादा समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। भारत में ही अनेक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक नेताओं, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं, दलित

अनुच्छेद ७३

डरबन सम्मेलन के अंतिम घोषणा पत्र में से जिस अनुच्छेद ७३ को छोड़ दिया गया था, उसका सम्पूर्ण पाठ इस प्रकार है:

काम और वंश आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने और उसके निवारण हेतु उचित पुष्टिकारक कदमों समेत समस्त संवैधानिक, कानूनी तथा प्रशासनिक कदम उठाए जाएँ और सभी स्तरों पर सभी राज्यों के सत्ताधिकारी इन कदमों का आदर करें और क्रियान्वयन करें, ऐसा सुनिश्चित किया जाए।

नेताओं और आम दलितों ने भारत सरकार के इस रुख का जबरदस्त विरोध किया था। यद्यपि डरबन सम्मेलन के अंत में होने वाली घोषणा में तीन अनुच्छेदों के संबंध में विवाद रहा। उनमें से एक था काम और वंश आधारित भेदभाव संबंधी अनुच्छेद, जिसका भारत सरकार विरोध कर रही थी। राजनीतिक सौदेबाजी के एक भाग के रूप में अन्य दो अनुच्छेदों के साथ इस अनुच्छेद को छाड़ दिया गया। वह अनुच्छेद ७३ यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है:

स्वैच्छिक संस्थाओं की कार्यवाही

वंशवाद विरोधी इस शिखर सम्मेलन के लिए स्वैच्छिक संगठनों के मंच द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की गई चर्चा-परिचर्चा के निष्कर्ष स्वरूप स्वैच्छिक संस्थाओं के मंच ने घोषणापत्र एवं ठोस कदम उठाने संबंधी कार्यक्रम का एक दस्तावेज तैयार किया था। उसके कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं।

घोषणा पत्र

१. एशिया प्रशांत तथा अफ्रीका के इलाकों में रहने वाले लगभग तीस करोड़ लोग जाति एवं वंश के आधार पर अस्पृश्यता समेत भेदभाव के शिकार बनते हैं। इस भेदभाव की जड़ें इतिहास में निहित होने के उपरांत वे धर्म तथा संस्कृति द्वारा मान्यता प्राप्त झूठी मान्यताओं और चिंतनधाराओं से जड़ बन गए है। स्वरूप से वे वंशानुगत होने से वे भेदभाव का शिकार बने लोगों के धर्म का पालन करते हैं।

२. दक्षिणी एशिया के २६ करोड़ दलितों 'अशुद्ध' एवं 'अपवित्र' जैसे विचारों से चित्रित करने वाली अस्पृश्यता की प्रथा की जड़ें जाति व्यवस्था में निहित हैं और वे दलितों को धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने अथवा धार्मिक उत्सवों में सहभागी बनने से रोकती हैं तथा शौचालयों की सफाई, मृत पशु की खाल उतारने, मृत पशु को ढोकर ले जाने, कब्र खोदने, झाड़ू लगाने जैसे गंदे एवं निम्न दर्जे के समझे जाने वाले काम उनके माथे लादती हैं तथा दलित स्त्रियों को देवदासी की प्रथा द्वारा मंदिर में चलने वाली परंपरागत वेश्यावृत्ति में धकेलती हैं।

३. दलितों के लिए दूसरों से अलगाव 'बहिष्कार तथा नए-नए नियंत्रण पैदा करने वाली प्रच्छन्न रंगभेद की प्रथा' जाति के आचरण में से उत्पन्न होती हैं। वह दलितों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकारों के उपभोग पर मनाही का फरमान देती है तथा दलितों को समस्त प्रकार की हिंसा के मुँह में धकेलती है। अलग आवास-व्यवस्था, अलग श्मशान-भूमि, चाय की दुकानों की अलग व्यवस्था, सार्वजनिक जल स्रोतों, रेस्टोरेंट या धर्मस्थलों से सहज संसर्ग पर मनाही, वैवाहिक चयन में बाधाएँ तथा अन्य हानिकर्ता भी लोगों की नजरों में चढ़ने वाली घटनाओं के रूप में प्रचलित यह व्यवस्था समान-मनुष्य के रूप में दलितों के विकास को अवरुद्ध करती है। इसका कारण यह है, कि यह सभी प्रकार का आचरण दलितों की समाजिक अंतः क्रियाओं तथा स्वच्छंद भाव से उनकी सहज अभिव्यक्ति को कुंद कर देता है।

४. सदियों से दलितों की पीढ़ियों के विरुद्ध किए जाने वाले जाति आधारित भेदभाव तथा अस्पृश्यता पालन द्वारा 'पीढ़ीगत तथा सांस्कृतिक दलित-निकंदन' की व्यवस्था पैदा हो गई है, जो सांस्कृतिक पद्धतियों एवं आचरण के द्वारा सदियों से दलितों की व्यक्तिगत पहचान, मानव गौरव और स्वाभिमान पर ज़बरदस्त कुठाराघात करती हैं।

५. दलित अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रोटी से कदम उठाने की चेष्टा करते हैं तो शक्तिशाली जाति के व्यक्ति या समूह, पुलिस या सरकारी तंत्र उनके घर जला देने जैसे विनाश, जमीन-जायदाद और खड़ी फसल का नाश, सामाजिक बहिष्कार दलित स्त्रियों के बलात्कार या सामूहिक बलात्कार

इत्यादि विविध हिंसात्मक कृत्यों के आचरण करते हैं और जब ऐसी घटनाएँ घटती हैं तो राज्य अधिकतर अत्याचारियों के सहयोग में रहकर उन्हें सजा से बचाने की कोशिश में रहते हैं।

६. काम, वंश तथा अस्पृश्यता समेत जाति के आधार पर भेदभाव के शिकार बनने वाले लोगों के विरुद्ध भेदभाव स्थायी बना रहे, ऐसा आक्रामक वातावरण बनने के पीछे कानूनी व्यवस्था तथा कानून का पालन करने वाले तंत्र को ऐसे लोगों की रक्षा कर पाने में निष्फलता उत्तरदायी है। ऐसा होने के पीछे राज्य का उत्तरदायित्व विशेष है क्योंकि बार-बार वह अपने ही कानून को भंग करता है।

कार्यलक्ष्यी योजना

१. जिस देश में, कौम, वंश या जाति के आधार पर भेदभाव भोगने वाले समाजों के प्रति भेदभाव को गिनने तथा उस भेदभाव की समाप्ति करने संबंधी कानून अस्तित्व में न हों, वहाँ यह देखना कि ऐसे कानून बनाए जाएँ। जिन देशों में भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून अस्तित्व में हैं, वहाँ राज्य अथवा राज्य के सेवकों द्वारा कानून उल्लंघन होता हो, तब भी यह सुनिश्चित करना कि उस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हो।

- ऐसे कदम उठाना जिनसे पारदर्शिता के साथ जाँचा जा सके कि ऐसे कानून का क्रियान्वयन होता है या नहीं।
- ऐसे तात्कालिक कदम उठाना जिनसे क्रियान्वयन सुनिश्चित करने संबंधी समयबद्ध कार्यक्रम बने।

२. जाति तथा अस्पृश्यता समेत काम व जन्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को 'मानवता के विरुद्ध गंभीर अपराध' के रूप में घोषित करना तथा विशेष रूप से समाज के बालकों एवं स्त्रियों के जीवन की सुरक्षा का विश्वास दिलाने वाले कानून अस्तित्व में लाना और उनका क्रियान्वयन करना। साथ ही साथ हिंसा, अत्याचार और इन समाजों के विरुद्ध हिंसा व भेदभाव उत्पन्न करने वाले उत्तेजक कृत्यों को अपराध ठहराना, गुनहगारों को फौरन दंड मिले, ऐसे द्रुत एवं प्रभावी कदम जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उठाना।

राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार आंदोलन

जाति आधारित भेदभाव मिटाने के लिए प्रतिबद्ध बुनियादी कार्यकर्ताओं, कार्मिकों, बुद्धिजीवियों आदि का मंच अर्थात् दलित मानवाधिकार आंदोलन । यह गैर-राजकीय और गैर-साप्रदायिक मंच है जो समाज के विविध स्तर के लोगों को साथ आने का अवसर देता है और इसका उदेश्य भारत में इतने सारे कानूनों, संवैधानिक व्यवस्थाओं तथा विविध कार्यक्रमों के अस्तित्व में होते हुए दलितों के प्रति जारी भेदभाव की ओर सम्पूर्ण विश्व का ध्यान आकृष्ट करना है, ताकि जाति आधारित भेदभाव समाप्त करने के कानूनों एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करने हेतु दबाव डाला जा सके।

दलित समस्या

भारत में १६ करोड़ और दक्षिणी एशिया में २४ करोड़ लोग, भले ही वे किसी भी धर्म को मानते हों, जाति आधारित भेदभाव के शिकार बने है। प्रचलित विविध राजकीय प्रभाव, न्यायतंत्र, संसद तथा अर्ध-न्यायिक संस्थाएं सभी इस सत्य को स्वीकार करती हैं कि संवैधानिक व्यवस्थाओं या कायदे - कानून के होते हुए दलितों के प्रति भेदभाव जारी रहा है अस्पृश्यता का पालन, घूमने फिरने पर प्रतिबंध, इच्छानुसार धंधा करने पर नाकेबंदी, जाति आधारित काम ही किए जा सकते हैं, ऐसी रूढ़िग्रस्तता, हिंसा तथा विविध कदमों के क्रियान्वयन के अभाव में यह भेदभाव प्रकट होता रहा है। क्रियान्वयन न होने का एक महत्वपूर्ण कारण पूर्वाग्रहयुक्त मानसिकता वाला सरकारी तंत्र का होना है।

राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार आंदोलन का ध्येय

१. जाति आधारित भेदभाव मिटाने हेतु प्रतिबद्ध संस्थाओं एवं व्यक्तियों को इससे संबंधित एक संयुक्त कार्यक्रम में साथ जोड़ना।
२. मौजूदा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानवाधिकार का संरक्षण करने वाले तंत्र के उपयोग द्वारा जाति आधारित भेदभाव समाप्त करने हेतु राज्य तंत्र तथा नागरिक समाज पर दबाव डालना।
३. ऐसे भेदभाव के खिलाफ लोकमत को निर्मित हेतु व्यापक जन जागृति कार्यक्रम हाथ में लेना है।

३. परंपरा से चली आ रही देवदासी प्रथा समाप्त हो तथा खेती योग्य भूमि, औजार, रिहायशी मकानों, लाभदायी रोजगार तथा शिक्षा जैसी आधारभूत जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा इन महिलाओं और इनके परिवार के पुनर्वास संबंधी प्रभावी कानूनी तथा अन्य कार्यक्रमों का पोषण करने वाले कदम यथा संभव शीघ्रातिशीघ्र उठाए जाएँ।

४. इन समाजों ने अपने शांत एवं नीरव श्रम के द्वारा राष्ट्र के निर्माण में ऐसा अनन्य योगदान दिया है कि जिसकी गणना तक नहीं हुई। उनके श्रम के शोषण के खिलाफ कानूनी संरक्षण निर्मित हो इसके लिए; उन्हें जीने योग्य वेतन मिलता रहे इसके लिए; बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी एवं सिर पर मैला ढोने की प्रथा के विरुद्ध उन्हें संरक्षण मिले इसके लिऐ उचित कानूनों का क्रियान्वयन हो, यह सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त उनके हाथ में जमीन का कब्जा आए और ऐसी जमीनें इस समाज की महिलाओं के नाम रजिस्टर में दर्ज हों, इस विश्वास के साथ भूमि-सुधार संबंधी कानून का क्रियान्वयन करना।

५. विशेष रूप से इस समाज की महिलाओं व अन्य लोगों के लिए वैधानिक समेत उच्च सरकारी सेवाओं, सरकारी प्रशासनिक पदों, न्यायतंत्र का क्रियान्वयन करने वाले तंत्र तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों समेत निजी क्षेत्र में प्रवेश संभव हो सके, इसके लिए धार्मिक बंधन के बगैर, पारदर्शी आरक्षण व्यवस्था और कार्यक्रमों का सृजन करना और इन कार्यक्रमों को मजबूत करना।

६. यह समाज, विशेष रूप से महिलाएँ जीवन निर्वाह, भूमि, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, स्वास्थ्य एवं रोजगार के अवसरों संबंधी अधिकार भोग सकें, यह सुनुश्चित करने हेतु पर्याप्त राशि के आवंटन पर ध्यान दिलाना तथा ऐसी उपलब्ध राशि का सम्पूर्ण व समुचित उपयोग हो, इसके लिए प्रभावी नियंत्रण-तंत्र स्थापित करना।

७. काम एवं वंश के आधार पर भेदभाव के शिकार बने लोगों की और दूसरों की वृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन आए तथा ऐसे समाजों के भीतर भी ऐसे परिवर्तन लाने योग्य प्रयत्नों को प्रोत्साहन देना, स्वैच्छिक संगठनों तथा सभ्य समाज के अन्य संगठनों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर जन जागृति फैलाने वाले तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम हाथ में लेना, साथ ही साथ यह देखना कि राज्य अपने बजट में इन कार्यक्रमों के लिए आवश्यक राशि आवंटित करे।

८. कानून तथा अन्य उचित पद्धतियों के द्वारा इन समाजों के विरुद्ध सदियों से किए जाने वाले कृत्यों के खिलाफ मुआवजे के कदम विकसित करना, ताकि यह समाज अपनी प्रकृति सर्जित भूमिका का अधिकारी बन सके, आर्थिक मुआवजा पा सके, पुनर्वास पा सके और इन कदमों से विश्वास भी बने कि फिर से ऐसी परिस्थिति का निर्माण नहीं होगा। शोषणजनक स्थिति फिर से खड़ी नहीं होगी।

९. 'संयुक्त राष्ट्र' यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक सभ्य देश संबंधित सिफारिशों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार अनुबंध के आधार पर बनी संस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार को प्रोत्साहन देने वाले उप आयोग द्वारा पारित प्रस्तावों का पालन करें तथा विश्व के विविध भागों में जाति तथा अस्पृश्यता सहित काम एवं जन्म के आधार पर भेदभाव झेलने वाली प्रजा की समस्याओं के अध्ययन के लिए संयुक्त राष्ट्र एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करे।

१०. संबंधित सरकारें और उनकी संसद 'संयुक्त राष्ट्र' की वंशगत भेदभाव समाप्ति समिति के समक्ष जाति एवं अस्पृश्यता सहित काम व जन्म के आधार पर उभरने वाले भेदभावों को समाप्त करने के उद्देश्य से स्वीकृत नीतियों व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का ब्यौरा प्रस्तुत करे, यह सुनिश्चित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाएँ दबाव डालने वाले कार्यक्रम हाथ में लें। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार की संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन सार्जजनिक हों, उन पर चर्चा की जाए इसके लिए सरकारों पर ऐसे सवैधानिक उत्तरदायित्व डालने योग्य कार्यक्रम हाथ में लेना।

डरबन सम्मेलन के पश्चात् क्या?

डरबन सम्मेलन आया और गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के

तथा दक्षिणी एशिया के दलितों की स्थिति के बारे में विचार प्रस्तुत किए गए। विविध स्तरों पर इस संबंध में जो चर्चा-परिचर्चा हुई, उससे दलितों के मानवाधिकारों के हनन के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता पैदा हुई है। इतना ही नहीं वरन् भारत में भी दलितों के प्रश्न को लेकर दलितों और गैर-दलितों में सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता में और भी वृद्धि हुई है।

दलितों के मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली अहमदाबाद की 'नवसर्जन' संस्था की सुश्री मंजुला बहन इस बारे में बताती हैं कि, वंशवाद विरोधी विश्व-सम्मेलन में विभिन्न बहानों द्वारा भारत सरकार ने दलितों के अधिकारों के खुल्लमखुल्ले हनन से बार-बार इनकार किया, इसके बावजूद उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों को भंग करने के रूप में पहचाना गया। यह उसके चेहरे पर भुखमरी से होने वाली मृत्यु के जैसा लगा हुआ प्रहार है। यह एक जानी-समझी सच्चाई है कि भुखमरी से दलितों समेत गरीब लोगों और आदिवासियों की मौतें होती हैं। अलबत्ता, भुखमरी से होने वाली मौत को हमारी आंतरिक समस्या माना जाता है, जिस प्रकार विविध जातियों के नागरिकों को होने वाले संसाधनों और अवसरों के असमान वितरण की समस्या को माना जाता है।

इस सम्मेलन के आयोजन से पहले ही कइयों ने यह प्रश्न पूछना शुरू कर दिया था कि 'डरबन के बाद क्या'? इसी भाँति सन् १९४७ में हम एक प्रश्न पूछते थे कि 'स्वतंत्रता के बाद क्या?' यह एक राष्ट्रीय विपत्ति है कि ५४ वर्षों की स्वतंत्रता और प्रजातांत्रिक शासन के पश्चात् हम इस पहले प्रश्न का उत्तर ढूँढ रहे हैं, इससे पहले ही यह दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है। हम किस प्रश्न का उत्तर पहले देंगे? अधिक बुरी बात यह है कि इस प्रश्न का उत्तर तलाशने का उत्तरदायित्व भी उसी समुदाय पर आ पड़ा है जो कि भेदभाव का शिकार है और इसे दुनिया को अपनी रामकहानी कहने की हिम्मत करनी पड़ रही है।

डरबन के आसन्न कार्यक्रम के संदर्भ में इसका उत्तर एकदम सरल है: जिनके प्रति भेदभाव हो रहा है, उन दुनिया भर के सभी समुदायों को एक समुदाय के रूप में संगठित होना पड़ेगा तथा 'संयुक्त राष्ट्र' में उनकी भी सत्ता है, ऐसी भावना बढ़ानी होगी। हमारी सरकारों के दंभ को हमें समझना पड़ेगा कि जो मात्र कुछ जातियों, वर्गों या वंशों के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साथ ही हमें अपने समुदाय में जागृति उत्पन्न करने वाली शिक्षा देनी पड़ेगी। अपने अधिकारों संबंधी संघर्ष को हमें और भी सघन बनाना पड़ेगा तथा उसके लिए वर्तमान कानून का उपयोग करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त न्यायतंत्र और नौकरशाही के पूर्वाग्रहों के विरुद्ध भी लड़ना पड़ेगा, भेदभाव के विरुद्ध लड़ने हेतु प्रतिबद्ध लोगों व संस्थाओं में जुड़ावट पैदा करनी होगी तथा अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए अंत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी होगी। जब हम सामाजिक परिवर्तन लाने के प्रयास करते हैं तो समाज के साधन-सम्पन्न वर्ग हम पर वंशवादी होने का आरोप लगाते हैं और उनका सामना करने के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा।

"और अंत में हमें अपनी समानता की लड़ाई को ऐसी सरकारी परिषदों से बाहर ले जानी पड़ेगी कि जिनमें मात्र अल्पविरामों, अर्द्धविरामों, पूर्णविरामों और कोष्ठक को लेकर सार्वजनिक व्यय के बहाने भारी चिंताएँ व्यक्त की जाती हैं।"

"परंतु क्या हम वंशवाद को समाप्त करने के ठेकेदार राष्ट्रों से कुछ प्रति प्रश्न पूछ सकते हैं? डरबन-सम्मेलन के एजेण्डा में जातिगत भेदभाव के समावेश का विरोध भारत इसी बहाने से कर रहा था कि उससे वंशवाद-विरोधी सम्मेलन का केन्द्र-बिंदु ही बदल जाएगा। उसने दलितों की समस्याओं पर अपना समर्थन वापस खींच लेने के लिए अन्य संस्थाओं पर दबाव डाला था। इसके अलावा इस सम्मेलन में उसका क्या योगदान रहा? भारत कहता है कि यह समस्या अपने घर-आंगन में ही बहुत विशाल है। क्या हम उससे यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि देश में १० लाख लोग सिर पर मैला ढोने वाले क्यों हैं, जिनमें से अधिकांश को तो सरकार ही वेतन प्रदान करती है? दलितों के ५० प्रतिशत बालक अधबीच में शाला क्यों छोड़ देते हैं? निजी सेनाओं के द्वारा होने वाली हिंसा को सरकार सहन क्यों करती हैं? विभिन्न कानूनों का क्रियान्वयन क्यों नहीं होता और अणु क्षमता होते हुए भुखमरी से मौतें क्यों होती हैं? क्यों हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाओं में विश्वास नहीं रखते?"

सुश्री मंजुला बहन यों कहती हैं कि "जाति के विशिष्ट संदर्भ में हमारी सरकार को डरबन सम्मेलन के उपरांत इस प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार आंदोलन की कार्यसूची

'संयुक्त राष्ट्र' के शिखर सम्मेलन की कार्यसूची का एक मुद्दा यह भी था कि वंश आधारित भेदभाव की समाप्ति संबंधी ठोस कार्यक्रम बनाया जाए। इस संदर्भ में राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार आंदोलन ने भारत के वर्तमान कानून की मर्यादा में रहते हुए विश्व की जानकारी हेतु निम्न कार्यसूची प्रस्तुत की थी:

१. भूमि-सुधार कानून का तात्कालिक क्रियान्वयन

यदि भूमि सुधार कानूनों का समुचित क्रियान्वयन हो तो दलितों को मिलने वाली जमीनों का मूल्य अभी तक उन्हें प्राप्त आरक्षण के लाभ तथा आने वाले १०० वर्षों के दौरान मिलने वाले लाभ की अपेक्षा कई गुना अधिक होगा। अतः भूमि सुधार कानूनों का तत्काल क्रियान्वयन होना चाहिए।

२. कृषि-मजदूरों हेतु समान राष्ट्रीय कानून

देश के अलग अलग राज्यों में कृषि मजदूरों हेतु अलग-अलग कानून हैं। खेत मजदूरों का न्यूनतम वेतन भी हर राज्य में अलग-अलग है, अतः कृषि मजदूरों के वेतन को नियंत्रित करने वाला समान राष्ट्रीय कानून बनाया जाना चाहिए।

३. सिर पर मैला ढोने की प्रथा की समाप्ति

स्वतंत्रता प्राप्ति के ५४ वर्षों के बाद भी अभी दलित सफाई कार्यकर्ताओं के सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा तत्काल समाप्त होनी चाहिए, और इस प्रथा का शिकार बने सफाई कार्यकर्ताओं का समुचित पुनर्वास होना चाहिए ।

४. सार्वत्रिक एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

आने वाले १० वर्षों में एक भी दलित बालक प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रहे, ऐसी अनिवार्य और सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षा की गारंटी।

५. दलितों के प्रति हिंसाचार की समाप्ति

दलितों के पर होने वाले अलग-अलग अत्याचार और हिंसाचार तत्काल बंद होने चाहिए ।

६. दलित महिलाओं का उत्थान

ऐसे आयोजन होने चाहिए जिनसे दलित महिलाओं को भी पुरुषों के समान विकास के अवसर मिलें।

७. न्यायतंत्र में आरक्षण का क्रियान्वयन तथा निजी क्षेत्र में उसकी माँग

न्यायतंत्र में अपर्याप्त आरक्षण क्रियान्वयन के कारण जो स्थान नहीं भरे गए, उन्हें तत्काल भरा जाए। सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण के अपर्याप्त क्रियान्वयन के कारण दलितों के रोजगार के अवसर घट रहे हैं। अब जबकि सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई है, तो निजी क्षेत्र में भी सार्वजनिक क्षेत्र की भाति आरक्षण लागू किया जाना चाहिए।

८. विश्व समाज तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को दलितों की समस्या पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत

डरबन के इस विश्व सम्मेलन ने पहली ही बार व्यापक स्तर पर सम्पूर्ण विश्व के समक्ष के जाति आधारित भेदभाव की तरफ विश्व-समुदाय का ध्यान आकृष्ट किया। भारत समेत दक्षिणी एशिया के जातिगत भेदभाव के शिकार बने २६० लाख लोग और ऐसे ही भेदभाव के शिकार विश्व के अन्य वँचित लोग अपनी समस्या प्रस्तुत करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। ऐसे में 'संयुक्त राष्ट्र' को इस वंश और काम आधारित भेदभाव का अध्ययन करने के लिए विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति करनी चाहिए।

देना होगा कि उसने दलितों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए कौनसी कार्यलक्ष्यी योजना बनाई हैं?"

उपसंहार

भारत में दलितों की दशा में स्वातंत्र्य आंदोलन के दौरान किए गए प्रयासों और स्वातंत्र्योत्तर कानूनी एवं प्रशासनिक प्रयत्नों की वजह से निश्चय ही गुणात्मक परिवर्तन आया है, लेकिन यह परिवर्तन पर्याप्त नहीं है। भारत के संविधान में की गई व्यवस्थाओं का लाभ दलितों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, और कभी भी नहीं, लेकिन अधिकांशतः इसका कारण निष्ठापूर्वक किए जाने वाले प्रयासों का अभाव रहा है। संविधान में निर्दिष्ट मूलभूत अधिकारों और राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों को दलितों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु व्यवहार में चरितार्थ करने के लिए अधिक ठोस और निष्ठापूर्ण प्रयासों की आवश्यकता हैं।

राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार आंदोलन के संयोजक श्री मार्टीन मेकवान ने अहमदाबाद में दिनांक ९-१२-२००१ को दिए गए प्रथम अंबेडकर स्मृति व्याख्यान में ऐसे ठोस कार्यक्रमों का विस्तार से उल्लेख किया

था। यहाँ उसके कुछ अंश दिए गए हैं:

१. भागीदारी और प्रभावोत्पादकता

सामाजिक आंदोलन के स्वरूप में आंदोलन जिस हद तक विविध परिस्थिति और कक्षा के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकेगा, उतने ही अंश तक वह अधिक प्रभावशाली बनेगा। विविध परिस्थिति हमारी समझ का भाग बने और उसके आधार पर कार्यक्रम बनाएँ, यही अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की सही पद्धति है। इस संदर्भ में उप-जाति पर आधारित संगठनों के उदय को विधायक तरीके से इन दिशा की और दूर दृष्टि न रखने वाले कदमों के रूप में गिना जा सकता है। सामाजिक आंदोलन दलित समाज की आधी से अधिक नारी शक्ति की भागीदारी के बिना किस तरह प्रभावशाली हो सकता है?

२. सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता के कार्यक्रम

जागरूकता हमेशा ही दलितों को आंदोलन के संदर्भ में मुक्ति और सत्ता की ओर ले जाती है। मुक्ति और सत्ता दोनों सतत चलने वाली और परिवर्तन के संदर्भ में बदलने वाली प्रक्रियाएँ हैं। यदि वह स्थायी बन जाए और उसके किसी एक विभाग को सम्पूर्ण मानकर हम संतोष का अनुभव करने लगें तो उसी क्षण से आंदोलन को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में ग्रहण करने की शुरूआत हो जाती है।

सामाजिक आंदोलन में लोगों की अर्थपूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इन दोनों क्षेत्रों में जागरूकता के कार्यक्रम निर्णायक हैं। यदि भागीदारी जागरूकता के आधार पर उत्पन्न नहीं होती तो वह मात्र प्रतिनिधित्व बनी रहती है। कार्यक्रम के संदर्भ में 'राजनीतिक' और 'सामाजिक' शब्द प्रयोग व्यापक अर्थ में है। व्यापक अर्थ में देखें तो जागरूकता के कार्यक्रमों की विषयवस्तु सर्वग्राही और संतुलित बन सकती है।

इस क्षेत्र में दलित साहित्य की उपयोगिता का कितना महत्त्व है, यह कहने की शायद ही जरूरत है। इस क्षेत्र में हमें सबसे अधिक बल लोक शिक्षण पर देने की जरूरत है ऐसे कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से चला सकें। यह फौज तैयार करना भी आंदोलन का एक ठोस कार्यक्रम है।

३. शोषण तथा भेदभाव समाप्त करने के ठोस कार्यक्रम

सदस्यों द्वारा भोगी जाने वाली शोषण, अन्याय एवं भेदभाव की परिस्थिति का निराकरण बताने वाले ठोस कार्यक्रमों के द्वारा ही प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। इस संदर्भ में निम्न कार्यक्रमों को हाथ में लेना अनिवार्य है:

(१) भूमि-सुधार कार्यक्रम: संबंधित उप कार्यक्रमों सहित

१. दलितों को हदबंदी तथा काश्तकारी-कानून के अंतर्गत आंवटित जमीन का कब्जा वस्तुत: मिले।
२. जहाँ हदबंदी अधिनियम के अधीन जमीनों का अधिग्रहण नहीं हुआ, ऐसी जमीनें ढूँढकर उनके अधिग्रहण एवं आवंटन में दबाव डालना।
३. हदबंदी वाली जमीनों के अधिग्रहण से संबंधित कानूनी विवाद समयबद्ध मर्यादा में निबटाये जाएँ और उनके क्रियान्वयन हेतु आयोजन व कार्यवाही हो।
४. परती जमीनों का नियंत्रण खाली हो और वे भूमिहीन दलितों को मिलें, इससे संबंधित कार्यवाही की जाए।
५. खेती में नयी शोध के आधार पर अधिक उत्पादन देने वाली टैक्नोलोजी से दलित खातेदारों को अवगत कराना।
६. खेती के लिए कम ब्याज पर वांछित राशि उपलब्ध कराना।
७. खेती हेतु सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान कराने की कार्यवाही करना।

(२) सिर पर मैला ढोने की प्रथा का अंत

१. मानव-मल की अयांत्रिक सफाई पर तत्काल मनाही करवाने संबंधी तात्कालिक कार्यक्रम।
२. अन्य स्वच्छता कार्यक्रमों में संलग्न कार्यकर्ताओं को स्थायी रूप से रोजगार मिले तथा उन्हें न्यूनतम वेतन चुकाया जाए, ऐसे कार्यक्रम।
३. अयांत्रिक साधनों के द्वारा मानव-मल की सफाई में संलग्न कार्यकर्ताओं को वैकल्पिक रोजगार हेतु प्रशिक्षण, स्व-रोजगार हेतु आर्थिक ऋण के साथ पुनर्वास।
४. गैर-कानूनी रूप से सरकारी एजेंसियों द्वारा ऐसे काम में उन्हें जहाँ रोका गया है, उन्हें बाद के प्रभावों के नुकसान का मुआवजा दिलाने संबंधी कार्यक्रम।

(३) न्यूनतम वेतन

१. असंगठित मजदूरों हेतु सर्वग्राही न्यूनतम वेतन संबंधी कानून अस्तित्व में आए, इससे संबंधित जरूरी कार्यक्रम।

२. जब मजदूर संगठित हों, तब सामाजिक बहिष्कार से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति के विरुद्ध संरक्षण देने हेतु सामाजिक सुरक्षा कोष बनाना।

३. स्त्री-पुरुष को नियमानुसार वेतन दिलाने जैसे कार्यक्रम।

४. मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम।

५. सम्पूर्ण रोजगार दिलाने संबंधी कार्यक्रम।

(४) शिक्षा

१. प्रत्येक दलित बालक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण पूरा करे, यह सुनिश्चित करने संबंधी जरूरी सभी कार्यक्रम हाथ में लेना।

२. सामाजिक आंदोलन तथा प्रति-विचारधारा की जड़ों का मजबूत बनाने योग्य वाचन सामग्री तैयार करने का कार्यक्रम।

३. विद्यालय में बालकों के बीच भेदभाव उत्पन्न करने वाली तमाम प्रथाओं को बंद कराने योग्य कार्यक्रम।

४. सभी वर्गो के बालकों को सच्चे अर्थ में 'दलित' अर्थात् सामाजिक न्याय के आधार पर समाज की नव-रचना के पथ-प्रदर्शक बना सके, इसके लिए दलित शिक्षकों का प्रशिक्षण।

(५) आरक्षण व्यवस्था

१. रोजगार तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण क्रियान्वयन।

२. निजी तथा न्यायिक क्षेत्र में आरक्षण प्रथा का क्रियान्वयन।

(६) हिंसा से सुरक्षा

१. हिंसा के विरुद्ध रक्षा व्यवस्था उत्पन्न करने संबंधी कानून-व्यवस्था के सख्त क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम।

२. आरोपी की सम्पत्ति की बिक्री द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्ति को मुआवजा चुकाने की माँग अमल में लाये जाने जैसे कार्यक्रम।

३. दलितों को अपने बचाव संबंधी प्रशिक्षण तथा संचालन मिलें ऐसे कार्यक्रम।

(७) महिला विकास

१. प्रति-विचारधारा को अर्थपूर्ण बनाने जैसे पोषण से लेकर विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने जैसे कार्यक्रम।

२. स्त्रियों के प्रति हिंसा रोकी जा सके, ऐसे सख्त कार्यक्रम।

३. दलित आंदोलन में सभी क्षेत्रों में महिलाओं की आधे से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो, ऐसे कार्यक्रम।

सामान्य प्रश्न खड़ा होता है कि यह कार्यक्रम कौन हाथ में ले? दलित आंदोलन में श्रद्धा रखने वाले, प्रति-विचारणा को मानने वाले सभी जो स्वयं भी भूमिका में हैं, वहाँ से यहाँ दर्शाए गए या अन्य जरूरी समझे जाने वाले किस कार्यक्रम में स्वयं योगदान दे सकते हैं, यह सुनिश्चित करके काम करना महत्त्वपूर्ण है। यह बात चाहे कितनी ही उत्तम करें, कार्यक्रम चाहे कितने ही श्रेष्ठ करें, परंतु उनके द्वारा मौजूदा अन्याय, शोषण या भेदभाव की दशा में विधायक परिवर्तन आता है, तभी यह समझा जा सकेगा कि हमने सच्चे मायनों में कार्यवाही की है।

दलितों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु उपरोक्त कदम और कार्यक्रम सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के साथ उठाये जाने चाहिए। सिर्फ राज्य के द्वारा कानूनी कदम उठाया जाएगा तो उससे कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा। वस्तुतः उसे सामाजिक चेतना का साथ मिलते रहना चाहिए। लगता है कि पिछले एक लंबे समय से उच्च वर्ण के लोगों में सामाजिक चेतना जगाने के कार्यक्रम लगभग दिखाई नहीं देते। ऐसे कार्यक्रम ही राज्य के प्रयासों को सबल बनाएँगे।

ग्रामीण राजस्थान में अस्पृश्यता के बारे में अध्ययन

अध्ययन का सम्पूर्ण विवरण 'विचार' के आगामी चार अंकों में चार लेखों में प्रकाशित होगा। ये लेख निम्नानुसार विविध मुद्दों के विषय में होंगे:

(१) विभिन्न क्षेत्रों में अस्पृश्यता की व्याप्ति के विविध स्वरूप एवं प्रकार ।

(२) दलित महिलाओं की स्थिति ।

(३) दलितों की आजीविका और विशेष रूप से अस्वच्छ व्यवसायों की स्थिति ।

(४) दलितों पर हो रहे अत्याचार।

प्रस्तुत लेख प्रथम मुद्दे से संबंधित है। 'ऐक्शनएड' द्वारा प्रेरित अखिल भारतीय अध्ययन के भाग रूप में यह अध्ययन हो रहा है। यह लेख 'उन्नति' के **श्री हितेन्द्र चौहान** के द्वारा तैयार किया गया है।

प्रस्तावना

समकालीन भारत में दलितों का वर्ग सामाजिक अधःपतन के निरंतर चालू रहने वाले उत्तराधिकार का बोझा ढो रहा है। जीवन की गुणवत्ता या आर्थिक कल्याण संबंधी किसी भी मानदंड की दृष्टि से वे सामान्यतया सबसे निम्न स्तर पर हैं। भारत के तमाम पिछड़े हुए वर्ग में सिर्फ वे ही सदियों से चली आ रही अस्पृश्यता-प्रथा का विशिष्ट बोझ उठा रहे हैं ।

१९९१ की जनगणना के अनुसार राजस्थान मे दलितों की आबादी ७६,०७,७२० है, जो कुल ४,४०,०५,९९० जनसंख्या का १७.२९ प्रतिशत है। भारत के आँकड़े लगभग १४ प्रतिशत के आसपास है। परंपरागत दृष्टि से राजस्थान सामंतशाही तंत्र वाला समाज है, जिसमें पितृ सत्तात्मक परिवार व्यवस्था है। राजस्थान का इतिहास उसके वीर योद्धाओं और अद्‌भुत किलों तथा उसकी विशिष्ट संस्कृति एवं परंपराएँ न दिखने जैसी अथवा प्रतीकात्मक हैं या फिर दलितों और महिलाओं जैसे समाज के निश्चित वर्गों के सामाजिक पिछड़ेपन का संकेत दें ऐसी हैं।

दलितों की वर्तमान परिस्थिति के बारे में अनेक विरोधाभास विद्यमान हैं। समाज का एक वर्ग यह मानता है कि वैश्वीकरण तथा बाजारोन्मुखी अर्थतंत्र की लहरों ने अस्पृश्यता के व्यवहार को समाप्त कर डाला है जबकि दूसरा वर्ग मानता है कि अस्पृश्यता अब भी एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है, जो ज्यादा से ज्यादा विशाल होती जा रही है। सिर्फ इसके स्वरूप और रास्ते बदले हैं। फिर, विविध प्रदेशों में अस्पृश्यता के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। इसी भाँति छोटे-बड़े गाँवों में उसके अलग-अलग प्रमाण के बारे में सूचना नहीं मिलती।

इस संदर्भ में 'उन्नति' ने ग्रामीण राजस्थान में अस्पृश्यता की स्थिति के बारे में एक अध्ययन हाथ में लिया। 'ऐक्शनएड इंडिया' द्वारा अधिग्रहीत एक राष्ट्रीय अध्ययन का यह एक भाग है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:

(१) ग्रामीण भारत के विविध भागों में अस्पृश्यता की समस्या और व्यवहार की वर्तमान स्थिति के बारे में अनुभवाश्रित सबूत प्राप्त करना तथा उनके निष्कर्षों के व्यापक प्रचार-प्रसार द्वारा सभ्य समाज और राज्य अंतरावलोकन करे, इसके लिए प्रयत्न करना।

अध्ययन के गौण उद्देश्य निम्न हैं:

(२) दलितों के प्रचलित अस्वच्छ व्यवसायों के बारे में परिस्थिति का अध्ययन करना।

(३) राज्य के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में दलितों और गैर-दलितों की बस्ती में भेदभाव विद्यमान है या नहीं, इसे देखना।

(४) अस्पृश्यता के व्यवहार का कारण दलित महिलाओं पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ के बारे में छानबीन करना।

(५) अत्याचार विरोधी कानून के बारे में जागरूकता तथा इस संबंध में राज्य तंत्र की प्रतिक्रिया ज्ञात करना।

अस्पृश्यता की स्थिति का अर्थ है कि अपवित्र हो जाने की मान्यता के कारण खास व्यक्ति अथवा वस्तु के स्पर्श को टाला जाए। कालांतर में शारीरिक सम्पर्क टालने का व्यवहार अदृश्य हो गया हो, ऐसा संभव है। परंतु मेघवाल, हरिजन, साँसी, रैगर आदि जाति के लोगों

तालिका संख्या १
गाँवों का क्षेत्रवार विभाजन

क्षेत्र	जिला	तहसील	गाँव	कुल आबादी	दलितों की आबादी
मारवाड़	गंगानगर	सूरतगढ़	१४ STB-B, ५ SD, ठुकरानन	२,९८३	८०४
		घड़साणा	३ STR, २४ A5-C,	९,९७१	३,६६४
		भादरा	३ NTR, १६ AMS, ७ BHD	१,०२३	१२९
	जैसलमेर	जैसलमेर	मोहनगढ़	६,६३६	१५१
		पोकरण	प्रतापपुरा	३११	४१
	नागोर	लाडनूं	निपानी	५९२	४०
		नावां	हीरानी, भूनी	५,१८६	९९७
		जायल	खाटूकलां, जायल	१७,३४५	३,०२५
मेवाड़	सिरोही	शिवगंज	पालड़ी	४,५१६	८४०
		रेवदर	दोलपुरा	२,२८७	२,०५९
	डूंगरपूर	डूंगरपूर	शिशोद	३,६२२	१२४
		आसपुर	बोरीगामा, छोटा	१,९५८	४२७
	उदयपुर	कोटड़ा	समीजा	९५३	४४
		गिरवा	बेड़वास, नाई	७,४९२	६१४
		देवगढ़	लासाणी	३,६३२	९१९
हाड़ौती	बुंदी	बूंदी	भरताबावड़ी	६७२	१२२
		केशोराय-पाटन	अरणेठा	३,३०७	९६१
	झालावाड़	झालरा-पाटन	नपाणिया गुजराई	४१७	६३
		अकलेश	मदनपुरा	६७३	४०
		गंगधार	डाग	९,६०७	१,९११
	सावाई माधोपुर	टोडाभीम	खिरखिरी, शहेरखार	२,८२५	६०९
		हिंदोजा	जगर, ढिंडोरा, सुरोठ, मंदवाडा	२५,४२८	१०,३८३
		बामणवास	राधेकी	५८७	४१
शेखावाटी	भरतपुर	डीग	जानूथार	४,९०५	९९३
		पहाड़ी	कांचनेर	१,१६४	४२
		बयाना	महमदपुरा, ब्रह्मवाड़	१०,४०७	२,९५९
	सीकर	लक्ष्मणगढ़	नेछवा	५,५३१	१,४९७
		सीकर	सुजानपुरा	१,२८३	१७५
		श्रीमाधोपुर	फूटाला	१,८८६	४०
	जयपुर	चौमू	जालिमसिंह का वास, नांगल, कोजू	३,९४८	८८
		आमेर	अछोजाई, चिरारा, सुंदरपुरा	१,५५०	१४३
		सिकराय	गीजगढ़, टोरड़ा, सिकंदरा	२१,१८८	३,८६३
नमूने के कुल गाँव				**१,६३,८८५**	**३९,१६८**
राजस्थान				**४,४०,०५,९९०**	**७६,०७,८२०**
प्रतिशतता				**०.३७**	**०.५१**

तालिका संख्या २

क्रम	भेदभाव	१	२	३	४
१.	सस्ते अनाज की दुकान में प्रवेश	२	६८	६	२४
२.	डाकघर से टिकेटें आदि खरीदना	०	५४	४	४२
३.	डाकिये से पत्र लेना	६	६८	८	१८
४.	सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र	२	५४	८	३६
५.	व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य की देखभाल	४	५४	४	३८
६.	स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का बस्ती में सम्पर्क	२	६२	१०	२६
७.	पुलिस स्टेशन में प्रवेश और समान व्यवहार	१६	३८	८	३८
८.	पुलिस स्टेशन में बैठने, पीने के पानी की अलग व्यवस्था	१४	३८	१०	३८
९.	मतदान केंद्र में प्रवेश	०	९४	२	४
१०.	मतदान के दौरान अलग कतार	०	९४	२	४
११.	मतदान के दौरान मतदान हेतु अलग समय	०	९४	२	४
१२.	सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग	०	४४	२	५४
१३.	सार्वजनिक वाहन में बैठने या खड़े रहने की अलग व्यवस्था	०	४४	२	५४
१४.	पंचायत में प्रवेश	०	९०	४	६
१५.	पंचायत में बैठने की व्यवस्था	८	७४	१२	६
१६.	विद्यालय में बैठने की अलग व्यवस्था	६	८२	१०	२
१७.	विद्यालय में सहभोजन	५६	२२	२०	२
१८.	विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था	१४	६८	१२	६
१९.	दलित तथा गैर-दलित शिक्षकों के मध्य संबंध	२४	५०	२४	२
२०.	दलित शिक्षक और गैर-दलित विद्यार्थी के बीच संबंध	८	६६	१८	८
२१.	गैर-दलित शिक्षक और दलित विद्यार्थी के बीच संबंध	८	६६	१८	८
२२.	दलित विद्यार्थी और गैर-दलित विद्यार्थी के बीच संबंध	२८	५०	२०	२

१. व्यवहार २. व्यवहार नहीं ३. स्पष्टता नहीं ४. लागू नहीं पड़ता

के प्रति भेदभावजनक भाव और व्यवहार जारी है, जिन्हें परंपरागत दृष्टि से अस्पृश्य जाति माना जाता है।

इस अध्ययन में हमने सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में शारीरिक अस्पृश्यता के व्यवहार पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया है । इनमें अस्पृश्य कही जाने वाली जातियों को सार्वजनिक सेवाएँ उपयोग में लाने से इनकार किया जाए, उनका भी समावेश होता है। हमने, उच्च वर्ग के लोगों द्वारा दलितों के प्रति जो घृणापूर्ण मानसिक व्यवहार किया जाता है, उसकी उपेक्षा नहीं की, परंतु हम इस पहलू के बारे में पूरा दावा नहीं करते, क्योंकि यह इस अध्ययन के कार्यक्षेत्र से बाहर की बात है।

इस अध्ययन में मुख्य बात ऐसी है कि जो व्यवहार पसंद किया गया है, वह ऐसा हो कि जो ग्रामीण समुदाय में अस्पृश्यों के जीवन से दिन-प्रतिदिन संबंध रखता हो। हमने ऐसी विविध विधियों को स्पर्श करने का प्रयत्न किया है, जो श्रद्धा, व्यवसाय, शिक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के साथ संबंधित हों। इस प्रकार अवलोकनों को भी सार्वजनिक और निजी विभागों में विभाजित किया गया है।

पद्धति

यह अध्ययन एक व्यक्तिगत अवलोकनों के द्वारा किया गया मानव जाति का वर्णन संबंधी अध्ययन है । इसमें पूरक पद्धति के रूप में साक्षात्कार, निश्चित मुद्धों के बारे में समूह चर्चाओं, सहभागी

तालिका संख्या ३

भेदभाव	मारवाड़ (%)				मेवाड़ (%)				हाड़ौती (%)				शेखावाटी (%)			
	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४
सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रवेश	०	४७	०	५३	०	१००	०	०	८	३३	०	५८	०	५३	२७	२०
पुलिस स्टेशन में प्रवेश, समान व्यवहार	१३	४०	२०	२७	०	५०	०	५०	१७	४२	०	४२	२७	२७	७	४०
मतदान केन्द्र में अलग लाइन	०	१००	०	०	०	१००	०	०	०	७५	८	१७	०	१००	०	०
पंचायत में प्रवेश	०	८०	१३	७	०	८८	०	१३	०	९२	०	८	०	१००	०	०
शाला में समूह भोजन	६०	२७	७	७	३८	३८	२५	०	५८	८	३३	०	६०	२०	२०	०
शाला में पेयजल की व्यवस्था	१३	६०	१३	१३	०	८८	१३	०	१७	६७	८	८	२०	६७	१३	०

ग्रामीण मूल्यांकन इत्यादि पद्धतियों का उपयोग किया गया है । केस-स्टडीज के द्वारा निष्कर्षों की पुष्टि की गई है । हरेक गाँव में शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन कार्य किया गया । उनमें मुख्यतया एक महिला और एक पुरुष थे। ये शोधकर्ता चार से सात दिनों तक गाँव में रहे । इन शोधकर्ताओं के लिए तीन दिनों की अभिमुखता कार्यशाला रखी गई थी । इस समग्र प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे, इस दृष्टि से हमने एक सलाहकार समिति का भी गठन किया था ।

नमूना

सभी १० राज्यों में नमूने तय करने में एक ही पद्धति अपनाई गई है । ५० गाँवों के विभाजन के चयन हेतु दो मापदंड अपनाये गए:

(१) ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र-हमारी धारणा यह है कि अस्पृश्यता का व्यवहार इस क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग है और और वह रीति-रिवाज, आर्थिक परिस्थिति तथा इतिहास के अनुसार बदलता है।

(२) दलितों की बस्ती । दलितों की न्यूनाधिक बस्ती के अनुसार अस्पृश्यता का व्यवहार बदलता है, ऐसी धारणा रही है।

राजस्थान को मारवाड़ (पश्चिम और वायव्य क्षेत्र), मेवाड़ (दक्षिण और नैऋत्य) हाड़ौती तथा शेखावाटी (वायव्य और पश्चिम क्षेत्र) नामक चार क्षेत्रो में विभाजित किया गया है। सन् १९९१ की जनगणना के अनुसार गाँवों का इस प्रकार बँटवारा किया गया, यथा - मारवाड़ में दलितों की आबादी २२,३२,४९५ है, जो राजस्थान की कुल दलित आबादी ७६,०७,८२० की लगभग ३० प्रतिशत के करीब है। अत: हमने कुल ५० गाँवों के ३० प्रतिशत गाँवों को, अर्थात इस क्षेत्र से १५ गाँवों को चुना है।

दूसरे, हमने प्रत्येक क्षेत्र में से सन् १९९१ की जनगणना के अनुसार दलितों की महत्तम, लघुतम और औसत आबादी वाले तीन जिले चुने हैं। इन तीन जिलों की दलित आबादी के मुताबिक गाँव चुने

तालिका संख्या ४

भेदभाव	मेवाड़ (%)				हाड़ौती (%)				शेखावाटी (%)			
	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४
सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रवेश	५	६५	५	२५	०	५६	११	३३	०	३३	८	५८
पुलिस स्टेशन में प्रवेश और समान व्यवहार	१०	६०	०	३०	२२	१७	११	५०	१७	३३	१७	३३
मतदार केन्द्र में अलग लाइन	०	९०	५	५	०	१००	०	०	०	९२	०	८
पंचायत में प्रवेश	०	१००	०	०	०	८९	६	६	०	७५	८	१७
शाला में समूह भोजन	६५	१५	२०	०	५६	२२	२२	०	४२	३३	१७	८
शाला में पेयजल की व्यवस्था	२०	७०	५	५	६	८३	११	०	१७	४२	२५	१७

तालिका संख्या ५

क्रम	भेदभाव	१(%)	२(%)	३(%)	४(%)
१.	दुकानों में प्रवेश	१२	५६	२०	१२
२.	दुकानें में वस्तु का क्रय-विक्रय	६	७८	६	१०
३.	नाई के यहाँ हजामत	२२	३८	१६	२४
४.	कुम्हार से घड़ों की खरीद	२	७०	८	२०
५.	दर्जी द्वारा नाप लेना	२	७२	०	२६
६.	धोबी द्वारा कपड़े धोना	२	२४	१२	६२
७.	सुथार की सेवा	६	६८	६	२०
८.	निजी दवाखाने में प्रवेश	०	५४	१०	३६
९.	निजी दवाखाने में देखभाल	२	५४	४	४०
१०.	दलित द्वारा दूध की खरीद	१८	६०	६	१६
११.	सिनेमा हॉल	०	६	४	९०
१२.	होटल में दलितों का प्रवेश	१०	४२	८	४०
१३.	होटल में बैठने की अलग व्यवस्था	१२	४०	८	४०
१४.	होटल में अलग बर्तन	२०	२८	१२	४०
१५.	खेत में काम करते समय	३०	५८	१२	०

हैं। यथा पश्चिमी राजस्थान में हमने गंगानगर, नागौर तथा जैसलमेर जिलों का चयन किया । फिर प्रत्येक जिले में से तीन तहसीलें भी इसी तरीके से चुनी गई । हमने कम से कम ४० दलितों की आबादी वाले गाँवों को चुना है ।

इस पद्धति से अधिकाधिक आबादी वाले २० दलित गाँव चुने गए, औसत आबादी वाले १८ चुने गए और लघुतम दलित आबादी के १२ गाँव चुने गए । इन गाँवो में दलितों की आबादी १.४८ प्रतिशत से ९०.०३ प्रतिशत के लगभग है, जबकि इन गाँवों में दलितों की कुल आबादी ४० से लेकर २९९८ के करीब है । अध्ययन में दलितों की कुल ३९,१६८ की आबादी को समेटा गया है, जो राजस्थान की कुल आबादी का लगभग ०.५१ प्रतिशत है । यह विवरण तालिका संख्या-१ में प्रस्तुत किया गया है ।

भेदभाव के क्षेत्र और स्वरूप

हमने भेदभाव को तीन व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया है ताकि भेदभाव में सभी स्वरूपों को समाविष्ट किया जा सके।

१. सेवाएँ

१.१. सरकारी स्वामित्व की तथा सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं की सेवा

यहाँ हमने ऐसी सेवाओं को ध्यान में रखा है जो सरकार के द्वारा सीधे-सीधे प्रदान की जाती हैं। सरकार द्वारा नियंत्रित सेवाओं का अर्थ यह है कि संस्था में सरकार द्वारा वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा। वह प्राथमिक शाला भी हो सकती है और पंचायत भी हो सकती है। इससे यह पता लगेगा कि सरकार की अपनी संस्थाओं में अस्पृश्यता का व्यवहार कितना विद्यमान है। ये संस्थाएँ हैं:

- सस्ते आनाज की दुकानों में प्रवेश
- डाकघर के टिकिटों आदि की खरीद
- डाकिये से डाक प्राप्त करना
- सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में प्रवेश
- दलित बस्ती में स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क
- पुलिस स्टेशन में प्रवेश और समान व्यवहार
- पुलिस स्टेशन में बैठने ओर पेयजल की अलग व्यवस्था

तालिका संख्या ६

भेदभाव	मारवाड़ (%)				मेवाड़ (%)				हाड़ौती (%)				शेखावाटी (%)			
	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४
दुकानों में प्रवेश	१३	५३	२०	१३	०	१००	०	०	२५	३३	२५	१७	७	५३	२७	१३
दुकानों में वस्तुओं का क्रय-विक्रय	७	६७	१३	१३	१३	८८	०	०	८	६७	८	१७	०	९३	०	७
नाई के यहाँ हजामत	१३	४०	७	४०	१३	६३	१३	१३	१७	३३	२५	२५	४०	२७	२०	१३
दर्जी द्वारा नाप लेना	०	६०	०	४०	०	१००	०	०	८	६७	०	२५	०	७३	०	२७
निजी दवाखाने में उपचार	०	५३	०	४७	०	८८	०	१३	०	४२	०	५८	७	४७	१३	३३
होटल में अलग बर्तन	१३	१३	१३	६०	१३	७५	१३	०	८	८	१७	६७	४०	३३	७	२०
खेत में काम करते समय	१३	८७	०	०	३८	६३	०	०	३३	२५	४२	०	४०	५३	७	०

तालिका संख्या ७

भेदभाव	मेवाड़ (%)				हाड़ौती (%)				शेखावाटी (%)			
	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४
दुकानों में प्रवेश	२०	५५	२५	०	११	६७	१७	६	०	४२	१७	४२
दुकानों में वस्तुओं का क्रय-विक्रय	१०	९०	०	०	६	८३	११	०	०	५०	८	४२
नाई के वहाँ हजामत	२५	६०	१५	०	२२	२८	२२	२८	१७	१७	८	५८
दर्जी द्वारा नाप लेना	५	८५	०	१०	०	७२	०	२८	०	५०	०	५०
होटल में बैठने की अलग व्यवस्था	२५	३०	१५	३०	२२	१७	१७	४४	८	४२	०	५०
खेत में काम करते समय	४०	५५	५	०	१७	६१	२२	०	३३	५८	८	०

- मतदान केन्द्र में प्रवेश
- मतदान केन्द्र में अलग कतार
- मतदान केन्द्र में मतदान के लिए अलग समय
- पंचायत घर में प्रवेश
- पंचायत घर में बैठने की अलग व्यवस्था
- शाला में बैठने की अलग व्यवस्था
- शाला में समूह भोजन
- शाला में पेयजल की व्यवस्था
- दलित और गैर-दलित शिक्षकों के बीच संबंध
- दलित शिक्षक और गैर-दलित विद्यार्थियों के बीच संबंध
- गैर-दलित शिक्षक और दलित विद्यार्थीयों के बीच संबंध
- दलित विद्यार्थी और गैर दलित विद्यार्थी के बीच संबंध

१.२ निजी व्यापारिक संस्थाओं की सेवा

इसमें गाँव में स्थानीय लोगों द्वारा प्रदत्त सेवाओं का समावेश किया गया है। इसमें मालिक का आर्थिक हित समाया रहता है। सरकार द्वारा इन संस्थाओं पर निगरानी रखी जाती है तथा सरकार की यह देखने की जिम्मेदारी है कि इन संस्थाओं में जाति आधारित भेदभाव विद्यमान न रहे। यह जानना मजेदार रहेगा कि एक ओर जब अपना आर्थिक हित और दूसरी और तथाकथित पवित्रता का भाव समाया रहता है तो गैर-दलित किस तरह व्यवहार करते हैं। ये सेवाएँ निम्न हैं:

- दुकानों में प्रवेश
- दुकानों में वस्तुओं का क्रय-विक्रय
- कुम्हार से घड़ा खरीदना
- दर्जी से नाप लेना
- धोबी से कपड़े धुलाना
- सुथार की सेवा
- निजी दवाखाने में प्रवेश
- निजी दवाखाने में इलाज

तालिका संख्या ८

क्रम	भेदभाव	१(%)	२(%)	३(%)	४(%)
१.	गैर-दलितों के घर में प्रवेश	७२	८	२०	०
२.	मंदिर में प्रवेश	५०	१८	३०	२
३.	दलितों द्वारा दूध की खरीद	१८	६०	६	१६
४.	वेतन के भुगतान के समय शरीर का स्पर्श	६	८६	८	०
५.	वेतन में भेदभाव	८	८४	८	०
६.	घर के निर्माण कार्य में दलित	६	७८	१०	६
७.	मुसाफिर के रूप में स्वतंत्रता	२	९६	०	२
८.	छतरी का उपयोग	०	९८	०	२
९.	साइकिल का उपयोग	०	९८	०	२
१०.	चप्पल का उपयोग	२	९६	०	२
११.	श्मशान यात्रा के दौरान	४	९२	२	२
१२.	विवाह-प्रसंग के दौरान	१२	८२	४	२
१३.	उत्सव के दौरान	४	९२	२	२
१४.	विवाह हेतु इजाजत अनिवार्य	२	९२	४	२
१५.	विवाह के दौरान आशीर्वाद लेना	२	९२	४	२
१६.	समूह भोजन	८६	६	८	०
१७.	नये-चमकीलें कपड़ों का उपयोग	०	९२	८	०
१८.	चश्मे का उपयोग / धूम्रपान	२	९२	६	०
१९.	गैर-दलितों के सामने खड़े रहना अनिवार्य	६	८२	१२	०
२०.	दलित स्त्रियों के प्रति गैर-दलित पुरुषों का व्यवहार	३०	३०	४०	०
२१.	दलित स्त्रियों के प्रति गैर-दलित स्त्रियों का व्यवहार	३२	२६	४२	०
२२.	महिलाओं के स्वयं-सहायता-समूहों की बैठकों में बैठने की व्यवस्था	८	१८	१८	५६
२३.	दलितों द्वारा वस्तुओं की बिक्री	३४	२६	२८	१२

तालिका संख्या ९

भेदभाव	मारवाड़ (%)				मेवाड़ (%)				हाड़ौती (%)				शेखावाटी (%)			
	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४
गैर-दलित के घर में प्रवेश	६०	२०	२०	०	१००	०	०	०	६७	०	३३	०	७३	७	२०	०
मंदिर में प्रवेश	५३	२०	२०	७	१३	३८	५०	०	५०	०	५०	०	६७	२०	१३	०
राहगीर के रूप में स्वतंत्रता	०	१००	०	०	०	८८	०	१३	०	१००	०	०	७	९३	०	०
समूह भोजन	१००	०	०	०	१००	०	०	०	७५	०	२५	०	७३	२०	७	०
दलित स्त्रियों के प्रति गैर-दलित पुरुषों का व्यवहार	१३	३३	५३	०	५०	२५	२५	०	२५	१७	५८	०	४०	४०	२०	०
दलित स्त्रियों के प्रति गैर-दलित स्त्रियों का व्यवहार	१३	२७	६०	०	५०	२५	२५	०	२५	१७	५८	०	४७	३३	२०	०
दलितों द्वारा वस्तुओं का विक्रय	४०	३३	२७	०	३८	५०	१३	०	२५	८	५०	१७	३३	२०	२०	२७

- दुग्ध केन्द्र से दूध खरीदना
- सिनेमा हॉल
- होटल में प्रवेश
- होटल में बैठने की अलग व्यवस्था
- होटल में बर्तनों का उपयोग
- परिवहन व्यवस्था का उपयोग
- वाहनों में प्रवेश और उपयोग का क्रम
- खेत में काम करते समय
- वेतन के भुगतान के समय शारीरिक स्पर्श
- वेतन में भेदभाव

२. विशेष क्रियाओं संबंधी चरण

ये कतिपय सामाजिक-सास्कृतिक व्यवहार हैं कि जो पवित्रता या अपवित्रता के विचार से सीधे जुड़े हुए हैं। वे कभी वर्चस्व के प्रतीक होते हैं तो कभी आर्थिक शोषण की क्रमबद्ध नीति भी होती है। मंदिर में प्रवेश या पूजा करने जैसे धार्मिक प्रसंग भी हो सकते हैं या विवाह के लिए स्वीकृति लेने का अनिवार्य सामाजिक रिवाज भी हो सकते हैं। ये निम्नानुसार हैं:

- गैर-दलित के घर में प्रवेश
- मंदिर में प्रवेश
- मकान के निर्माण कार्य में दलितों का काम

तालिका संख्या १०

भेदभाव	मेवाड़ (%)				हाड़ौती (%)				शेख़ावथी (%)			
	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४
गैर-दलित घर में प्रवेश	७५	१०	१५	०	७२	६	२२	०	६७	८	२५	०
मंदिर में प्रवेश	५५	१५	३०	०	३३	२८	३९	०	६७	८	१७	८
राहगीर के रूप में स्वतंत्रता	०	१००	०	०	६	८९	०	६	०	१००	०	०
समूह भोजन	९५	५	०	०	७८	६	१७	०	८३	८	८	०
दलित स्त्रियों के प्रति गैर-दलित पुरुषों का व्यवहार	३५	३०	३५	०	२८	३३	३९	०	२५	२५	५०	०
दलित स्त्रियों के प्रति गैर-दलित स्त्रियों का व्यवहार	३५	२५	४०	०	३३	२८	३९	०	२५	२५	५०	०
दलितों द्वारा वस्तुओं का बेचान	३५	३५	२५	५	२८	२२	३३	१७	४२	१७	२५	१७

तालिका संख्या ११

भेदभाव	१(%)	२(%)	३(%)	४(%)
पेयजल की सुविधा	२६	३०	४०	४
श्मशान या कब्रिस्तान	१४	७४	६	६
गौचर और तालाब में मच्छीमारी	६	६६	१२	१६
दलितों को सिंचाई की सुविधा	१०	४८	१२	३०

तालिका संख्या १२

भेदभाव	मारवाड़ (%)				मेवाड़ (%)				हाड़ौती (%)				शेखावाटी(%)			
	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४
पेयजल की सुविधा	३३	४७	१३	७	२५	१३	५०	१३	१७	३३	५०	०	२७	२०	५३	०
श्मशान या कब्रिस्तान	२०	६७	७	७	३८	३८	१३	१३	०	९२	८	०	७	८७	०	७
गौचर और तालाब में मच्छीमारी	७	७३	०	२०	०	६३	०	३८	०	६७	३३	०	१३	६०	१३	१३
दलित को सिंचाई की सुविधा	७	४०	७	४७	०	८८	०	१३	०	३३	२५	४२	२७	४७	१३	१३

तालिका संख्या १३

भेदभाव	महत्तम (%)				औसत (%)				लघुत्तम (%)			
	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४
पेयजल की सुविधा	४०	२५	३५	०	२२	२८	४४	६	८	४२	४२	८
श्मशान या कब्रिस्तान	२०	६५	१०	५	६	८३	०	११	१७	७५	८	०
गौचर और तालाब में मच्छीमारी	१०	५५	१५	२०	६	६७	११	१७	०	८३	८	८
दलितों को सिंचाई की सुविधा	१०	५०	२०	२०	११	४४	११	३३	८	५०	०	४२

- सार्वजनिक मार्ग के उपयोग की स्वतंत्रता
- सार्वजनिक मार्ग में छाते का उपयोग
- सार्वजनिक मार्ग में साइकिल का उपयोग
- सार्वजनिक मार्ग में चप्पल का उपयोग
- सार्वजनिक मार्ग पर श्मशान यात्रा
- सार्वजनिक मार्ग का विवाह हेतु उपयोग
- सार्वजनिक मार्ग का उत्सवों में उपयोग
- विवाह के लेने की मजबूरी
- विवाह के दौरान आशीर्वाद लेना अनिवार्य
- खुले में समूह में भोजन
- नए/चमकीले कपड़े पहनना
- चश्मे का उपयोग/ धूम्रपान
- गैर-दलितों के सामने अनिवार्य खड़े रहना
- दलित स्त्रियों के प्रति गैर-दलित पुरुषों का व्यवहार
- दलित स्त्रियों के प्रति गैर-दलित स्त्रियों का व्यवहार
- महिलाओं के स्वयं-सहायता समूह की बैठक में बैठने की व्यवस्था
- दलितों द्वारा वस्तुओं का विक्रय

३. सार्वजनिक संपत्ति व संसाधनों का उपयोग

वैसे देखें तो यह भी सरकार के द्वारा नियंत्रित है। परंतु परंपरागत दृष्टि से समुदाय उन पर अंकुश रखता है। वास्तव में, इस क्षेत्र में उपर्युक्त दोनों क्षेत्रों को समाहित किया गया है। ये भी सेवाएँ हैं, पर मानव निर्मित नहीं। दलितों द्वारा इनके उपयोग पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या किसी प्रकार के नियम होते हैं। हमने इसको दो कारणों से अलग दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया है। प्रथम

जीवन के लिए यह महत्त्वपूर्ण वस्तु है, जैसे पानी। और द्वितीय, जिसमें गैर दलितों का आर्थिक हित प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं, यथा - नाई दलित के बाल न काटे तो उसके आर्थिक हित को वह नुकसान पहुँचाता है, परंतु तालाब का उपयोग न हो तो उससे आर्थिक हित को क्षति नहीं होती है। कभी तो अस्पृश्यता का व्यवहार उसके हित को मदद भी करता है। इसमें निम्न मुद्दों का समावेश किया गया है:

- पेयजल की सुविधा।
- श्मशान या कब्रिस्तान की जगह।
- गौचर या मच्छीमारी हेतु तालाब।
- दलितों को सिंचाई की सुविधा।

यों देखें तो यह वर्गीकरण एक दूसरे में मिलता हुआ प्रतीत होता है। जैसे पंचायतों की बैठक में दलितों हेतु बैठने की अलग-अलग व्यवस्था हो। यह कई प्रवृत्तियों या सेवाओं के नियमों में हो सकता है। यह वर्गीकरण वस्तुतः कोई भेदभाव नहीं बताता परंतु भेदभाव के क्षेत्रों और रूपों को समझने, विश्लेषण करने तथा दस्तावेजीकरण करने के लिए उपयोग में लिये गया है। हमनें सूचना भी दो रूपों में दी है: क्षेत्रवार तथा बस्तीवार, क्योंकि दोनों दृष्टि से इसे देखने का महत्त्व है।

अवलोकन

हमने भेदभाव के ४० मुद्दों को देखने का प्रयत्न किया है, कि जो भेदभाव के लगभग सभी प्रकारों को समाहित करता है। ये अवलोकन निम्न श्रेणियों में दर्शाए गए हैं:

१. व्यवहार में है। सभी जातियों के द्वारा सभी दलितों के विरुद्ध हर समय अस्पृश्यता का आचरण किया जाता है।
२. व्यवहार में नहीं। किसी भी जाति के द्वारा किसी भी दलित जाति के विरुद्ध अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं होता।

तालिका संख्या १४

भेदभाव	मारवाड़ (%)				मेवाड़ (%)				हाड़ौती (%)				शेखावाटी(%)			
	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४
सरकारी स्वामित्व की तथा सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं की सेवाएँ																
शाला में समूह भोजन	६०	२७	७	७	३८	३८	२५	०	५८	८	३३	०	६०	२०	२०	०
शाला में दलित और गैर-दलित विद्यार्थियों के बीच का संबंध	१३	६७	१३	७	५०	३८	१३	०	२५	४२	३३	०	३३	४७	२०	०
पुलिस स्टेशन में प्रवेश और समान व्यवहार	१३	४०	२०	२७	०	५०	०	५०	१७	४२	०	४२	२७	२७	७	४०
निजी व्यपारिक संस्थाओं की सेवाएँ																
दुकानों में प्रवेश	१३	५३	२०	१३	०	१००	०	०	२५	३३	२५	१७	७	५३	२७	१३
नाई के यहाँ हजामत	१३	४०	७	४०	१३	६३	१३	१३	१७	३३	२५	२५	४०	२७	२०	१३
खेत में काम करते समय	१३	८७	०	०	३८	६३	०	०	३३	२५	४२	०	४०	५३	७	०
कतिपय प्रवृत्तियों के चरण																
गैर-दलित के घर में प्रवेश	६०	२०	२०	०	१००	०	०	०	६७	०	३३	०	७३	७	२०	०
मंदिर में प्रवेश	५३	२०	२०	७	१३	३८	५०	०	५०	०	५०	०	६७	२०	१३	०
समूह भोजन	१००	०	०	०	१००	०	०	०	७५	०	२५	०	७३	२०	७	०
सार्वजनिक सम्पत्ति-संसाधनों का उपयोग																
पेयजल की सुविधा	३३	४७	१३	७	२५	१३	५०	१३	१७	३३	५०	०	२७	२०	५३	०
श्मशान या कब्रिस्तान	२०	६७	७	७	३८	३८	१३	१३	०	९२	८	०	७	८७	०	७
दलितों को सिंचाई-सुविधा	७	४०	७	४७	०	८८	०	१३	०	३३	२५	४२	२७	४७	१३	१३

३. स्पष्ट नहीं है। इसमें-
- कई गैर-दलित कई प्रसंगों में या हमेशा व्यवहार करते हैं।
- कई दलित कई प्रसंगों में या हमेशा इसका अनुभव करते हैं।
- कहना मुश्किल है।
- व्यवहार को दिखाना नहीं, परंतु उनकी भावना और सजगता है। इसमें इस प्रत्येक श्रेणी के संबंध में सूचना एकत्रित की है परंतु सरलता के लिए 'स्पष्टता नहीं' श्रेणी में ही वे अवलोकन रखे गए हैं।

४. लागू नहीं होता। अर्थात गाँव में वह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(क) सेवाएँ

सरकारी स्वामित्व की तथा सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं की सेवा

इस संदर्भ में राजस्थान में किस प्रकार का चित्र प्रतिशतता की दृष्टि से विद्यमान है, उसे तालिका संख्या-२ में प्रस्तुत किया गया है। इस क्षेत्र में कुछ हद तक भेदभाव विद्यमान है, ऐसा कहा जा सकता है। मतदान केन्द्र जैसे स्थानों में तुलनात्मक नीति से भेदभाव कम है। वैसे, सार्वजनिक परिवहन सेवा, डाकघर आदि में तो भेदभाव बहुत ही कम है। 'लागू नहीं पड़ता' का बड़ा आंकड़ा यह दर्शाता है कि यह सेवा गाँव में उपलब्ध नहीं है।

सर्वाधिक चिंताजनक स्थिति सरकारी शालाओं में विद्यमान भेदभाव की है। लगभग २० प्रतिशत में यह स्पष्ट नहीं, परंतु दलित तथा गैर-दलित शिक्षकों के बीच और दलित तथा गैर-दलित विद्यार्थियों के बीच के संबंधों में यह समस्या विद्यमान है। यों कहा जा सकता है कि दो समान वर्गों के बीच अस्पृश्यता का व्यवहार अधिक है। विविध क्षेत्रों में भेदभाव के प्रतिशत संबंधी तथ्य तालिका संख्या-३ में दिये गए हैं। सभी क्षेत्रों में से हाड़ौती क्षेत्र में भेदभाव बहुत ज्यादा है और

सबसे कम भेदभाव मेवाड़ में विद्यमान है। पंचायत में और मतदान केन्द्र में ज्यादा भेदभाव नहीं है। यद्यपि मारवाड़ में कई मामले अस्पष्ट हैं। शालाओं की दशा ज्यादा चिंताजनक है। इसमें क्षेत्रों के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं दिखता महत्तम, औसत और लघुतम दलित बस्ती वाले गाँवों में कितने प्रतिशत भेदभाव विद्यमान है, यह बात तालिका संख्या-४ में प्रस्तुत है।

गाँव में दलितों की संख्या और भेदभाव की मात्रा के बीच हमें स्पष्ट सह-संबंध देखने में नहीं आया। उसमें पुलिस स्टेशन पर कम बस्ती वाले गाँवों में भेदभाव सबसे अधिक है और अधिक दलित बस्ती वाले गाँवो में वह सबसे कम है। जहाँ दलित बस्ती अधिक है, वहाँ शालाओं में भेदभाव कम है। परंतु दलितों की बस्ती कम हो, ऐसे गाँवों में 'लागू नहीं पड़ता' और 'स्पष्ट नहीं' जैसी श्रेणियों में प्रतिशत की मात्रा काफी है।

निजी व्यापारिक संस्थाओं की सेवा

इन सेवाओं में भेदभाव के प्रतिशतता संबंधी विवरण तालिका संख्या-५ में दिये गए हैं। इस तालिका से देखा जा सकता है कि सबसे अधिक भेदभाव खेती के काम में तथा नाई की सेवा में है। होटलों में भी भेदभाव दिखता है। बहुत से गावों में तो धोबी, होटल या सिनेमाघर हैं ही नहीं। प्रथम दो मुद्दों में भेदभाव को लेकर उल्लेखनीय अंतर देखने में आता है। १२ प्रतिशत गाँवों में दलितों को दुकानों में घुसने नहीं दिया जाता। परंतु मात्र ६ प्रतिशत गाँवों में ही क्रय-विक्रय भेदभाव विद्यमान है। यह बताता है कि गैर-दलित अपने आर्थिक हितों का बलिदान करने को तैयार नहीं, पर वे खास प्रकार का भेदभाव जताने से नहीं चूकते। विविध क्षेत्रों में यह भेदभाव कैसा है, यह बात तालिका संख्या-६ में दर्शाई गई है। हाड़ौती तथा शेखावाटी क्षेत्रों में इस प्रकार का भेदभाव सर्वाधिक है।

तमाम परंपरागत कामों मे सिर्फ नाई के काम में ही सबसे अधिक भेदभाव विद्यमान है। वस्तुतः शेखावाटी क्षेत्र में सिर्फ २७ प्रतिशत गाँवों में ही भेदभाव विद्यमान नहीं है। होटलों के मामलों में भी यह उतना ही सही है। निजी दवाखानों में बहुत भेदभाव नहीं, यह एक अच्छी बात है। यही बात महत्तम, लघुत्तम और औसत दलित बस्ती वाले गाँवों में किस तरह की है, यह तालिका संख्या-७ में दर्शाई गई है। यहाँ दलितों की आबादी और उनके प्रति भेदभाव की मात्रा के बीच सीधा संबंध दिखता है। जहां दलितों की आबादी अधिक है, वहाँ भेदभाव अधिक है। वैसे बहुत छोटे गाँवों में यह 'लागू नहीं पड़ता।' परंतु अस्पृश्यता का आचरण न हो, ऐसे आँकड़े भी यही परिणाम प्रकट करते हैं।

(ख) खास क्रियाओं संबंधी चरण

विविध प्रवृत्तियों के संदर्भ में दलितों के प्रति कैसा भेदभाव विद्यमान है, उसका प्रतिशत-प्रमाण तालिका संख्या-८ में दर्शाया गया है। समूह में भोजन तथा घर में प्रवेश इन दो बातों में सबसे अधिक भेदभाव देखने मे आता है। ये दोनों स्थल निजी हैं। किसी को घर में प्रविष्ट होने दें या नहीं और किसी के साथ भोजन करना या नहीं, ये वैयक्तिक व्यवहार की बातें हैं। इनसे यह भी प्रकट होता है कि लोगों का मानस कैसा है।

इससे यह भी ज्ञात होता है कि अन्य क्षेत्रों में कम भेदभाव का कारण उच्च वर्ग के लोगों पर आर्थिक या अन्य कारणों के पड़ने वाला दबाव है। अन्यथा वे तमाम मामलों में भेदभाव रखते हैं। मंदिर में भेदभाव व्यापक है, जो गाँव में पवित्र स्थान माना जाता है। फिर, दलितों से उच्च वर्ण के लोग वस्तुएँ खरीदना पसंद नहीं करते। विविध क्षेत्रों में इस भेदभाव की प्रतिशतता कितनी है, इसे तालिका संख्या-९ में दर्शाया गया है। यहाँ समूह में भोजन के संदर्भ में लगभग १०० प्रतिशत भेदभाव विद्यमान है। मंदिरों में तथा गैर-दलितों के घर में प्रवेश को लेकर भेदभाव भी बहुत ऊँचा है। क्षेत्र-क्षेत्र में इस भेदभाव की मात्रा अलग-अलग देखने में आती है। मेवाड़ में घर-प्रवेश के बारे में भेदभाव सबसे अधिक है, तो मंदिर-प्रवेश के बारे में वह सबसे कम है। महत्तम, लघुत्तम और औसत दलित आबादी वाले गाँवों में भेदभाव का प्रतिशत कितना है, इसे तालिका संख्या-१० में दर्शाया गया है। निजी व्यापारिक सेवाओं के संदर्भ में यहाँ स्पष्ट रुझान दिखाई नहीं देता। परंतु आँकड़े कुछ हद तक यों दर्शाते हैं कि अधिक दलित आबादी वाले गाँवों में भेदभाव अधिक है।

(ग) सार्वजनिक सम्पति संसाधन

राजस्थान में सार्वजनिक सम्पदा के उपयोग के विषय में बात करें तो

शेष पृष्ठ 36 पर

बनासकांठा जिले में दलित अधिकार के संदर्भ में समस्याएँ और आंदोलन

अहमदाबाद के 'बिहेवियेरल साइंस सेंटर' के प्रोजेक्ट मैनेजर **श्री दिनेश परमार** द्वारा यह लेख लिखा गया है। दलितों की क्षमता वृद्धि के क्षेत्र में इस संस्था के द्वारा बनासकांठा में किए गए कार्यो का यथार्थ वर्णन और उसके अनुभवों का विवरण इस लेख में दिया गया है।

प्रस्तावना

भारत देश में मानवीय अधिकारों के बारे में होने वाली चर्चाओं से दलितों को अलग नहीं रखा जा सकता। मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली अनेक संस्थाएँ हैं। मानवाधिकार को पहचान कर उसके साथ उसकी प्रक्रिया में शामिल होकर आंदोलन चलाना आज के समय की तात्कालिक आवश्यकता है। बिहेवियेरल साइंस सेंटर एक ऐसी संस्था है जो समाज के दबे-कुचले दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, शोषितों के साथ संगठन के माध्यम से सशक्तिकरण का काम करती है। संस्था के द्वारा बनासकांठा जिले में सन् १९९४ से आदिवासी समाज के साथ तथा सन् १९९९ से दलित समाज के साथ काम करने की शुरूआत की गई।

इस लेख में हम बनासकांठा जिले में दलितों के अधिकार के संदर्भ में जो समस्या है, उसके समाधान हेतु किए जाने वाले आंदोलनों को स्पर्श का प्रयत्न करेंगे। लेख को दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम भाग में दलित समस्याओं, मानवीय अधिकार, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार तथा कुछक घटनाओं का उल्लेख करेंगे, जबकि द्वितीय भाग में दलित आंदोलन के बनासकांठा जिले में दो उदाहरणों को विस्तारपूर्वक देखने का प्रयत्न करेंगे। इस संस्था द्वारा बनासकांठा जिले के वाव, थराद, धानेरा, वडगाम तथा पालनपुर में प्रारंभ में संगठनात्मक प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें बहुत से अनुभव हुए। यहाँ दलितों के मानवीय अधिकार छीन लिये गए हैं, अतः संगठन पर बल दिया गया। दलित महिलाओं के साथ अलग से संगठन पर बल दिया गया, क्योंकि वे आंतरिक और बाह्य दोनों स्थानों पर शोषण की शिकार होती थी।

मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा तथा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार

दलितों पर होने वाले लूट, हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़, घातक हमले, मारपीट, सामूहिक बहिष्कार आदि सामाजिक अन्याय के विकराल स्वरूप हैं। सामाजिक अन्याय अपनी हद पार कर जाते है, अर्थात् अति बन जाते हैं। इनको अत्याचार कहा जाता है, जो अन्याय की पराकाष्ठा में परिणत होते हैं। इन अन्यायों-अत्याचारों की राजनीतिक और आर्थिक ताकतें भी आश्रय देती हैं। पुलिस और समग्र न्यायतंत्र भी जातिवाद से ग्रसित होने के कारण दलितों को कोई न्याय नहीं मिलता, फिर भी इस तरह का हल्ला मचाया जाता है कि दलित अत्याचार-कानून अथवा अन्य कानूनों का दुरुपयोग करते हैं परंतु यथार्थ में भारतीय संविधान ने जो मानवाधिकार प्रदान किए हैं, उनमें से दलितों को कितने प्राप्त हैं, इस प्रश्न का उत्तर अपेक्षित है।

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार

- आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। (मार्गदर्शक सिद्धांत-३९ अ)
- १४ वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को १० वर्षों के दौरान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी (मार्गदर्शक सिद्धांत-४५)।
- अनुसूचित जाति, जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को विशेष ध्यान देकर प्रोत्साहन दिया जाएगा (मार्गदर्शक सिद्धांत-४६)।
- शिक्षा के अधिकार के विश्वास हेतु प्रभावी व्यवस्थाएँ करना (मार्गदर्शक सिद्धांत-४१)।
- भौतिक सम्पत्ति के स्वामित्व एवं नियंत्रण का आवंटन किया जाए (मार्गदर्शक सिद्धांत-३९ ब)।
- सम्पति और उत्पादन के साधनों का केन्द्रीकरण न होने पाए (मार्गदर्शक सिद्धांत-३९ क)।
- महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान काम का समान वेतन

मिले, इसका ध्यान रखा जाएगा (मार्गदर्शक सिद्धांत-३९ क)।

- कृषि मजदूर, औद्योगिक मजदूर तथा अन्य मजदूरों को काम, निर्वाह वेतन, उत्तम जीवन स्तर और आराम के समय के पूर्ण उपभोग के भरोसे वाले काम की परिस्थिति और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर मिलें, ऐसा सुनिश्चित करेगा (मार्गदर्शक सिद्धांत नियम-४३)।
- बेगार (बिना पारिश्रमिक सेवा या जबरन काम सौंपना) तथा अन्य स्वरूपों को प्रतिबंधित करेगा तथा अधिकारों का उल्लंघन दंडनीय होगा (मूलभूत अधिकार नियम-२३)।
- राज्य किसी नागरिक के लिए मात्र उसके धर्म, वंश, नस्ल जाति या जन्म के आधार पर दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट या मनोरंजन-स्थल, आम जनता के लिए खोले गए कुएँ, तालाब, नहाने के घाट, रास्ते या सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में बाधा, मुश्किलें या शर्तें खड़ी नहीं कर सकेगा (भारतीय संविधान धारा-१५-२)।
- अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसके आचरण को अपराध माना गया है (भारतीय संविधान धारा-१७)।
- व्यक्ति के जीने के अधिकार को छीना नहीं जा सकेगा। (भारतीय संविधान धारा-२१)।
- राज्य को अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए खास तरह की विशेष व्यवस्थाएँ करने का अधिकार हैं (भारतीय मूलभूत अधिकार धारा-१५-४)।
- महिला होने के कारण ही दुकानों, होटलों, सार्वजनिक कुओं, तालाबों, नहाने के घाट, रास्तों आदि पर आने-जाने-घूमने पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए (मूलभूत अधिकार धारा-१५)।
- राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय में मात्र महिला होने के कारण नौकरी प्राप्त करने में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए (मूलभूत अधिकार धारा-१६)।
- प्रत्येक नागरिक को स्त्री और पुरुष को एक समान नीति से कमाई के लिए साधनों के अधिकार का भरोसा (मार्गदर्शक सिद्धांत नियम-३९ ए)।
- स्त्री और पुरुष दोनों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु भरोसा (मार्गदर्शक सिद्धांत नियम-३९ ई)।
- नौकरी तथा कार्य-स्थल पर मानवीय सुविधाएँ प्रदान की जाएँ, साथ ही प्रसवकालीन अवकाश मिले (मार्गदर्शक सिद्धांत नियम-४२)।
- महिला के मान-सम्मान का उल्लंघन करने वाली हर तरह भी प्रवृत्ति को रोकना चाहिए (मूलभूत अधिकार धारा-५९ ए)।

वैश्विक घोषणा पत्र के अनुसार प्राप्त अधिकार

- प्रत्येक को आहार, पोषण, आवास तथा स्वास्थ्य रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सेवाओं समेत अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए और कल्याण के लिए पर्याप्त निर्वाह अधिकार रहेगा (धारा-२५)।
- तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण समेत कम से कम प्राथमिक और बुनियादी कक्षा तक प्रत्येक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। व्यावसायिक तथा उच्च शिक्षण सामान्यतया प्राप्य बनाया जाएगा और सभी लोग समान तरीके से इस शिक्षण तक पहुँच सकेंगे (मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा धारा-२६ तथा आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अंतरराष्ट्रीय अनुबंध धारा-१३)।
- प्रत्येक काम का रोजगार के मुक्त चयन का, काम की न्याय संगति व अनुकूल परिस्थिति का, बेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार रहेगा। (मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा धारा-२३ तथा आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अंतरराष्ट्रीय अनुबंध-६,७)।
- किसी को गुलाम या बंधक नहीं रखा जा सकेगा। (मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा धारा-४)।
- प्रत्येक को अपनी सम्पत्ति व्यक्तिगत और वह दूसरों के सहयोग में रखने का अधिकार होगा। एक पक्षीय स्तर पर किसी को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। (मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा धारा-१७)।
- प्रत्येक को अपने जीवन, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता का अधिकार है। (धारा-३)
- कानून के समक्ष किसी भी भेदभाव के बगैर सब समान हैं और कानून का समान संरक्षण पाने के हकदार हैं। (धारा-७)
- राज्य वंशीय भेदभाव की निंदा करते हैं और अविलंब उसे पूर्णतया समाप्त करते हैं (वंशीय भेदभाव समाप्ति संबंधी अंतरराष्ट्रीय अनुबंध धारा-१)।

उपर्युक्त भारतीय संविधान प्रदत्त अधिकारों तथा मानव अधिकारों

वैश्विक घोषणा संबंधी कुछेक धाराओं को हम देखें और उन्हें दलितों के संदर्भ में, विशेष रूप से बनासकांठा जिले के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पाते है कि वहाँ तमाम मानवाधिकारों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। भेदभाव तो स्थायी रूढ़ि बन गए हैं। इन भेदभावों में सार्वजनिक स्थानों पर पानी व चाय का गिलास अलग रखने, मध्याह्न भोजन में दलित बालकों को अलग बिठाने, रिहायशी भूमि व कृषि भूमि छीन लेने, पूर्णिमा, दूज या अमावस्या को दलितों को दूध-छाछ न डालने, बाल न काटने, सिर पर मैला ढोने की प्रथा, कृषि मजदूर रहने की प्रथा आज भी पुराने या नये रूप में जीवित है। परंतु दलित स्त्रियों से छेड़छाड़ या बलात्कार करते समय अस्पृश्यता उन्हें नहीं छूती।

ऐसी परिस्थिति में संस्था के द्वारा संगठित शक्ति तथा जागृति के काम से आज दलितों के हजारों वर्षों से छीने गए मानवीय अधिकारों के प्रति दलित जागृत होते हैं और अपने मानवीय हकों की माँग करते हैं तो दलितों पर अत्याचार होते हैं, और अत्याचार के डर से दलितों को मानवीय हक माँगना बंद कर देने का षड्यंत्र रचा जाता है। बनासकांठा जिले में पुलिस कार्यालय में दर्ज दलितों पर हुए अत्याचार संबंधी आंकड़े इस प्रकार हैं:

सात वर्षों में पुलिस कार्यालय में जो अत्याचार दर्ज हुए हैं, उनके अलावा बहुत सी ऐसी घटनाएँ हैं जो पुलिस कार्यालय तक पहुँचती भी नहीं और रोजाना के दमन और दलितों को गाँव में ही रहना है, ऐसा आश्वासन पाकर वे अपने अधिकार नहीं पा सकते। पिछले दो वर्षों की अवधि में जो घटनाएँ हुई हैं, उन पर थोड़ा दृष्टिपात कर लें।

अत्याचार के प्रकार	१९९५	१९९६	१९९७	१९९८	१९९९	२०००	२००१
हत्या	३	२	३	१	३	१	१
हत्या का प्रयास	१	-	२	१	१	७	१
क्रूरता	३	८	८	१३	३	-	-
बलात्कार	२	-	२	२	१	१	१
जालित बिगाड़	२	२	३	-	-	१	२
अन्य अत्याचार	१२७	१४०	१५७	१२५	१०५	८६	६१
कुल	**१३८**	**१५२**	**१७५**	**१४२**	**११३**	**९६**	**६६**

संस्था की व्यूह रचना

दलितों की समस्याएँ उठाने हेतु संस्था ने बनासकांठा जिले के दलितों का संगठन बनाने का निर्णय लिया। आंदोलन में महिलाओं और पुरुषों की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए तभी आंदोलन वांछित दिशा ग्रहण कर सकता है - संस्था की ऐसी दृढ मान्यता होने के कारण ही जिले स्तर के दलित संगठनों में सभी को शामिल किया गया। वर्तमान जिला स्तरीय संगठन की स्थिति इस प्रकार है:

क्रम	तहसील संगठन का नाम	सदस्य संख्या	कुल राशि रुपयो में
१	वाव तहसील दलित संगठन	२८५	३,१३५
२	थराद तहसील दलित संगठन	५१५	५,६६५
३	धानेरा तहसील दलित संगठन	३७८	४,१५८
४	वड़गाम तहसील दलित संगठन	८५०	९,३५०
५	पालनपुर तहसील दलित संगठन	३८७	४,२५७
	कुल	**२,४१५**	**२६,५६५**

जिला स्तरीय संगठन द्वारा दलित समस्याओं को दलित आंदोलन का रूप मिले, इसके साथ ही दलित महिलाएँ भी सक्षम बनें और अपनी मालिकी, सत्ता व नियंत्रण प्राप्त करें, इस उद्देश्य से प्रत्येक तहसील में दलित महिलाओं के बचत एवं ऋण मंडल बनाए गए हैं। बचत एवं ऋण के माध्यम से महिलाएँ अपनी समस्याओं पर चर्चा करें, समाधान खोजें तथा दलित आंदोलन में सहभागी बनकर आंदोलन चला सकें, यह मुख्य बात है। वर्तमान में प्रत्येक तहसील मंडल की स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम	बचत-ऋण मंडल का नाम	संबद्ध गाँव	सदस्य संख्या	कुल राशि रुपयों में
१	वाव विभाग दलित महिला बचत-ऋण सहकारी मंडल	४०	५८०	७४,०८०
२	थराद विभाग दलित महिला बचत-ऋण सहकारी मंडल	४२	३४०	६२,७३५
३	धानेरा विभाग दलित महिला बचत-ऋण सहकारी मंडल	४०	२३२	२३,४३२
४	पालनपुर विभाग दलित महिला बचत-ऋण सहकारी मंडल	४०	४४४	९४,८४४
५	वड़गाम विभाग दलित महिला बचत-ऋण सहकारी मंडल	५५	१,०००	३,७६,०००
	कुल	**२१७**	**२,५९६**	**६,३१,०९१**

बनासकांठा जिले में दलितों पर हुए अत्याचार की मुख्य घटनाएँ

(१) मोरीखा गाँव में दो दलितों की हत्या

बनासकांठा जिले की वाव तहसील के मोरीखा गाँव में दो वर्षों की अवधि में गैर-दलित गुंडों द्वारा दो दलितों की हत्या की गई है। भीमाभाई राठौड़ नामक दलित युवक की हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया गया है। दूसरे एक वाल्मीकि ईसाभाई छतराभाई की भी बेरहमी से हत्या करके उसे भी आत्महत्या का रूप दे दिया गया है। मृतक ईसा भाई के पिता छतराभाई और परिवार जनों ने दो वर्षों तक गाँव छोड़कर कलैक्टर कार्यालय में बैठे-बैठे सरकार के समक्ष न्याय की गुहार लगाई, लेकिन सरकार की तरफ से न्याय नहीं मिला, अतः आंदोलन चलाना पड़ा।

(२) गरामड़ी गाँव के दलितों पर अत्याचार

वाव तहसील के गरामड़ी गाँव में एक दलित का मकान ढहा कर वहाँ मंदिर बनाने के लिए गाँव के तमाम गैर-दलितों ने इकट्टे होकर ढोल पीटा था। और दलित का मकान ढहा देने पर वह दलित सपरिवार भाग कर पालनपुर कलैक्टर कार्यालय चला गया। इस केस में दलित कार्यकर्ताओं और जिले के पिछड़े वर्ग कल्याण अधिकारी की सक्रिय भूमिका से उस दलित परिवार की गाँव में वापसी संभव हुई।

(३) वासड़ा गाँव में फूलाभाई के परिवार पर जान लेवा हमला

धानेरा तहसील में वासड़ा गाँव में गाँव के लोग बहुत बड़ी संख्या में सरकारी जमीनें दबाकर खेती करते हैं। फिर भी फूलाभाई नामक दलित के परिवार का नियंत्रण हटाने के बहाने से तहसीलदार और पी.एस.आई. की उपस्थिति में जागिरदार ब्राह्मणों ने घातक हथियारों से हमला किया। फूलाभाई के परिवारजन गंभीर रूप से घायल हुए और बड़ी मुश्किल से बच पाए। फूलाभाई की भाभी के पेट पर वार लगने से दर्द के कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई। वर्तमान में यह दलित परिवार गाँव छोड़कर भटकता फिर रहा है।

(३) मियाल गाँव में अत्याचार

थराद तहसील के मियाल गाँव में जमीन हथिया लेने के लिए पूनमभाई और परिवारजनों पर पटेलों और रेबारियों ने कातिलाना हमला किया और अधमरी हालत में उन्हें फेंक दिया। इस केस में पुलिस ने मामले को आगे बढ़ने से रोकने के बहुत प्रयत्न किए थे, पर बनासकांठा जिला दलित संगठन के प्रयासों से अत्याचार विरोधी धारा के अंतर्गत केस दर्ज हुआ।

(५) भडथ के दलित की हत्या

डीसा तहसील के भडथ गाँव में ग्रामवासियों ने एक दलित की हत्या कर दी। यह परिवार गाँव से भागकर पालनपुर कलैक्टर कार्यालय के सामने आठ माह तक बैठा रहा। न्याय के लिए अनेक दलित नेताओं ने मेहनत की, फिर भी मात्र रहने के लिए जमीन दी गई। हत्यारों को कोई सजा नहीं हुई।

(६) धानेरा चुनाव एजेंट पर झूठा केस

धानेरा तहसील के रामपुरा गाँव में चुनाव एजेंट बने दलित को पीटा गया, झूठा केस चलाकर उसे लॉकअप में डाल दिया गया, केस वापिस नहीं लिया गया।

(७) धाणधा के दलित वकील की हत्या

पालनपुर तहसील के धाणधा गाँव में दलित समाज के जाने माने और वरिष्ठ वकील हीराभाई वारेचा की योजनाबद्ध तरीके से हत्या करके केस को आत्महत्या में दिखा दिया गया है। केस को दो पेशी में ही समाप्त कर दिया गया।

८. पेड़ागड़ा गाँव में रिहायशी भूमि के बारे में हमला

पालनपुर तहसील के पेड़ागड़ा गाँव में दलितों की साझी रिहायशी जमीन थी। उस पर गढवियों ने कब्जा कर लिया था। इस बारे में उनके साथ कब्जा खाली करने के लिए कहने जाते समय सुनियोजित तरीके से रात के अंधेरे में सामूहिक हमला करके पाँच दलितों को घायल कर दिया गया।

९. विरुणा गाँव में दलित व्यक्ति की हत्या

डीसा तहसील के विरुणा गाँव में दलित मूलाभाई रेबारी के यहाँ साथी के रूप में रहते थे। कामकाज में हुई बोलचाल में मूलाभाई के गले में फांसी डालकर हत्या कर दी गई।

१०. सोडापुर गाँव की दलित महिला पर बलात्कार की कोशिश

दांतीवाडा तहसील के सोडापुर गाँव की दलित महिला जमना पर गाँव के गुंडे ईसमा पटेल द्वारा नवरात्रि के आठवें दिन अकेलेपन का फायदा उठाकर बलात्कार की कोशिश की गई, ईसमा अभी जेल में हैं।

११. दलित युवक की शंकास्पद मृत्यु

पालनपुर तहसील के धाणधा गाँव का रमेशभाई नामक दलित युवा टैक्सी चलाकर अपना गुजारा चलाता था। उसकी बहन को गोस्वामी द्वारा भगाकर ले जाने पर तकरार हुई और तब से प्रायः रमेश को मार डालने की धमकी मिलती थी। तदुपरांत रमेश की लाश शंकास्पद हालत में प्राथमिक शाला के पिछले भाग में मिली थी।

१२. सप्रेडा गाँव की वादी जाति की महिला के साथ बलात्कार

वान तहसील के सप्रेड़ा गाँव की वादी (तुरी) जाति की दलित महिला पर गाँव के गुंडे तत्त्वों द्वारा बलात्कार किया गया। दरबार जाति का ईसम जेल में हैं।

१३. शेरा गाँव में दलितों के श्मशान का सवाल

धानेरा तहसील के शेरा गाँव की परती भूमि को साधन-सम्पन्न लोग कब्जा करके खेती करते हैं। दलित जिस भूमि का श्मशान के रूप में उपयोग करते हैं उस जमीन को भी रेबारी समाज के एक व्यक्ति ने दाब लिया। उसी समय धीराभाई नामक वयोवृद्ध दलित की प्राकृतिक मृत्यु होने पर उन्हें हिन्दु विधि से दफनाया गया। अगले दिन गैर-दलितों ने कफन और ऊपर रखे जाने वाले बरतन जला कर कब्र पर हल चला दिया। इस तरह दलितों को जीते-जी तो हैरान किया ही जाता है पर मरने के बाद भी इस तरह अपमानित होना पड़ता है।

संगठन की प्रक्रिया से दलितों में जागरूकता बढ़ी है, जिसकी वजह से जिले में दलितों की कोई भी समस्या खड़ी होती है तो वे उसे संगठन के पास लेकर आने लगे हैं। संगठन उनके पक्ष में खड़ा रह कर दलित आंदोलन के द्वारा उन्हें न्याय दिलाता है। इस आंदोलन में बहुत सारी अड़चनें आते हुए भी नया जानकर, समझकर व्यूह-रचनाएँ की जाती हैं। यहाँ हम आंदोलन के किस्सों को जरा बारीकी से देखेंगे।

छतराभाई वाल्मीकि के पुत्र की हत्या का मामला और उसमें हुआ दलित आंदोलन

बनासकांठा जिले की वाव तहसील के मोरीखा गाँव के छतराभाई वाल्मीकि के पुत्र ईसा की १२.५.२००० को गुंडा तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई। ईसा सोलह वर्ष का था। उसे फुसला कर बाजार (थराद) घूमने के बहाने उसके मित्र ईसा पीरा मुसलमान के साथ ले जाया गया था। तीन दिनों के पुलिस ने बाद ईसा की लाश गाँव के क्रिकेट मैदान के पास के पेड़ पर लटकी हुई दशा में छतराभाई को बताई थी। गाँव के सरपंच खेमा चौधरी से छतराभाई ने पुत्र के खोने की शिकायत उसी दिन कर दी थी, जिस दिन वह खोया था, परंतु सरपंच ने शिकायत नहीं करने दी थी। सरपंच ने पुलिस को लाश के बारे में जानकारी देकर बुलाया था। वे सरपंच की बात न मान करके पुलिस में शिकायत करने गए, परंतु पुलिस ने उसकी सिर्फ मौखिक बात सुनी थी। छतराभाई और खेमा चौधरी का मकान गाँव के मुख्य मार्ग पर पास-पास है। छतराभाई के घर के आसपास बहुत जमीन है। वह छतराभाई के कब्जे में होने से पिछले तीस वर्षों से यह जमीन लेने का झगड़ा खेमा चौधरी के साथ चल रहा था। सरपंच के ऊपर किसी को संदेह न हो, इसलिए ईसा के मित्र ईसा पीरा मुसलमान का उपयोग किया गया था।

न्याय प्राप्त करने की कोशिश और दलित संगठन की केस में जुड़ावट

छतराभाई ने स्थानीय पुलिस और स्थानीय नेताओं को मौखिक और लिखित रूप में बहुत निवेदन किया। वाव और थराद के चक्कर काटने के बावजूद एफ.आई.आर. में लिखवाये गए अपराधियों की धर-पकड़ नहीं हुई। तीन महिनों तक बहुत कोशिशें कर लेने के बावजूद उनको न्याय नहीं मिला। उल्टे सरपंच द्वारा उन पर शराब के तीन झूठे केस दायर किए गए। इससे थक-हार कर वे कलैक्टर कार्यालय पालनपुर में अपने परिवार और बकरियों के साथ हिजरत पर जा बैठे। इसके बाद उन्होंने जिले के स्थानीय दलित नेताओं के साथ मिल कर न्याय पाने के लिए गृह मंत्री, मुख्य मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, कलैक्टर आदि के समक्ष मौखिक व लिखित रूप में अनुरोध किया। इस प्रक्रिया को भी सवा वर्ष बीत गया और कोई न्याय नहीं मिला। आखिर उन्होंने बनासकांठा जिला दलित संगठन में लिखित व मौखिक रूप से न्याय पाने हेतु निवेदन किया। वैसे तो इस घटना के तीसरे दिन दलित संगठन के कार्यकर्ता छतराभाई के घर मोरीखा गये थे, परंतु जैसा कि प्रत्येक घटना में होता है, वैसे ही पहले लोग परंपरागत नेतागिरी में विश्वास करते हैं। छतराभाई ने भी संगठन की इस नयी नेतागिरी में विश्वास नहीं किया। संगठन के पास यह केस आने से उनके इस संघर्ष में सहभागी होने और न्याय दिलाने के लिए छतराभाई की दृढ़ता की भी छानबीन की गई। उसके बाद संगठन के द्वारा सभी स्थानों पर आवेदन पत्र भेजे गए, रूबरू साक्षात्कार किए गए। तदुपरांत पूरे केस का बारीकी से

दलित अत्याचार जागृति ज्योतियात्रा कुल ८८ गाँवों में घूमने के बाद थराद में आयोजित सभा में दलित नेताओं के अलावा श्री इन्दुकुमार जानी भी दिखाई दे रहे हैं।

अध्ययन करके मानवाधिकार आयोग को भी भेज दिया गया।

न्याय प्राप्त करने की विधियाँ

(१) वाल्मीकि समाज और अन्य दलित समाज के नेताओं के साथ पाँच बैठकें करके केस हाईकोर्ट में लड़ने की चर्चा की गई।

(२) पूरे गुजरात में पोस्टकार्ड लिखकर न्यायिक अभियान चलाने हेतु लघु पत्रिका छपा कर १४ अप्रैल को अहमदाबाद सारंगपुर में दलित नेताओं, कार्यकर्ताओं और संगठनों को पहुँचा दी गई।

(३) संगठन के द्वारा सरकार के गृह विभाग, मुख्य मंत्री को आवेदन पत्र दिए गए तथा मानवाधिकार आयोग दिल्ली को उसकी प्रतिलिपि भेजी गई।

(४) गुजरात के समस्त दलित पत्रों, साप्ताहिकों में अखबारी निवेदन देकर न्याय की अपील की गई।

(५) बनासकांठा जिले के स्थानीय अखबारों में प्रायः निवेदन करके केस को प्रकाश में लाने की कोशिश की गई।

(६) स्टार टी.वी., अल्फा टी.वी. और ए.एन.आई. जैसे इलैक्ट्रोनिक माध्यमों द्वारा केस को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई।

(७) गुजरात के दलित कार्यकर्ताओं के साथ अनेक बैठकें की गई तथा वाल्मीकि समाज के साथ व अन्य दलित समाज की जातियों के साथ बैठकें करके दलितों में अत्याचारों के बाबत जागृति फैलाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

दलित अत्याचार जागृति ज्योति यात्रा

छतराभाई के केस तथा दलितों पर होने वाले अत्याचार के बारे में जागृति फैलाने तथा पुलिस, न्याय तंत्र एवं राजकीय ताकतों की भूमिका के बारे में जागृति लाने के उद्देश्य से ज्योतियात्रा का आयोजन किया। बनासकांठा दलित संगठन की पाँच तहसीलों में से दलितों की प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। दलित कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। बनासकांठा की पाँच तहसील में से ८८ गाँवों में यह ज्योतियात्रा लेकर घूमने का आयोजन किया गया। विशेष रूप से जिस गाँव में दलितों पर अत्याचार हुआ हो, दलितों की आबादी जहाँ अधिक हो उस गाँव के लोग इस ज्योतियात्रा का स्वागत तथा अन्य व्यवस्था करने की तैयारी बताते हों, उन्हीं गाँवों में इस ज्योतियात्रा का मार्ग तय किया गया।

दिनांक १०.६.२००१ से १८.६.२००१ की दस दिवसीय समयावधि में एक दिन में दस गाँवों में यह ज्योतियात्रा घूमे, इस तरह दस दिनों में ८८ गाँवों का मार्ग तय किया गया। इस ज्योतियात्रा का एक उद्देश्य यह भी था कि दलितों की सभी जातियाँ अस्पृश्यता तथा अत्याचार की शिकार बनी हुई है, अतः वे एक हों, और संगठन के द्वारा न्याय के संघर्ष में सहभागी बनें, दलित बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े तथा संगठन-शक्ति मजबूत बनाकर अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम बनें, यह जरूरी था।

यात्रा की शुरूआत और पद्धतियां

इस ज्योतियात्रा की अगली रात बी.डी.एस. के कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, स्वयंसेवक व संचालक अशोकगढ़ पहुँच गए थे। रात को भीमरथ को सजाने तथा ज्योतियात्रा की तैयारी कर रहे थे तभी प्रचंड तूफान और वर्षा शुरू हो गई। बिजली भी नहीं थी, फिर भी पूरी रात सभी ने साथ मिलकर यह तैयारी की थी। एक ट्रक, मार्शल जीप, एक सादी जीप और पाँच मोटर साइकिलें रखी गई। जीप के आगे डॉ. बाबा साहब का पूर्ण कद का फोटो रखा गया था तथा ट्रक के दोनों और संस्थागत प्रवृत्ति की जानकारी वाले बड़े बैनर लगाकर ट्रक को 'भीमरथ' नाम दिया गया था।

इस जीप में दलित समाज संबंधी पत्रिकाएँ, पोस्टर, साप्ताहिक, मासिक, सरकारी योजनाओं की पुस्तिकाएँ आदि प्रत्येक गाँव में दी जा रही थी। ज्योति हमेशा जलती ही रहती थी। जिस गाँव में ज्योति पहुँचती, उस गाँव के लोग पुष्पमालाओं से स्वागत करते और ज्योति में घी डालते थे। वर्षा, ऊमस और गर्मी में भी प्रत्येक गाँव के लोग उत्साह के साथ बड़ी संख्या में ढोल, नगारे, बैंड बाजा बजाकर ज्योति का स्वागत करते, चायपान व भोजन की व्यवस्था सामूहिक तरीके से की जाति थी। एक गाँव से अगले गाँव तक ज्योति पहुँचाने के लिए गाँव के लोग आते थे। १५० दलित भाई-बहनों ने दस दिनों तक ज्योतियात्रा में सहयोग देकर उपस्थिति दी थी।

यात्रा की प्रक्रियाएँ और गाँवों में दलितों की स्थिति

इस ज्योतियात्रा को दलित मोहल्ले में सभा के रूप में घुमाया गया और उसमें ज्योतियात्रा के अगुआ एवं ग्राम नेता प्रासंगिक प्रवचन

करते। प्रवचनों में दलितों पर होने वाले अत्याचारों, पुलिस एवं न्यायतंत्र की भूमिका, दलित विरोधी कानून की व्यवस्थाओं को कमजोर बनाने वाली सत्ताधीशों की तरकीबों आदि का पर्दाफाश किया जाता। दलितों की समस्याओं तथा दलित नेताओं-कर्मचारियों की निष्क्रियता की भी चर्चा होती।

अंत में गाँव के दलितों की समस्याओं की चर्चा होती। इन चर्चाओं द्वारा जानने को मिला कि बनासकांठा के गाँवों में सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में अस्पृश्यता का व्यवहार देखने में आता है। प्रत्येक गाँव में छतराभाई के पुत्र की हत्या तथा सरकार की निष्क्रियता के बारे में भी चर्चा होती। छतराभाई को न्याय दिलाने के संघर्ष में सहयोग देने का भी आह्वान किया गया।

बस अड्डों पर दलितों के लिए चाय के कप अलग रखे जाते हैं, दुकान पर दलितों के बाल नहीं काटे जाते, दलितों की कृषि, श्मशान, रिहायशी जमीनें सवर्ण दबा लेते हैं। दलितों की हत्या करके उसे आत्महत्या में बदल दिया जाता है, दलितों के लिए अलग मंदिर हैं, सरकारी योजना में भ्रष्टाचार अधिक है, दलितों की प्राथमिक जरूरतें राज्यतंत्र द्वारा पूरी नहीं होती, इत्यादि प्रकार के अत्याचार रोजाना की घटना बन गई है।

बहुत से गाँवों में दलित जुलूस, बैंड बाजे के साथ विवाह नहीं कर सकते, सिर पर साफा बाँधे बिना गाँव में नहीं जा सकते। रेवन्यू रेकोर्ड पर भूमि दलितों के नाम पर हो, भूमि-कर वे देते हों, फिर भी खेती वहाँ सवर्ण करते हैं। सरकारी राहत कामों में तथा टैंकर के पानी के वितरण में भी दलितों के साथ अन्याय होता है, इत्यादि अनेक समस्याएँ देखने में आई थी। ज्योतियात्रा में लोगों की प्रतिक्रिया अलग-अलग तहसीलों में अलग-अलग रही थी। वडगाम तहसील के गाँवों में दलितों ने अत्यंत उत्साह से बड़ी संख्या में उपस्थिति दी थी तथा ज्योतियात्रा में साथ दिया था। पालनपुर तहसील के काणोदर, पडोतर तथा धाणधा को छोड़कर गाँवों में वडगाम जैसी सफलता नहीं मिली।

जिन-जिन गाँवों में दलितों के राजनीतिक नेता थे, उन गाँवों में लोगों का विशेष सहयोग नहीं मिला। धानेरा तहसील में पिछड़ापन और निरक्षरता अधिक होने से दलितों ने अत्यंत उत्साह से राजस्थानी संस्कृति के अनुसार अपनी गागरों-घड़ों में पेड़ के पत्ते, फूल-गुलाब आदि सजा कर ज्योतियात्रा की अगवानी की थी। थराद में मध्यम प्रतिक्रिया और वाव तहसील में अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। दलित अत्याचार ज्योतियात्रा जिन गाँवों में गई, वहाँ सम्पूर्ण प्रसंग की वीडियो शूटिंग की गई और फोटोग्राफी भी की गई।

गाँवों में दलितों की जो समस्याएँ थीं उनका लिखित और वीडियो शूटिंग द्वारा दस्तावेजीकरण किया गया। उनमें मुख्य शेरा, वेडया, मोरिखा आदि शामिल हैं। पूरी ज्योतियात्रा में पुलिस का प्रबंध नहीं था, फिर भी कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए शांतिपूर्वक उत्साह का वातावरण बना रहा। धानेरा तहसील के नानुड़ा गाँव में गुंड़े गढवियों द्वारा शराब पीकर ज्योति यात्रा पर आक्रमण करने की साजिश रची गई थी, लेकिन प्रत्युत्पन्नमति से ज्योतियात्रा के संचालकों ने इस साजिश को निष्फल कर दिया।

दलित अत्याचार जागृति ज्योतियात्रा का प्रभाव

(१) बनासकांठा दलित संगठन का नाम और काम बनासकांठा के कोने-कोने में प्रसिद्ध हुआ है।

(२) संगठन, समानता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों के साथ दलितों में एक तरफ रह जाने वाले मनुष्यों के लिए भी न्याय दिलाने का काम करती है।

(३) बनासकांठा में दलितों की कोई आवाज नहीं थी। दलित जातियों बुनकर, चमार, तुरी, श्रीमाली, वाल्मीकि, सेन आदि के अलग संगठन थे। उन सब को एक मंच पर लाने में सफलता मिली है।

(४) कट्टरवादियों ने एक वर्ष से बनासकांठा दलित संगठन के लिए कुछेक मिथ्या बातें फैला रखी थी, जिनका सार्वजनिक रूप से पर्दाफाश हो गया और गलतफहमी दूर हो गई।

(५) इस संगठन का जो लोग विरोध करते थे उन लोगों का बनासकांठा दलित संगठन पर विश्वास बढ़ा है और वे दलितों की समस्याएँ बनासकांठा जिला दलित संगठन में लाने लगे हैं।

(६) ग्रामवासियों को यह बात जानकर प्रसन्नता हुई है कि हमारे दुःख दर्द और अत्याचारों के खिलाफ भावना के साथ काम

करने के लिए समाज के लोग बनासकांठा और अहमदाबाद में सक्रिय हैं।

(७) बनासकांठा के स्थानीय अखबारों व दूसरों ने समग्र यात्रा का विवरण देकर उसे प्राथमिकता दी है।

(८) गुजरात सरकार के समाज कल्याण विभाग ने अपने अधिकारियों को बनासकांठा के गाँवों में जाकर अस्पृश्यता के व्यवहार के विरुद्ध काम करने का आदेश दिया है।

(९) बनासकांठा का सम्पूर्ण सरकारी तंत्र बनासकांठा दलित संगठन के काम से वाकिफ हुआ है।

(१०) बनासकांठा दलित संगठन में बहुत सारे लोग जुड़ने लगे हैं।

(११) सरकार ने इस ज्योतियात्रा की देखरेख के लिए एल.आई.बी. अधिकारी नियुक्त किये थे। असारा और थराद आदि स्थानों पर पुलिस का प्रबंध किया था।

(१२) जिले में जागृति बढ़ी है। बनासकांठा के किसी भी गाँव में अत्याचार का मामला होते ही वे बनासकांठा दलित संगठन से सम्पर्क करते हैं।

(१३) धानेरा के एक केस में पी.एस.आई. को फोन से अत्याचार का मामला दर्ज कराया गया।

(१४) दलितों को यह एहसास कराने में सफलता मिली है कि जहाँ तक संगठित होकर संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कोई अधिकार हासिल नहीं हो सकेगा।

(१५) इस ज्योतियात्रा में बनासकांठा के सभी दलित जातियों के नेताओं ने साथ सहयोग दिया था और यात्रा से जुड़े थे।

(१६) ऐसे दलितों के प्रति भेदभाव संबंधी प्रश्न के लिए इस संगठनों को एक मंच पर लाने में बनासकांठा जिला दलित संगठन को बहुत सफलता मिली है।

छतराभाई की पुत्री का विवाह कलैक्टर कार्यालय के सामने

ज्योतियात्रा की सफलता और जागृति से प्रेरित होकर छतराभाई ने अपनी बड़ी बेटी राधा की सगाई की और वैसे भी २० वर्ष की आयु हो जाने के कारण विवाह किये बिना छुटकारा न था। दूसरी तरफ मोरीखा गाँव के गुंड़े तत्त्वों द्वारा मार डालने की धमकी के कारण गाँव में विवाह करने की स्थिति न थी। अंत में छतराभाई ने इस कलैक्टर कार्यालय परिसर में ही विवाह करने की निमंत्रण पत्रिका छपाकर कलैक्टर, डी.एस.पी. को २० दिन पहले निमंत्रण पत्रिका दी।

इसके अतिरिक्त विवाह में उपस्थित रहने के लिए दलित समाज के नेताओं और दलित संगठन के संचालकों को आमंत्रित किया। कलैक्टर कार्यालय के आगे हिजरत पर संकट में अपना गाँव छोड़कर आए परिवार की पुत्री का विवाह हो, यह गुजरात और देश के इतिहास में पहली घटना थी, इस केस को प्रकाश में लाकर न्याय दिलाने के लिए बनासकांठा जिला दलित संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्टार न्यूज को जानकारी दी तो उस चैनल वाले आए और छतराभाई, डी.एस.पी., कलैक्टर, समाज कल्याण अधिकारी, बनासकांठा जिला दलित संगठन सैक्रेटरी आदि से साक्षात्कार किया।

उसमें कलैक्टर और डी.एस.पी. ने बताया कि यह केस हत्या का है या आत्महत्या का, यह हम अभी तय नहीं कर पाये हैं अतः अपराधी की धरपकड़ नहीं की गई। छतराभाई के इंटरव्यू में सरकार की निष्क्रियता का संताप व्यक्त हुआ। ३७५ दिन बीत जाने पर भी सरकार ने उन्हें हिजरती नहीं माना। केश-डील या कोई मदद नहीं मिली।

स्टार न्यूज ने दिन भर टी.वी. पर इस केस संबंधी समाचार दिया और इस केस को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि मिली। इस अतिरिक्त बी.डी.एस. द्वारा स्थानीय प्रकरण में भी बारंबार अखबारी निवेदन दिया, ऐसा कि जिसके कारण कलैक्टर कार्यालय और डी.एस.पी. कार्यालय क्षुब्ध हो उठा। इस प्रकार एक वर्ष से हिजरती परिवार को न्याय न मिल पाना, तंत्र के लिए शर्मनाक था। यह हिजरती वाल्मीकी अपनी पुत्री का विवाह कलैक्टर कार्यालय के सामने करे, इसमें सरकारी तंत्र की इज्जत जाने जैसी बात थी। अतः कलैक्टर कार्यालय के सामने यह विवाह न हो, इसके लिए चार दिनों पूर्व ही धारा १४४ लगा दी गई ताकि इस स्थान पर चार से अधिक लोग इकट्ठे न हों या कोई भी कार्यक्रम न हो।

सरकारी तंत्र की गुमराह करने की नीति

छतराभाई ने विवाह की निमंत्रण पत्रिका वाव, थराद, धानेरा,

वड़गाम, पालनपुर के दलितों, दलित संगठन के नेताओं, दलित सेना के अग्रणियों, अहमदाबाद के दलित कार्यकर्ताओं, खंभात के दलित संगठनों तथा दांता के आदिवासी भाई-बहनों को भेज कर आमंत्रण दिया था, अतः कलैक्टर को डर था कि विवाह में बड़ी संख्या में लोग आएंगे। विवाह से चार दिन पहले कलैक्टर ने अपनी कोशिशें तेज कर दी थी कि यह विवाह वहाँ न हो और हिजरती परिवार यहाँ से उठ जाए तथा दलित समाज के नेताओं को पकड़ने के लिए गाँव-गाँव में गाड़ियाँ दौड़ा दी।

तहसीलदार ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर छतराभाई की दृढ़ता की वजह से समाधान का कागज तैयार किया गया। उसमें मात्र देखूंगा, सोचूंगा, सिफारिश करूंगा, तथा छतराभाई स्वयं को हिजरती मानते हैं आदि शब्दों का मायाजाल रचा गया था। उसका अध्ययन करने के बाद बी.डी.एस. के नेताओं को लगा कि ऐसे कलैक्टर के हस्ताक्षर-मुहर विहीन आलेख से छतराभाई को कुछ नहीं मिल सकेगा। इस समाधान के कागज में विवाह की चर्चा तक नहीं थी, सवा वर्ष तक छतराभाई के केस के बारे में कोई एक शब्द तक नहीं बोलता था और एकाएक समाधान के लिए कलैक्टर को गाड़ियाँ दौड़ाने की बात सूझी है, यह स्थिति विचारणीय थी।

दिनांक २९.६.२००२ की रात तक अलग-अलग तरकीबों से छतराभाई को मनाने की विभिन्न तरकीबें की गई, पर छतराभाई को कलैक्टर पर इसलिए विश्वास नहीं हुआ कि २८ तारीख को १७ नेताओं के साथ कलैक्टर ने समाधान किया, २८ तारीख दोपहर तीन बजे जो समाधान हुआ था, उसे लिखित रूप में पाँच बजे तक सौंपने को कहा था, लेकिन रात को १२ बजे तक छतराभाई और अन्य दलित नेता उस लिखित पत्र की राह देखते हुए भूखे-प्यासे बैठे रहे, लेकिन लिखित पत्र नहीं मिला। अगले दिन प्रातः ९.३० बजे चपरासी वह समाधान पत्र लेकर आया, जो सरकारी मुहर-हस्ताक्षर विहीन था। अतः छतराभाई को लगा की सरकारी तंत्र यह सिर्फ लिखित पत्र देने में इतना विलंब- हैरान कर रहा है तो वास्तव में यह मुझे भूमि लाभ आदि देगा या नहीं, यह एक प्रश्नवाचक है अतः छतराभाईने हिजरती कैम्प में ही विवाह करना तय कर लिया।

दहकती आग जैसी स्थिति

दिनांक २९.६.२००१ के दिन सवेरे से ही विवाह के लिए कलैक्टर कार्यालय में दलित नेताओं की चहल-पहल शुरू रही। दूसरी तरफ यू.एन.आई. टी.वी. चैनल, गुजरात समाचार, जनसत्ता, चित्रलेखा आदि के पत्रकार इस घटना का विवरण लेने के लिए आ गए थे। छतराभाई विवाह की चीजें लाने के लिए भागदौड़ कर रहे थे। पूरा सरकारी कार्यालय खाली था। कानून और व्यवस्था की स्थिति लागू करने तथा विवाह न होने देने के लिए कलैक्टर ने दिन भर मीटिंग करके व्यवस्था की। धारा १४४ लगी थी। फिरभी दलितों के समूह के समूह कलैक्टर कार्यालय परिसर में घूम रहे थे और अब क्या करें, सरकार क्या करेगी आदि चर्चाएँ कर रहे थे।

पुलिस का गाड़ियाँ दौड़ रही थी। पिछले चार दिनों से सरकार की नींद हराम हो गई थी। जैसे-जैसे दिन गुजरता गया, वैसे-वैसे अहमदाबाद के और बनासकांठा के दलित कर्मी नेताओं, दलित सेना, दलित संगठन नेताओं की भीड़ हिजरती कैम्प में बढ़ने लगी थी। एल.आई.बी. समग्र परिस्थिति की रिपोर्टिंग कर रही थी। शाम को छः बजे दलितों के समूह से पूरा कम्पाउंड भर गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी , गुप्तचर अधिकारी, सब-डिवीजनल-मजिस्ट्रेट, तहसीलदार इत्यादि निरंतर उपस्थित रह कर परिस्थिति का अवलोकन कर रहे थे। दूसरी तरफ बारात की प्रतीक्षा कर रहे थे, मेहमान दलित नेता, बहनें और आदिवासी नेता तथा बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएँ आई थी। सात बजे वातावरण में तनाव बढ़ रहा था। समग्र जोरावर पैलेस की पुलिस चौकी से कड़ी नाकाबंदी कर दी गई थी। बारात और मंडप में आए लोगों के अलावा २०० से अधिक पुलिस महिला कॉस्टेबल, पुलिस अधिकारी और दर्जन भर प्रेस-रिपोर्टर उपस्थित थे।

एक तरफ सराकारी तंत्र यह विवाह न होने देने का व्यूह रच रहा था, दूसरी तरफ बी.डी.एस. के स्वयंसेवक, कार्यकर्ता और पदाधिकारी येनकेन प्रकारेण विवाह को हिजरती कैम्प में ही सम्पन्न कराने की विविध तरकीबें और व्यूह रच रहे थे। ग्यारह बजे बारात आई। पुलिस ने बारात को कम्पाउण्ड में जाने से रोका। बी.डी.एस. के कार्यकर्ता और बी.एस.सी. के कार्यकर्ता हिजरती कैम्प में मोबाइल फोन से सुसज्जित थे। बाहर भी बी.डी.एस. के कार्यकर्ता मोबाइल

फोन से सम्पर्क जारी रखे थे। बी.डी.एस. के कार्यकर्ताओं को लगा कि अंदर नहीं जा सकेंगे अतः अकेले वर राजा को जोरावर के पीछे की दीवार से कुदा कर अंदर ले जाने के लिए रात भर प्रयत्न किया। विवाह-मंडप में आई महिलाओं ने वैवाहिक गीतों के बजाय कलैक्टर और डी.एस.पी. के मर्शिये गाये। सरकारी तंत्र के लिए छाती पीटी, कुछ दलित स्त्री-पुरुषों ने कलैक्टर, डी.एस.पी. व सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। दूसरी तरफ, कम्पाउंड के बाहर खड़े बारातियों ने ढोल बजाये और भीतर प्रविष्ट होने की कोशिश की। पुलिस ने रोका तो रुष्ट बारातियों और दलित कार्यकर्ताओं ने सड़क के बीच नाचना शुरू कर दिया और हाईवे बंद कर दिया। एस.टी.ओ. को पीछे हटवाकर पुलिसवालों की गालियों से उत्तेजित दलितों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी।

इस तरह रात भर दहकती आग जैसी परिस्थिति रही। आखिरकार सवेरे ७.१५ बजे बी.डी.एस. और दलित सेना के जांबाज सैनिकों ने अपनी जोखिम पर वर राजा को कंपाउण्ड में घुसाया और तंबू में ही विवाह करवाया। विवाह के बाद कोई अवांछनीय घटना न घटे इसलिए यह नाटक किया गया कि विवाह कल्याण तंत्र में हुआ, लेकिन कल्याणतंत्र भवन में छिप कर विवाह की रस्म अदा नहीं हुई, जो यह साबित करती है कि विवाह तंबू में ही हुआ था।

आंदोलन में दलितों की जीत

यह विवाह मात्र विवाह नहीं था वर्न दलित अधिकारों के आंदोलन का एक भाग था। सरकार दलितों की रक्षा नहीं कर सकती, न्याय नहीं दे सकती, तो दलितों को इस देश में जीने का कोई अधिकार भी है या नहीं? सरकार ने इस समय भले ही धारा १४४ लगाई हो, पर दलितों के मानवाधिकार पर सरकार झपट्टा मारती हो तो सरकारी कानून को तोड़कर मानवीय आत्म सम्मान हासिल करने का दलितों को पूरा अधिकार है। दलित संगठित होंगे तो अपने अधिकारों के लिए हर किसी सरकार को झुका सकते हैं। छतराभाई की न्याय की लड़ाई में इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, रखेवाल इत्यादि अखबारों, इलैक्ट्रोनिक माध्यमों स्टार टी.वी., ए.एन.आई., अल्फा टी.वी. आदि ने भी सहयोग-सहकार प्रदान किया था। इसके अलावा, दलित आदिवासी महिलाएँ और स्वयंसेवक, प्रतिनिधि विशेष रूप से जुड़े थे। दलित संगठन के सदस्यों द्वारा छतराभाई की पुत्री को बर्तन, कपड़े और आशीर्वाद के रूप में नगद राशि भी प्रदान की गई थी। भोजन तथा अन्य खर्च बी.डी.एस. द्वारा वहन किया गया था। संगठन-शक्ति को देखने के पश्चात तंत्र द्वारा छतराभाई के पुत्र की हत्या के मामले में सी.आई.डी. क्राइम को जाँच का काम दिया गया तथा छतराभाई के पुत्रों के लिए तीन मकान और पाँच एकड़ जमीन आवंटित करके पालनपुर के समीप गाँव में जाने हेतु तंत्र झुक गया और छतराभाई ने अपनी हिजरत को समेट लिया।

सहकारी मंडल द्वारा आंदोलन

३० वर्ष पहले जब रांटीला के दलित भाई खेत-मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे, उस समय दियोदर अंचल में खेती के लिए वर्षा पर निर्भरता रखनी पड़ती था। इस कारण अधिकांश भाग की जमीन बिना जोती ही पड़ी रहती थी। दलितों के पास अपनी जमीन नहीं थी, अतः दलित, आदिवासी, कोली आदि जाति के लोगों ने इकट्ठे होकर साथ मिलकर कृषि सहकारी मंडल स्थापित करना तय किया। उस समय इस गाँव में बाबू विडजा का ज्यादा आना-जाना रहता था और रांटीला के दलित भाइयों के साथ उन्होंने अच्छा-खासा प्रगाढ़ घरेलू संबंध बना लिया था। इस मंडल की स्थापना और इससे संबंधित कार्यों में विडजा रुचि लेकर काम करने लगे। उस समय प्रयोजक समिति बनाकर उनकी रुचि तथा दलितों के प्रति संवेदना देखकर सदस्यों द्वारा उन्हें प्रयोजक के रूप में रखा गया। सन् १९७५ में रांटीला-लवाणा सामुदायिक कृषि सहकारी मंडल लि. स्थापित किया गया।

मंडल का पंजीकरण और जमीन की माँग

कृषि मंडल की स्थापना करने के बाद लगभग दो वर्षों की समयाविधि बाद दिनांक २२ फरवरी, १९७८ के दिन सरकारी कायदे-कानून के मुताबिक मंडल का पंजीकरण हुआ। मंडल की पंजीकरण संख्या खे/१४५ ता. १२-२-७८ है। मंडल के पंजीकरण के उपरांत मंडल ने बनासकांठा जिला कलैक्टर से सामूहिक खेती के लिए जमीन की माँग की। उस समय लवाणा गाँव की परती जमीन स.नं. २२९ में से ए-९९९-२३ गुं. का फैसला होने वाला है, ऐसी सूचना मिलने पर सदस्यों द्वारा चंदा इकट्ठा करके जमीन मिलने की आशा में ७०-८० हजार रुपयों की राशि एकत्रित की, ताकि माँग के संदर्भ

में होने वाली कार्यवाही में खर्च करके जमीन तत्काल प्राप्त कर सके, ऐसा आश्वासन बाबू विडजा ने दिया और रकम उगाही गई। सरकारी कार्यालयों द्वारा वर्षों तक इन भूमिहीन खेत-मजदूरों को उत्पीड़ित किया जाता रहा। माँग के संदर्भ में तत्काल सरकार द्वारा जमीन दी जा सकती थी, परंतु मंडल के सदस्यों की आशा निराशा में बदल गई।

जमीन प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए तथा पत्र व्यवहार किया गया। दियोदर तहसील के तहसीलदार, भूमि कार्यालय, प्रांत कार्यालय, कलैक्टर कार्यालय, मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री से संलग्न अधिकारियों को निवेदन किया गया।

मंडल को भूमि प्राप्ति का आदेश

सरकारी कार्यालयों में निरंतर दौड़-धूप और चक्कर काटने के बाद अंततः सरकारी राह से दिनांक ५ मई १९९७ को २९ खेत मजदूरों को १५० एकड़ भूमि रांटीला-लवाणा सामूहिक खेती सहकारी मंडल के नाम दी गई। जमीन मिलने के आदेश के समय जमीन गड्ढों-टेकड़ियों वाली थी। पीलू के असंख्य वृक्ष खड़े थे। सरकार द्वारा दलित-पिछड़े वर्ग के लोगों को उबड़-खाबड़ और गड्ढ़ों-टेकड़ियों वाली जमीन ही दी जाती है।

मंडल के विवाद ग्रस्त मुद्दे

लवाणा गाँव में मंडल को जमीन मिलने के आदेश के बाद तत्काल मंडल के सदस्यों द्वारा जमीन में उगे पीलू के वृक्षों की कटाई का काम हाथ में लिया गया। उस समय लवाणा ग्राम पंचायत ने जमीन में उगे वृक्ष काटने की मनाही कर दी। सदस्यों ने मनाही के विरुद्ध दलील करते हुए कहा कि कलैक्टर साहब के आदेश से जमीन मिली है, अतः अब जमीन का स्वामित्व मंडल का है, अतः जमीन पर उगे वृक्षों पर भी हमारा ही स्वामित्व है।

जवाब में पंचायत द्वारा बताया गया कि जमीन देने के आदेश से पूर्व जो वृक्ष खड़े थे, उनकी परवरिश पंचायत द्वारा की गई थी, अतः हम ये वृक्ष किसी भी स्थिति में नहीं काटने देंगे। नियमानुसार सदस्यों को वृक्षों का मूल्य जमा कराना पड़ेगा। पंचायत द्वारा वृक्षों की कटाई के विरुद्ध वन विभाग में तथा भूमि कार्यालय में तथा तहसीलदार कार्यालय में शिकायत दर्ज की गई, जिसका विवाद बहुत गहरा गया और अंत में मंडल के सदस्यों को हाईकोर्ट के द्वारा खटखटाने पड़े।

अदालती कार्यवाही

मंडल की जमीन में उगे वृक्ष काटने तथा पंचायत में उसकी कीमत भरने के विवाद का अंत लाने के लिए मंडल के सदस्यों ने कोर्ट के रास्ते जाने की बात सोची। बड़ी अदालत में केस लड़ने के बहाने मंडल के चेयरमैन बाबू विडजा को सदस्यों से अधिक पैसा निकलवाने का मौका हाथ लगा। वकील को २०,००० रु. देने हैं, यों कहकर चंदे से उसने पैसे वसूल किए। फिर भी सदस्यों ने जैसे-तैसे करके गुजारा चलाने की उम्मीद में पैसे दिये और केस चला। समय-समय पर पड़ने वाली तारीखों पर मंडल के पदाधिकारी नियमित उपस्थित रहते और अंत में केस बोर्ड पर आने पर वृक्षों की कीमत १ लाख रु. जमा कराने की बात आई। इतनी बड़ी रकम गरीब मजदूरों के पास कहाँ से आए? सतत अनुरोध और बार-बार के अनुनय के बाद वृक्षों की कीमत ५८२६० रु. तय की गई और यह राशि भरने की शर्त पर जमीन पर फिर से कब्जा हुआ। आखिरकार अपनी पत्नियों के गहने बेच कर भी वृक्षों की कीमत जमा कराई गई ।

मंडल पर असली मालिकों का कब्जा

मंडल के नाम जमीन प्राप्त करने से लेकर हाईकोर्ट में केस की कार्यवाही करने तक मंडल के चेयरमैन बाबूभाई विडजा थे और मंडल के २९ सदस्यों के साथ मंडल का प्रशासन चलाते थे। मंडल की जमीन में उगे वृक्ष काटने का काम चल रहा था, तभी बाबू विडजा द्वारा जमीन में काम करने वाले मंडल के २९ सदस्यों की मजदूर के रूप में हाजरी ली जाती थी, यह बात मंडल के सदस्यों को पता लगी। तदुपरांत इस केस में आसपास के गाँवों में जाकर पैसे लेकर नए सदस्य बनाने का काम शुरू किया।

यह षडयंत्र रचने में कुछ ग्रामवासियों का उन्हें सहयोग मिला। बाबू विडजा द्वारा यह कृत्य करने पर कुछ लोगों की समझ में आ गया कि वह पैसे बनाने के पैंतरे रच रहा है और अनपढ़ सदस्यों को छल रहा है। यह बात चारों तरफ फैल जाने पर मंडल के सदस्य जागे और प्रेम से समझाकर उससे मंडल का कार्यालय ले लिया

और नये चेयरमेन के रूप में सांकलाभाई राणाभाई चौहान नियुक्त किए गए। उनकी मृत्यु के बाद अभी तीसरे चेयरमेन के रूप में हाथीभाई दानाभाई चौहान का चयन किया गया है तथा मंत्री के रूप में घेमरभाई चौहान पद संभाल रहे हैं। इस प्रकार, मंडल की सत्ता और स्वामित्व मंडल के वास्तविक मालिकों के हाथ आ गया।

राजपूतों द्वारा मुश्किलें

लवाणा गाँव की परती भूमि सर्वे नं.२२९ एकड़ जमीन में से १५० एकड़ जमीन मंजूर हुई थी तब १९८४ से पहले इस जमीन पर मंदिर या किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं हुआ था। परंतु पाँचेक वर्षों के बाद वहाँ सड़क के नजदीक एक छोटा मंदिर बना दिया गया। बाद में जैसे-जैसे समय बीतता गया वैसे-वैसे अंबाजी माता का विशाल मंदिर बना दिया गया। तब भी दलितों ने इस मंदिर के लिए ढाई एकड़ जमीन छोड़ दी।

सन् १९९७ के चौमासे से जितनी जमीन को साफ करके समतल बनाया गया था, उसमें मंडल के सदस्य खेती करने लगे। तीन वर्षों तक तो बिल्कुल वर्षा आधारित खरीफ की फसल ही ली गई। बाद में आसपास से पानी की व्यवस्था करके थोड़ी जमीन हेतु सिंचाई की सुविधा की गई। वे कठोर श्रम करके फसल तैयार करते।

फसल तैयार हो जाने पर गाँव के उद्दंड राजपूतों से वह सहन नहीं होता। दलितों के पास इतनी सारी जमीन हो और वह भी अच्छी उपजाऊ जमीन। दलितों का बंधुआ न रह कर जमीदार बनना उनको असह्य लगा। राजपूतों द्वारा तैयार फसल को नष्ट करने के बावजूद झगड़े से बचने के लिए दलित खेती करते रहे।

लड़ाई का आरंभ

बाड़ के लिए

दूसरी तरफ मंडल की ढाई एकड़ जमीन के अलावा भूमि पर दबाव बढ़ने लगा। लवाणा गाँव में राजपूतों के द्वारा एक घुमंतू बाबा को लाकर वहाँ बसा दिया गया और आसपास में लावारिस घूमती गायों को इकट्ठी करके मंदिर की बगल में रखा जाने लगा और गौशाला की साजिश रची गई। वर्षों से कठोर परिश्रम करके बेगार करने वाले दलितों द्वारा कड़ा परिश्रम करके तैयार की गई फसल में राजपूतों द्वारा दलितों को हैरान-परेशान करने के लिए नये पैंतरे रचकर गलत तरीके से २० एकड़ जमीन कब्जे करने की मंशा से गायों द्वारा फसल का विनाश करना शुरू कर दिया गया। उद्दंड राजपूतों द्वारा मंडल की २० एकड़ भूमि दाब कर कांटों की बाड़ लगा दी गई। मूंग, इरंडी, ईसबगोल जैसी फसल में गायों को छोड़कर फसल को नष्ट कर दिया गया।

इस कृत्य से दलितों पर आसमान टूट पड़ा। इस समय दलितों के एक मंडल को पालनपुर के सामाजिक कार्यकर्ता रतिलाल उमंगी ने बहुत मदद दी थी। खेत को उजाड़ने के लिए पशुओं छोड़ देने के कृत्य के सामने २३ फरवरी २००१ को दियोदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। तहसीलदार को कब्जा रोकने तथा बदमाश तत्वों के विरुद्ध पुलिस प्रंबध करने के लिए लिखित अनुरोध किया गया। उसी समय यदि सख्त कदम उठाये जाते तो मंडल के सदस्यों को संकट में गाँव छोड़कर हिजरत करने की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु स्थानीय पुलिस कानून और व्यवस्था बनाये रखने में नितांत असफल रहने से तथा पुलिस की रहम दृष्टि से गुंडे तत्वों को खुला मैदान मिल गया।

हिजरत और उसकी प्रक्रिया

इस वर्ष चौमासे की फसल तैयार हो जाने के समय मंडल के सदस्य स्वयं मेहनत करके फसल की सुरक्षा करने के लिए बाड़ तैयार कर रहे थे, तभी सवेरे गाँव के उद्दंडी राजपूत वहाँ आकर मंडल के सदस्यों को गालियाँ निकालते हुए मारने के लिए उन पर टूट पड़े। दिनांक ३ सितंबर को रांटीला के दलितों ने दियोदर पुलिस स्टेशन जाकर घटना की जानकारी दी और रक्षा की माँग की। पुलिस ने बताया कि हम वहाँ आ रहे हैं। दलित पुलिस के आने की राह देखते रहे। दो दिनों तक बहुत इंतजार करने के बावजूद उनको सुरक्षा नहीं मिली। दूसरी तरफ राजपूतों ने अपना काम जारी रखा।

दिनांक ३ अक्टूबर २००१ को रांटीला-लवाणा गाँव में आसपास के १२ गाँवों के राजपूत इकट्ठे हुए और उन्होंने उस जमीन पर और दलितों पर आक्रमण किया। मारो-काटो की आवाजें और वीभत्स गालियाँ देते हुए वे मंडल के सदस्यों पर टूट पड़े। मंडल के सदस्य प्राण बचाने के लिए अपने कुटुम्ब-कबीले के साथ भागकर पालनपुर

कलैक्टर कार्यालय कम्पांउड के अंदर में हिजरत करके आए। वहाँ भी पालनपुर की पुलिस ने इन हिजरती दलितों पर अमानुषीय अत्याचार किया। एक-एक को उठाकर कलैक्टर कंपाउंड के बाहर रोड की फुटपाथ पर फेंक दिया गया। ये २९ कुटुम्ब हाइवे पर नीचे धरती और ऊपर आसमान के बीच अनेक यातनाओं के शिकार बने। मंडल के नेताओं ने बनासकांठा जिला दलित संगठन से न्याय दिलाने की प्रार्थना की।

दलित संगठन की सहभागिता

पाँच दिनों तक कलैक्टर कार्यालय के आगे बैठे इन हिजरतियों की संगठन से मुलाकात हुई। विधिवत उन्होंने संगठन को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें संगठन से सहायता की माँग की गई, जिससे संगठन ने रांटीला के दलितों की परिस्थिति का अध्ययन करने के बाद दलितों को न्याय दिलाने तथा मंडल की जमीन का कब्जा हटाने तथा वे खेती कर सकें और स्वाभिमान पूर्वक जी सकें तथा मानवीय अधिकार हासिल कर सके, इस दिशा में काम अपने हाथ में लिया।

(१) मीडिया तथा अन्यों से सम्पर्क

रांटीला के दलितों की हिजरत के बारे में सरकारी की नींद उड़ाने के लिए संगठन द्वारा देश के अंग्रेजी समाचार पत्रों से सम्पर्क करके घटना को राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाश में लाने का प्रयत्न शुरू किया गया। द टाइम्स ऑफ इन्डिया, द वीक, जी न्यूज, ए.एन.आई. तथा जनसत्ता, गुजरात समाचार, के अतिरिक्त स्थानीय समाचार पत्रों में अखबारी निवेदन दिये गए। इसके अलावा पीपल्स यूनियन फॉर ह्यूमन राइट्स के इंदुकमार जानी, असीम रॉय और प्रसाद चाको आदि से सम्पर्क करके इस घटना को उजागर करके न्याय प्राप्ति के प्रयास किए गए।

(२) संघर्ष समिति की रचना

पहले वाले अत्याचारों की घटनाओं में न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया में सरकारी तंत्र के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए संगठन द्वारा बनासकांठा जिले के स्थानीय दलित समाज के नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा समाज के प्रति संवेदना रखने वाले व्यक्तियों तथा बनासकांठा जिला दलित संगठन के स्वयंसेवकों, प्रतिनिधि भाई-बहनों, कार्यकर्ताओं के साथ २९.९.२००१ को मीटिंग की गई। मीटिंग में संगठन द्वारा केस का विवरण देते हुए बनासकांठा जिले में होने वाले अत्याचार के विरुद्ध न्याय दिलाने के लिए दलित अत्याचार संघर्ष समिति का गठन किया गया। इस समिति की रूपरेखा तैयार की गई। कन्वीनर, सह-कन्वीनर, सलाहकार समिति, कार्यकारी समिति के अतिरिक्त संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री और कार्यालय मंत्री। इस ढाँचे में बनासकांठा जिला दलित संगठन के पदाधिकारियों की भी सहभागिता रखकर न्याय हेतु संघर्ष करना तय किया गया।

(३) विधिवत निवेदन

बनासकांठा जिला दलित संगठन तथा अत्याचार संघर्ष समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली, राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, समाज कल्याण मंत्री तथा जिला कलैक्टर, डी.एस.पी. तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को घटना के बारे में लिखित अनुरोध किया गया। पत्र में रांटीला के दलितों को जीवन जीने का अधिकार है, ऐसी जानकारी देते हुए उन पर अत्याचार के विरुद्ध न्याय दिलाने की फरियाद की गई।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री, समाज कल्याण मंत्री तथा नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री से सम्पर्क करके मौखिक निवेदन द्वारा उनको वास्तविक परिस्थिति से अवगत कराया गया और न्याय करने के लिए विनती की गई। अत्याचार संघर्ष समिति के कन्वीनर और नेताओं के द्वारा कलैक्टर और डी.एस.पी. को भी मौखिक निवेदन करके हिजरती दलितों को गाँव में पुलिस संरक्षण के लिए तथा होने वाले नुकसान के लिए सहायता देने हेतु तथा अत्याचार करने वाले गुंडा तत्वों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया। बनासकांठा जिला दलित संगठन द्वारा कब्जे के बारे में तथा होने वाले नुकसान के बारे में कलैक्टर से अनुरोध करने पर फिर से सर्वे करवाया गया। इस सर्वे के आधार पर एक प्रकार की चेतना जगाने का काम संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा हाथ में लिया गया। सर्वे उपयोगी सूचनाएँ प्रदान करने में मददगार रहा।

(४) रैली का आयोजन

सरकारी तंत्र तथा पुलिसतंत्र द्वारा गुंडा तत्वों को पकड़ने तथा मंडल की जमीन पर किए गए कब्जे को हटवाने की निष्क्रियता तथा बार-बार निवेदन करने के बावजूद अंधी-बहरी सरकार की

रांटीला के हिजरतियों के समर्थन में लगभग चार हजार दलित रैली में भाग लेते हुए।

नींद उड़ाने के लिए दलित अत्याचार संघर्ष समिति के नेताओं, दलित कार्यकर्ताओं, बनासकांठा दलित संगठन स्वयंसेवकों, कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधि भाई-बहनों की मीटिंग बुलाई गई। सरकार के विरुद्ध न्याय प्राप्त करने के लिए, संघर्ष करने की नयी व्यूह रचना तय की गई और दिनांक २२ अक्टूबर २००१ को विशाल दलित आदिवासी रैली निकालने का निर्णय लिया गया।

रैली के आयोजन को ध्यान में रखते हुए दियोदर तहसील के स्थानीय दलित भाइयों का सहयोग लेने के लिए एक सार्वजनिक सभा की गई, जिसमें चौरासी हींदवाणी दलित समाज के लगभग एक हजार भाई उपस्थित थे। प्रत्येक व्यक्ति ने न्याय प्राप्ति के संघर्ष में भागीदार बनाने का बीड़ा उठाया। इसके अलावा बनासकांठा जिले के लगभग १७ दलित संगठनों का सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया गया। दिनांक २२ अक्टूबर २००१ को पालनपुर में विशाल रैली निकाली गई, जिसमें दांता तहसील के आदिवासी स्त्री-पुरुष, दियोदर, वाव, थराद, धानेरा, वड़गाम, पालनपुर के दलित नेता, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल थे।

इसके अतिरिक बनासकांठा जिले के लगभग १७ दलित संगठनों ने भाग लिया। रैली पालनपुर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी और कलैक्टर कार्यालय के कंपाउण्ड के बाहर सभा के रूप में बदल गई। सभा में बनासकांठा जिला दलित संगठन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सैक्रेटरी तथा पी.यू.एच.आर. के इंदुकुमार जानी, असीमराय बी.एस.सी. के निर्देशक प्रसाद चाको, आदिवासी संगठन के नेता अत्याचार संघर्ष समिति के पदाधिकारी तथा दलित नेता, कार्यकर्ता आदि ने सभा को संबोधित किया। सभा में दलितों से अत्याचार के विरुद्ध एक होने तथा अत्याचारियो को पाठ पढ़ाने का आह्वान किया गया।

(५) कलैक्टर के साथ समाधान

रैली का कार्यक्रम सम्पन्न होने के बाद बनासकांठा जिला कलैक्टर से अत्याचार के बारे में विविध माँगों को लेकर आवेदन-पत्र दिया गया। उसमें हिजरतियों को उनके जानमाल की रक्षा करने के लिए एस.आर.पी. संरक्षण देने, मंडल के सदस्यों ने जब से हिजरत की है, तब से अब तक कैश डोल्स चुकाने, मंडल की जमीन में गुंडे राजपूतों द्वारा किये गए २० एकड़ जमीन के कब्जे को तत्काल दूर कराने के अतिरिक्त बनासकांठा जिले में दलितों पर अत्याचार के बारे में डी.एस.पी. की निष्क्रियता और भेदभावपूर्ण नीति के कारण पिछले दो वर्षों से होने वाले अन्याय-अत्याचारों में एक भी केस में अपराधी को सजा नहीं हुई, सारे के सारे केस ए.बी. समरी में धकेल दिए गए, इत्यादि संदर्भ में निवेदन किया गया।

यह तमाम अनुरोध सुनकर कलैक्टर ने मंडल की जमीन का कब्जा थोड़े-से समय में ही हटवा देने का भरोसा दिलाया और कब्जा हटवाने की कार्यवाही की बात को अत्यंत गुप्त रखी गई, ताकि गुंडा तत्व कब्जा हटवाने के विरुद्ध कोई उपद्रव न करे अथवा उग्र वातावरण पैदा न हो जाए, बल्कि शांतिपूर्वक सारा काम हो जाए। कलैक्टर ने एस.आर.पी. सुरक्षा की भी स्वीकृति दी।

दिनांक २३ अक्टूबर २००१ के दिन कलैक्टर द्वारा न्याय की दिशा में तत्काल कब्जा हटाने का काम शुरू करने का आदेश दिया गया। गुप्त समाचार अत्याचार संघर्ष समिति के नेताओं को बताते हुए सवेरे ही समिति के अगुआ, बनासकांठा जिला दलित संगठन के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक रांटीला-लवाणा के विवादास्पद स्थान पर

पहुँच गए, जहाँ प्रांत अधिकारी थराद, तहसीलदार दियोदर, डी.वाई.एस.पी. और पुलिस कर्मचारी तथा एस.आर.पी. पुलिस काफिला गाड़ियों के साथ उपस्थित होकर पी.डबल्यू.डी. मजदूरों द्वारा कब्जा तोड़ने का काम किया गया।

सम्पूर्ण कब्जा तोड़ने की इस कार्यवाही की वीडियो रिपोर्टिंग बनासकांठा दलित संगठन द्वारा की गई। पूरे दिन कार्यवाही चली। कब्जा तोड़ने की कार्यवाही की प्रतिक्रिया स्वरूप गाँव के राजपूतों तथा उनके नेता हीरा प्रेमा राजपूत को पता लगते ही, वह जीप भरकर जीवदया प्रेमी भरत कोठारी को, जो डीसा महाजन पिंजरापोल का संचालक है, कब्जा तोड़ने से रोकने के लिए साथ लेकर आया। जीवदया के नाम पर पेट भरने वाले भरत कोठारी को लेकर सरकारी कार्यालयों, अधिकारियों तथा इस हेतु स्टे लाने के लिए जुट गए, परंतु उनमें से कुछ भी काम न होने पर अंततः सघर्ष समिति के नेताओं के समक्ष समाधान कराने के लिए उग्र चर्चा पर उतर आए। परन्तु प्रांत अधिकारी के न्याय एवं कड़े रुख के कारण कोई नतीजा न निकलने से उग्र वातावरण पैदा कर दिया तथा काम को रोकने की कोशिश की। परन्तु बनासकांठा जिला दलित संगठन के स्वयं

शेष पृष्ठ 40 पर

पृष्ठ 21 का शेष भाग

सर्वप्रथम पानी पर ध्यान जाता है। राजस्थान में पानी की कमी है और इसी में सबसे अधिक भेदभाव है। यह एक दयनीय स्थिति है। सिर्फ ३० प्रतिशत स्थानों में ही स्पष्ट भेदभाव विद्यमान नहीं है, जिसे देखा जा सकता है। तालिका संख्या-११ में इसका प्रतिशत प्रमाण चार मुद्दों के संदर्भ में दिखाया गया है। मारवाड़ में पेयजल को लेकर सबसे ज्यादा भेदभाव है, जिसे देखा जा सकता है, और इसी क्षेत्र में पानी की सबसे ज्यादा कमी विद्यमान है।

इसी भाँति, शेखावाटी क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था सर्वाधिक भेदभाव पैदा करती है। यह इस बात को प्रकट करती है कि अस्पृश्यता के व्यवहार के पीछे आर्थिक शोषण काम करता है। इसका विवरण कोष्ठक संख्या-१२ में दिया गया है। तालिका संख्या-१३ में महत्तम, लघुतम और औसत दलित आबादी वाले गाँवों में इस विषय पर भेदभाव की स्थिति दर्शाई गई है। हालाँकि, वहाँ रुझान बहुत स्पष्ट नहीं है, तथापि अधिक दलित आबादी वाले गाँव में अधिक भेदभाव देखने को मिलता है।

निष्कर्ष

यह स्पष्ट है कि जहाँ दलितों की आबादी अधिक है, वहाँ भेदभाव अधिक है। इस प्रचलित सम्मान के संबंध में अनेक कारण है। यह छोटे गाँवों में आर्थिक दबाव के कारण हो सकता है। ५०० की आबादी वाले गाँव में कई लोगों को वस्तुएँ न बेचने की वृत्ति रखना किसी को नहीं पोसायेगा। अन्य संभावना यह हो सकती है कि अधिक दलित आबादी के कारण दलित अधिक अभिव्यक्ति करते हैं। ऐसा भी होता है कि गैर-दलित लोगों के भय के कारण छोटे गाँवों में दलित भेदभाव का विरोध करने से डरते हैं। भेदभाव को हम जरा अलग ढंग से देखेंगे। सभी प्रकार के भेदभाव को क्षेत्रवार प्रतिशत के प्रमाण में तालिका संख्या-१४ में दर्शाया गया है। इस कोष्ठक से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि कई कामों संबंधी स्तरों में सर्वाधिक भेदभाव दिखाता है। इसके बाद सार्वजनिक सम्पदा संसाधनों के दूसरे क्रम में सर्वाधिक भेदभाव दिखता है। जबकि अन्य क्षेत्रों में दलितो के प्रति भेदभाव तुलनात्मक दृष्टि से कम है। इस घटना के पीछे कई कारण हो सकते हैं:

(१) **गैर-दलितों पर आर्थिक दबावः** गैर-दलित निजी व्यापारिक संस्थाओं के मालिक होते है, अतः उनका आर्थिक हित उनमें सम्मिलित रहता है। स्पष्ट है कि वे अपने आर्थिक हितों का बलिदान देने को तैयार नहीं होते। साथ ही साथ जिनमें आर्थिक हित जुड़े न हो, ऐसी प्रवृत्तियों में भेदभाव रखा जाता है। यह प्रतीकात्मक होता है, अतः अस्पृश्यता वहाँ सबसे अधिक होती है। यह गैर-दलितों का अवसर वादी अभिगम है, जो पवित्रता के संदर्भ में भी दिखाई देता है।

(२) **सरकारी अंकुशः** सरकारी संस्थाओं पर उसकी सेवाओं के संदर्भ में सर्वाधिक अंकुश है। फिर निजी सेवाओं पर लगा अंकुश आता है। कई प्रवृत्तियों के संदर्भ में यह सबसे कम है।

(३) **दलितों का सम्मानः** सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं की सेवाएं अथवा निजी सेवाएँ दलितों के जीवन के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में दलितों के प्रति रखी जाने वाली वृत्ति उन्हें आर्थिक दृष्टि से नहीं पोसाती। कई प्रवृत्तियों के संदर्भ में तो वह उनके आत्म गौरव के साथ जुड़ी हुई बात बन जाती है। यह एक वजह हो सकती है कि जिसके कारण दलितों ने इस भेदभाव से मुक्त होने का प्रयत्न किया है।

राजस्थान में दलितों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रयास

इस लेख में पश्चिमी राजस्थान में 'दलित अधिकार अभियान' द्वारा दलितों के प्रति भेदभाव दूर करने हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन है। 'उन्नति' के कार्यक्रम प्रबंधक **श्री सुजीत सरकार** द्वारा लिखित इस लेख में दलितों के प्रति अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष हेतु दलितों का नेतृत्व तैयार करने संबंधी प्रयत्नों की जानकारी दी गई है।

प्रस्तावना

देश भर में उच्च जातियों के लोग दलितों और समाज के पिछड़े लोगों का शोषण करते हैं। दलित समुदाय की रक्षा के लिए किए गए कानूनों का सख्ती से क्रियान्वयन करने की प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता अधिकारियों में नहीं है। दलितों पर अत्याचार के संदर्भ में सख्त कानून होते हुए भी विशेष रूप से गाँवों में प्रभावशाली जातियों द्वारा बेरोकटोक दलितों का शोषण किया जाता रहता है। आर्थिक कल्याण या सामाजिक समानता का कोई भी मानदंड स्वीकार करें तो समाज के सबसे निचले स्तर पर दलित आते हैं।

उनका शोषण हमारे समाज का स्वभाव बन गया है। देश भर में सर्वत्र उनके प्रति पूर्वाग्रह और कटुता दिखाई देती है। संविधान में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ किए जाने के बावजूद दलितों के प्रति भेदभाव जारी रहा है। जिन्हें इन व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करना है, उनका अभिगम ढीला रहा है और सभ्य समाज ने कोई आवश्यक्ता अनुभव नहीं की अतः ये तमाम व्यवस्थाएँ कागजों पर ही शोभा दे रही हैं। ऐसी दशा में ऐसे प्रयास करने की विशेष जरूरत है जिनसे दलितों की दशा सुधरे।

'उन्नति' एक सहयोगी संस्था है, जो पश्चिमी राजस्थान में स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ मिलकर जीवन निर्वाह तथा बुनियादी अधिकारों संबंधी समस्याओं के लिए काम करती है। जोधपुर प्रभाग की दस तहसीलों में 'दलित अधिकार अभियान' स्वैच्छिक संस्थाओं और स्वतंत्र दलित कार्यकर्ताओं के सहयोग से शुरू किया गया है। हर तरह के जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक भेदभाव दूर करने के लिए यह संस्था सभ्य समाज के प्रयासों को समर्थन-सहयोग देती है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में दलितों के लिए सामाजिक समानता, आत्म सम्मान तथा गौरव की प्रस्थापना करना है। शालाओं, स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायत, सामाजिक सम्पत्ति संसाधनों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर की जाने वाली अस्पृश्यता और अन्य भेदभावों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करती है। मुख्य रूप से ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि दलित समुदाय में से ही नेतृत्व तैयार हो सके ताकि वे अपने बुनियादी अधिकारों के हनन के विरुद्ध ज़ोरदार तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर सकें।

दलितों के नेतृत्व को प्रोत्साहन

यही उचित है कि दलितों के विरुद्ध भेदभाव विषयक युगों पुरानी परंपरागत शोषण की कुरीतियों के खिलाफ दलित ही आवाज उठायें। अतः दलितों और समाज के अन्य पिछड़े लोगों को संगठित करने के प्रयास हुए। इनमें आधारभूत अधिकारों के उल्लंघन विषयक प्रश्नों को केन्द्र में रखा गया। वर्तमान में भेदभाव का विरोध करने के लिए गाँवों के लगभग ३०० छोटे-मोटे संगठनों का गठन किया गया है। खंड स्तर पर यह समितियों का संगठन है तथा अभी जोधपुर में ऐसे १० तहसील स्तरीय संगठन काम कर रहे हैं।

युवा, स्थानीय नेता और सक्रिय सामुदायिक नेता इन समितियों में हैं। खंड स्तर के लगभग २४५ और गाँवों के लगभग १७०० नेता हैं, जिन्हें उनका नेतृत्व कौशल बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। बुनियादी अधिकारों से इन्कार संबंधी प्रश्नों के बारे में सूचनाओं का नियमित रूप सें आदान-प्रदान किया जाता है ताकि वे परिस्थिति से सुपरिचित रहें। प्रति माह 'उन्नति' सहयोगी संस्थाएँ तथा दलित समुदाय के नेता प्रगति की समीक्षा करने तथा देखरेख रखने के लिए एकत्रित होते हैं। दलित समुदाय के नेताओं को उनकी समस्याओं और समाधान के बारे में बातचीत करने का मंच यह मासिक बैठक प्रदान करती हैं।

इन नेताओं की क्षमता वृद्धि के लिए कई कदम उठाये गए हैं। खंड स्तर के नेताओं के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए। प्रथम प्रशिक्षण में दलितों के जीवन तथा जीवन-निर्वाह संबंधी समस्याओं के बारे में दलित नेताओं की समझ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उनको व्यापक परिप्रेक्ष्य में इन समस्याओं को समझने हेतु सक्षम बनाया गया। उनको बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष करने तथा स्थानीय व्यूहरचना गढ़ने कि लिए सहयोग दिया गया। विविध तहसीलों में निश्चित दलित समस्याएँ निर्धारित की गई ताकि दलितों को स्थानीय स्तर पर इकट्ठा करने की प्रक्रिया तेज़ बने।

दूसरे प्रशिक्षण में दलित नेताओं की नेतृत्व कुशलता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। संविधान की व्यवस्था पर उनका ध्यान आकृष्ट किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आदि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की विविध संस्थाओं की भूमिका तथा जिम्मेदारी के बारे में उनको जानकारी दी गई। इन कार्यक्रमों की वजह से दलितों में नेतृत्व-कौशल बढ़ा और साथ ही साथ ज्ञान का आधार व्यापक बना।

पुलिस तंत्र के साथ सहयोग

मीडिया में निरंतर दलितों के प्रति अत्याचार के किस्सों में पुलिस की लापरवाही और पुलिस द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों से संबंधित बातें आती रहती हैं। परिणामतः दलित सहायता प्राप्त करने के लिए पुलिस से सम्पर्क साधने के लिए तैयार ही नहीं होते। अतः दलितों के प्रति अत्याचार की घटनाओं में छानबीन करने में शामिल पुलिस कर्मचारियों के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए। इसका उद्देश्य दलित समुदाय और पुलिस के बीच की खाई भरने तथा पुलिस तंत्र को दलितों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना था।

इस प्रक्रिया में से सभ्य समाज के नेताओं का प्रभावशाली समूह तैयार हुआ। ये नेता अब अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में कानूनी मार्ग अपनाते हैं। वे मात्र नारे लगा कर ही नहीं, वरन् किसी भी समस्या के बारे में अपने ज्ञान और समझ के आधार पर नेतृत्व धारण करते हैं। पुलिस तंत्र पहले की बजाय कई गुणा अधिक मात्रा में सहयोग देता है। पुलिस तंत्र के साथ उनके मेलजोल भरे संबंध दलित नेताओं को अपनी समस्याओं के बारे में निवेदन करने की अधिक सुविधा प्रदान करते हैं और इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है।

सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव के विरुद्ध अभियान

दलितों को अस्पृश्य माना जाता है और उन्हें पानी, सार्वजनिक सेवाओं या अन्य सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग से वंचित रखा जाता है। पंचायतों में दलित समुदाय के प्रतिनिधियों को पंचायत घर में उनकी कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता। सरकारी प्राथमिक शालाओं में दलितों के बालकों के प्रति बड़े पैमाने पर भेदभाव बरता जाता है। इन बालकों को अलग बिठाया जाता है और उनके लिए पेयजल की अलग व्यवस्था की जाती है। अधिकांश शालाओं में दलित बालकों के लिए पेयजल की अलग सुराही होती है। उनको ऊंची जाति के बालकों के लिए पेयजल की सुराहियों में से पानी पीने नहीं दिया जाता। कई शालाओं में उच्च वर्ण के बालकों को ही सीमेंट की टंकी से पानी लेने की छूट होती है, अतः दलित बालकों को उच्च वर्ण के बालकों को खुश रखना पड़ता है, तभी वे अपनी प्यास बुझा सकते हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्म के शिक्षक ऐसा व्यवहार जारी रखते हैं। इस अमानवीय प्रथा के कारण दलित माता-पिता अपने बालकों को विद्यालय नहीं भेजते, या फिर उन्हें शाला से उठा लेते हैं। अतः दलित बालकों में अधबीच में शाला छोड़ जाने की मात्रा बहुत अधिक देखने को मिलती हैं।

दलित समुदाय के नेताओं ने सामूहिक तरीके से ऐसे मामलों को हाथ में लिया। प्रतिमाह वे गाँवों में प्रचलित ऐसे भेदभाव को ध्यान में लाते हैं और जिला प्रशासनिक तंत्र का उस ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। राज्य मानवाधिकार मंच, कलैक्टर, विभागीय कमिश्नर आदि का ध्यान इस ओर खींचा जाता है और उन्हें शिकायतें पहुँचाई जाती हैं।

जिला प्राशासन तंत्र ने जोधपुर और बाड़मेर जिलों में इस बारें में लगभग २५ उच्च स्तरीय जाँचों का आयोजन किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग ने दलित विद्यार्थियों की स्थिति के बारे में जिला प्रशासन तंत्र को प्रतिवेदन तैयार करने को भी कहा है। जिला

मंदिर प्रवेश

ग्रामीण राजस्थान में मंदिर में जा पाना दलितों के लिए एक सपने जैसी बात है। समाज में प्रचलित सामंतशाही व्यवस्था की वजह से वे माताजी के मंदिर में प्रविष्ट नहीं हो सकते। लूणी तहसील के करणियाली गाँव के दलितों ने सदियों पुरानी इस बेड़ी को तोड़ डाला और जबर्दस्त संघर्ष करके उनको मंदिर में प्रवेश दिलाया। यह परिवर्तन गाँव के दलित स्वयं लाये। प्रशासन तंत्र की कृपा दृष्टि से अथवा पुलिस तंत्र की सहायता से यह काम सम्पन्न नहीं हुआ।

दलित के बाल काटने से इन्कार करते नाई

अनिल हरिजन नामक एक दलित नेता के बाल काटने से एक नाई द्वारा इन्कार कर देने पर इस दलितों ने नाई के खिलाफ पुलिस में शिकायत की तथा एफ.आई.आर. लिखवाई। पश्चिमी राजस्थान में नाई हरिजन पुरुषों के बाल नहीं काटते। 'मरुधर गंगा सोसाइटी' नामक एक स्वैच्छिक संस्था ने फौरन इस शिकायत को अपने हाथ में लिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पहले पता लगाया और तब डी.एस.पी. द्वारा उस नाई को गिरफ्तार किया गया।

पगड़ी की मर्यादा

बाड़मेर जिले की संधरी तहसील के अडाल गाँव में एक सार्वजनिक समारोह में पंचायत के दलित सरपंच श्री भैरूराम ने एक स्थानीय विधानसभा सदस्य के सिर पर पगड़ी पहनाई। उच्च वर्ण के लोगों ने बाड़ में विधानसभा सदस्य और कई सरकारी अधिकारियों की हाजिरी में मेरुराम को अपमानित किया। तदुपरांत दलित नेताओं ने इस अपमान का विरोध किया और एक निश्चित समय तक धरना दिया। जिला प्रशासन तंत्र के अधिकारियों ने अपराधियों के खिलाफ शिकायत की तथा एक एफ.आई.आर. दर्ज कराई तभी १४ दिनों का धरना समाप्त किया। जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी उनमें विधानसभा सदस्य भी शामिल थे। इसके अलावा, उच्च जाति के ऐसे ग्राम प्रमुख से सरपंच के सिर पर पगड़ी पहनाने का आग्रह भी किया गया। इस घटना के संदर्भ में अंबेड़कर जयंती के दिन दलितों ने एक पगड़ी रैली निकाली थी। पश्चिमी राजस्थान में दलित केसरिया पगड़ी नहीं पहन सकते, क्योंकि यह सत्ता का प्रतीक है और इसे उच्च वर्ण के लोग ही पहन सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक समारोह में दलितों को कोई पगड़ी नहीं पहना सकता। तब इस आंदोलन ने एक परंपरा शुरू कर दी।

प्रशासन तंत्र ने कई नीति-विषयक परिवर्तन किये हैं। उसने सभी प्राथमिक विद्यालयों से दलित बालकों के विद्यालयों में बैठने और पेयजल की व्यवस्था के बारे में ध्यान रखने को कहा है।

जो अध्यापक ये भेदभाव अपनाते थे उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया गया। ऐसे सख्त कदमों से पश्चिमी राजस्थान में विद्यालयों को एक प्रकार का संकेत मिल गया। राजस्थान शिक्षक संघ ने दलित विद्यार्थियों के प्रति भेदभाव के विरुद्ध सही अभियान शुरू किया। अभी लगभग ७०० शिक्षकों ने इस आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है। जोधपुर युनिवर्सिटी के 'स्टुडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' ने जोधपुर जिले की कई तहसीलों में ऐसा ही अभियान शुरू किया है। मुद्रित एवं इलेक्ट्रोनिक माध्यमों ने इस आंदोलन का विवरण लगातार दिया। यद्यपि समुदाय के नेताओं को गाँवों में उच्च वर्ण के लोगों की ओर से जबर्दस्त प्रतिकार सहना पड़ा। सवर्णों ने बालोत्तरा की स्वैच्छिक संस्था आई.डी.ई.ए. के विरुद्ध केस दायर किए हैं।

दलितों पर होने वाले अत्याचारों का सामना

दलितों के प्रति अत्याचारों के अनेक मामले तो दर्ज ही नहीं होते। प्रभावित होने वाले जो केस करते हैं, उनमें भी उनको न्याय नहीं मिलता। इसका कारण है कानूनी बचाव के मार्ग और विलंब पुलिस अधिकारी अत्याचारों के मामलों में जाँच कार्य में विलंब करते हैं। इससे अपराधी राजनीतिक दबाव डालकर केस को पंगु कर देते हैं।

प्रभावितों पर सवर्ण जबर्दस्त दबाव डालते हैं और वे झुक जाते हैं। ऐसे प्रभावितों को तहसील स्तर पर चलने वाले दलित संदर्भ एवं सूचना केन्द्र द्वारा पूरा सहयोग दिया जाता है। उनको बिना मूल्य अथवा राहतदरों पर कानूनी सेवा प्रदान की जाती है। कई वकील स्वैच्छिक रूप से आगे आये हैं और वे इस आंदोलन को समर्थन-सहयोग दे रहे हैं। ये वकील प्रभावितों को कानूनी सहयोग देते हैं। 'उन्नति' की सहयोगी संस्थाएँ दलित संदर्भ एवं सूचना केन्द्र चलाती हैं और वे ही अत्यंत सार्वजनिक महत्त्व वाले अत्याचार के मामले वही हाथ में लेती हैं। गत वर्ष में ऐसे ३७ मामले सफलतापूर्वक हाथ में लिये गये थे।

ऐसे केन्द्र पश्चिमी राजस्थान की नौ तहसीलों में शुरू किए गए हैं। उनमें दलितों के जीवन-निर्वाह और जीवन के बारे में सम्पूर्ण सूचना रहती है। वे दलितों के विकास की विविध योजनाओं और कार्यक्रमों की सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करते हैं। वे इसके लिए भी प्रयास करते हैं कि उनके लाभ दलितों तक बराबर पहुँचें। गत वर्ष लगभग १२०० दलित परिवारों को इन केन्द्रों से लाभ मिला है। १००० दलित परिवारों की अर्जियां जिला प्रशासन तंत्र को सौंपी गई और उन्हें शीघ्र ही विविध कार्यक्रमों का लाभ मिलना शुरू होगा। अत्याचारों से प्रभावित लोगों को कानूनी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। स्थानीय स्तर पर कोष बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये केन्द्र लंबे अर्से तक स्थायी रहें।

सामाजिक सुधार की प्रक्रिया

पिछले तीन वर्षों से दलितों में सामाजिक सुधार की प्रक्रिया में ३६० के लगभग स्थानीय एवं परंपरागत नेता जुड़े हैं। दलित समाज सुव्याख्यायित परंपरागत कानून एवं आचार-संहिता से चलता है। इन नेताओं से सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच अवरोधक बनने वाले सास्कृतिक रीति-रिवाजों के बारे में पुनः विचार करने के लिए कहा गया। पिछले दो वर्षों से ये नेता रामदेवरा नामक स्थान में विचार-विमर्श कर रहे हैं। ऐसे रिवाजों की वजह से दलित कर्ज़ में डूबते हैं। बाल-विवाह और बंधुआ मजदूरी की बेगार प्रथा जैसी कुरीतियाँ भी यहाँ प्रचलित हैं। दलितों के इन नेताओं की वार्षिक परिषद भी मिलती है और ज्यादा से ज्यादा नेताओं को सामाजिक सुधार की इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता हैं। इन नेताओं ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसे 'रामदेवरा घोषणापत्र' के नाम से जाना जाता है। इसमें सभी सामाजिक बुराइयों को समाप्त किया गया है। ये नेता इस प्रस्ताव के बारे में गाँवों में जानकारी देते हैं तथा अन्य नेताओं को भी इस संबंध में संवेदनशील बनाते हैं ताकि उन्हें सभी स्थानों पर स्वीकार किया जाए। अनेक गाँवों में लोगों ने आर्थिक योगदान दिया है और यह प्रस्ताव एक बड़े तख्ते पर लिखा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर ये तख्ते रखे गए हैं और सभी दलितों के लिए यह प्रस्ताव रूप है। दलित नेताओं ने प्रयास किया है कि कई मौकों पर बाल विवाह रुकें, और मृत्युभोज पर खर्च कम से कम हो।

चुनौतियाँ

'दलित अधिकार अभियान' के तत्वाधान में जो सफलता मिली है वह तो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू हमारे समाज की ठोस वास्तविकता है। अनेक राजनीतिक नेता इस आंदोलन के विरुद्ध प्रतिकार कर रहे हैं। स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाओं के विरुद्ध उच्च वर्ण के लोग प्रतिकार कर रहे हैं। वे स्वैच्छिक संस्थाएँ तो राजनीतिक दबाव के आगे टिक पाने में असफल रहीं। इसमें उच्च वर्ण के लोगों और राजनीतिक नेताओं ने संयुक्त रूप से काम किया। आई.डी.ई.ए.(आइडिया) के खिलाफ तो केस किया गया। सबसे ज्यादा दयनीयता तो यह है कि दलित समुदाय के परंपरागत नेता ही युवा दलितों का विरोध करते हैं। एक मामले में तो एक परंपरागत नेता ने युवा दलित नेता का मुँह काला कर दिया। शायद परंपरागत नेता सामाजिक सुधार के आंदोलन से घबराते हैं। दलितों के अंदर भी उपजातियों की वजह से हिस्से हैं। वे भी समग्र प्रक्रिया के बीच बाधक रूप बनते हैं। अतः राजनीतिक दबाव, उच्च वर्णों के लोगों के साथ बढ़ते तनाव और अल्प धनराशि के साथ आंदोलन को टिकाये रखना एक चुनौती है।

पृष्ठ 36 का शेष भाग

सेवकों, संघर्ष समिति के नेताओं ने संयम रखते हुए काम को आगे पूरा कराना जारी रखा।

दिनांक २४ अक्टूबर, २००१ को दोपहर २ बजे रांटीला-लावणा सामुदायिक कृषि मंडल के सदस्य कलैक्टर के समक्ष अपनी मागों का समाधान होने पर हिजरती समेत कर रांटीला-लवाणा के लिए रवाना हुए, जहाँ खेत में उन्होंने रहने के मकान बना रखे थे। पुलिस की गाड़ी में बैठकर वहाँ जाने के बाद भी अभी दलितों के लिए उनकी जान-माल की जोखिम तथा तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है। अभी भी स्वतंत्रपूर्वक एक सामान्य नागरिक की तरह वे घूम नहीं सकते। अत्याचार के विरुद्ध जागृत होकर न्यायिक संघर्ष करने पर सवर्णों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। खाने-पीने की चीजें वस्तुएँ बेचने और पिसाई का काम बंद कर दिया है। इसके अलावा, पानी की भयानक कमी में पेयजल भी बंद कर दिया है। पेयजल तथा सामाजिक बहिष्कार के बारे में संघर्ष समिति द्वारा सरकारी तंत्र में अनुरोध करने का काम जारी है।

गतिविधियां

विकास में पंचायतों और अन्य संगठनों की भूमिका

गाँवों के विकास में पंचायतों को ७३वें संविधान संशोधन के उपरांत विशेष महत्त्व दिया जा रहा है क्योंकि पंचायतें तीसरे स्तर की सरकार बन गई हैं और साथ ही साथ इन्हें संवैधानिक दर्जा भी मिल गया है । दूसरी तरफ, गाँवों में बचत मंडल, ऋण मंडल, दूध मंडल, जलस्त्राव मंडल, वन मंडल आदि जैसी स्वैच्छिक-विकासलक्ष्यी संस्थाएँ तो हैं ही । इससे पंचायतों और इन स्वैच्छिक विकासलक्ष्यी संस्थाओं के बीच संघर्ष के प्रसंग या टकराव की घटनाएँ भी हुई हैं। इन परिस्थितियों में दोनों के एक-दूसरे के लिए पूरक कैसे हो सकती हैं, इस बारे में चर्चा-परिचर्चा के लिए 'उन्नति' और 'सज्जता संघ' के संयुक्तावधान में राजकोट, हिम्मतनगर और अंकलेश्वर में प्रादेशिक कार्य-शिविर आयोजित किए गए। उनमें इस विषय के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

इन कार्य शिविरों में स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, ग्राम विकास के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि तथा पंचायतों के सदस्य या सरपंच के रूप में चुने हुए लोग उपस्थित थे। उन्होंने समूहवार निम्न प्रश्नों पर चर्चा की थी:

१. गाँव में विकास के किन कामों को करने की जरूरत है?
२. ये काम अभी कौन करता है?
३. ये काम किसे करना चाहिए?

इन तीनों कार्य-शिविरों से एक निष्कर्ष यह उभरा था कि गाँवों में जो विकासपरक संगठन काम करते हैं, वे पंचायतों की समानांतर संस्थाएँ नहीं हैं । दोनों की भूमिका परस्पर विरोधी नहीं, वरन पूरक है। सारे ही काम पंचायतें नहीं कर सकतीं और करती हैं तो वह उचित भी नहीं है। परंतु पंचायतें स्वैच्छिक विकासलक्ष्यी संगठनों के लिए मार्गदर्शक और सहायक बन सकती हैं। स्वैच्छिक विकासलक्ष्यी संगठनों के सदस्य और नेता पंचायतों के प्रति नहीं वरन् ग्रामसभा के प्रति उत्तरदायी बनें, यह स्वीकार करने को लगभग तैयार थे। अतः इस विषय पर एक राज्यस्तरीय कार्यशाला अहमदाबाद में २४.१.२००२ को आयोजित की जा रही है। इन सभी विवरणों के लिए सम्पर्क करें: 'उन्नति', जी-१, आजाद सोसाइटी, अहमदाबाद-३८० ००५, फोन (०७९) ६७४६१४५.

वंचित समाजों में शिक्षा : समस्याएँ और समाधान

अहमदाबाद की 'सोसायटी फॉर एज्युकेशन, एम्पावरमेंट एंड डेवलपमैंन्ट (सीड)' द्वारा अहमदाबाद में 'वंचित समाजों में शिक्षा: समस्याएँ और समाधान' विषय पर दिनांक २२-१२-०१ को एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। उसमें प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ता और विशेषज्ञ उपस्थित थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विविध समस्याओं के बारे में विशद चर्चा-परिचर्चा की थी।

सीड द्वारा प्राथमिक शिक्षा के बारे में अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शालाओं में जो सर्वेक्षण किया गया था, उसके निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए थे। यह सर्वेक्षण बनासकांठा और अहमदाबाद जिले की शालाओं में किया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार बताया गया कि ३३ प्रतिशत शालाएँ किराये के मकानों में चलती हैं। बिजली, पानी, शौचालय, बाथरूम जैसी प्राथमिक सुविधाएँ बहुत कम मात्रा में हैं। अहमदाबाद की दसक्रोई तहसील में विद्यालयों में पर्याप्त करों का अभाव है, ५० प्रतिशत ग्राम-शालाओं में एक भी पुस्तक नहीं है। आवश्यक नक्शे और फर्नीचर, खेल के मैदान और उपकरण भी नहीं हैं।

सर्वेक्षण में यह भी जानने को मिला कि आचार्य और शिक्षक दस वर्षों से शिक्षण कार्य से जुड़े होते हुए भी परंपरांगत शिक्षण पद्धति का उपयोग करते हैं। अनेक कारणों से बालक अधबीच में शालाएँ छोड़ देते हैं। शालाएँ छोड़ जाने वाले बालकों में १३.१० प्रतिशत बालक कक्षा एक से चौथी कक्षा के बीच और २९.२ प्रतिशत बालक ५ से ७ कक्षा के बीच शाला छोड़ने वाले शामिल थे।

इस सर्वेक्षण के आधार पर और स्वैच्छिक संस्थाओं के व्यापक अनुभव के आधार पर कार्यशाला में कई सुझाव दिये गये थे। उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि सहकार के साथ सम्पर्क करके प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के समाधान का प्रयत्न किया जाए। अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें: श्री जावेद अमीर, नियामक, सीड, बी-ए-१०, युनाईटेड एपार्टमेंट्स, मक्तमपुरा, सरखेज रोड, अहमदाबाद - ३८० ०५५ फोन: ६८२२६१९, ६८२००२१.

'इन द हैन्ड्स ऑफ दी पीपल' का विमोचन

अहमदाबाद के डेवलपमेंट सपोर्ट सेन्टर के नियामक श्री अनिल शाह के लेखों की इस पुस्तक का विमोचन समारोह २९.१२.२००१ को अहमदाबाद में आयोजित किया गया। गुजरात सरकार के पूर्व अधिकारी श्री जमनादास शाह ने इसका विमोचन किया। इस अवसर पर अनिल शाह ग्राम विकास पारितोषिक तथा फैलोशिप प्रदान करने की घोषणा भी की गई थी। पचास हजार रुपयों का पारितोषिक प्रतिवर्ष दिया जाएगा तथा पचास हजार की फैलोशिप हर दो वर्ष मे दी जाएगी। ग्राम विकास क्षेत्र में श्री अनिल शाह के प्रयासों की बहुत सराहना की गई थी।

इस अवसर पर पुस्तक का परिचय डॉ. सुदर्शन आयंगर द्वारा कराया गया था तथा अनिल शाह के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों ने उनके काम के विषय में बातें बतायी। अनिल शाह ने अपने प्रत्युत्तर में यों कहा था कि उनके काम में 'अनुकूलताओं के सिलसिले ने अत्यंत महत्वपूर्ण भाग अदा किया था।'

इस पुस्तक का सम्पादन डॉ. सुदर्शन आयंगर और सुश्री इंदिरा हिरवे द्वारा किया गया है। इसमें ग्राम-विकास, जलस्त्राव विकास, सहभागी सिंचाई व्यवस्था संयुक्त वन व्यवस्था चार भागों में कुल ३० लेखों का समावेश किया गया है। पुस्तक का आमुख ससेक्स युनिवर्सिटी की 'इंनस्टीटयूट ऑफ डेवलपमैंट स्टडीज के श्री राबर्ट चेम्बर्स द्वारा लिखा गया है। सम्पर्क: डेवलपमैंट सपोर्ट सेंटर, २ प्रकृति एपार्टमेंट्स, रेड रोज रेस्टोरेंट के सामने, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - ३६० ००९. फोन: ०७९-६३०१८९२, फेक्स: ०७९-६३०३२९६, ई-मेल: dsc@satyamnet.net.

श्री चुन्नीभाई वैद्य को सरदार वल्लभभाई पटेल विश्व प्रतिभा अवार्ड

चौरासी वर्षीय सर्वोदय नेता श्री चुन्नीभाई वैद्य को विश्व गुजराती समाज द्वारा प्रथम सरदार वल्लभभाई पटेल विश्व प्रतिभा अवार्ड प्रदान किया गया है। ढाई लाख रुपयों का यह अवार्ड प्रतिवर्ष राजनीति, प्रशासन, सामाजिक अथवा सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को दिया जाता हैं, जिसकी प्रतिभा विश्व स्तर पर उभरी हो।

गुजरात की विकट जल समस्या और ग्रामीण अंचल में जल समस्या के कारण प्रस्तुत कठिनाइयों के विरुद्ध श्री चुन्नीभाई वैद्य ने विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए हैं। सन् १९८०-८१ में सारस्वत पंथक के गाँवों में फ्लोराइडयुक्त पानी के कारण होने वाले विभिन्न रोगों की समस्या पर उन्होंने आंदोलन किया और अंत में राज्य सरकार ने पाइप लाइन द्वारा स्वच्छ जल प्रदान करने की सहमति प्रदान की थी। उत्तर गुजरात के बनासकांठा में सिपु बाँध बनाने से सिपु नदी के निचले भाग में रहने वाले लगभग १५० गाँवों के १.५० लाख लोगों को सिपु नदी का पानी मिलना बंद हो गया था। सन् १९८६-८७ में उन्होंने इस समस्या के लिए आंदोलन चलाया था और राज्य सरकार ने अनुंबंध करके इन गाँवों के लागों को पानी देने की सहमति व्यक्त की थी।

अहमदाबाद जिले की दहेगाम तहसील के कडादरा गाँव की गोचर भूमि को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दिये जाने के विरुद्ध इन्होंने सफल आंदोलन चलाया था। वलसाड़ जिले में उमर गाम में बन रहे बंदरगाह के विरुद्ध भी श्री चुन्नीभाई वैद्य आंदोलन चला रहे हैं। अन्याय के विरुद्ध लोगों को संगठित करना इनका जीवन-लक्ष्य रहा है।

उड़ीसा में आदिवासियों का आंदोलन

उड़ासी के नवरंगपुरा जिले में ११-११-२००१ को लगभग ८०० महिलाओं की एक रैली आयोजित की गई। यह रैली दो सप्ताह

पर्यावरणविद अनिल अग्रवाल को श्रद्धांजलि

नई दिल्ली स्थित विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल का निधन २ जनवरी २००२ को हो गया। अनिल वर्षों से कैंसर से पीड़ित थे। उनके निधन से पर्यावरण आंदोलन ने एक मुखर और सुस्पष्ट व्यक्तित्व को खो दिया।

आइ.आइ.टी., कानपुर से यांत्रिकी इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षत अनिल ने १९७३ में हिन्दुस्तान टाइम्स में विज्ञान संवाददाता के रूप में अपने पत्रिकारिता के कैरियर की शुरूआत की। वे भारत की प्रमुख विज्ञान एवं पर्यावरण पत्रिका 'डाउन टू अर्थ' के संपादक थे। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों के लिए लिखा, इनमें लंदन स्थित 'अर्थस्कैन' और 'न्यू साइंटिस्ट' पत्रिकाएँ शामिल हैं। उन्होंने भारत में विज्ञान और पर्यावरण पर २० से अधिक पुस्तकें लिखी और संपादित की। १९९० में श्री अग्रवाल ने विश्व के सर्वाधिक सक्रिय एन.जी.ओ.- सी.एस.ई. की स्थापना की।

श्री अग्रवाल ने १९८३ से १९८७ तक विश्व के सबसे बड़े पर्यावरणीय एन.जी.ओ. के नेटवर्क - नैरोबी स्थित पर्यावरण संपर्क केन्द्र की अध्यक्षता की। १९८७ में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में उनके कार्य के लिए उन्हें ग्लोबल ५०० ऑनर रोल के लिए चुना। भारत सरकार ने भी पर्यावरण विकास में उनके कार्य के लिए उन्हें पद्म श्री तथा पद्म भूषण से सम्मानित किया। पर्यावरण विकास के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

पूर्व इसी जिले के रायगढ़ में ४०० आदिवासियों की सभा के दौरान पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार के विरोध में निकाली गई थी। हजारों महिलाओं की इस रैली पर पुलिस की गोलीबारी में दो व्यक्ति मारे गए और ११ घायल हुए थे। रायगढ़ की सभा ३०.१०.२००१ को आयोजित की गई थी, जिसमें पुलिस की गोलीबारी में तीन व्यक्ति मारे गए थे और ५० घायल हुए थे। उड़ीसा के कोरापुर में १९५८-६० की अवधि में जो बांग्लादेशी शरणार्थी आए थे, उन्हें दो लाख हैक्टेयर भूमि पर जंगल नष्ट करके बसाया गया था और उन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया, इसी से यह संघर्ष खड़ा हुआ था। लकड़ी-चोर माफिया, वन अधिकारी और प्रशासनतंत्र की साठगांठ इसके लिए कारणभूत है। दलित और आदिवासी अपनी भूमि वापस माँगते हैं और इसी के लिए वे आंदोलन कर रहे हैं। आदिवासी अपने के संसाधनों के मालिक हैं, यह विचार अब स्वीकार किया जाना चाहिए। आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच इसी कारण सशस्त्र संघर्ष भी होता है। जून और जुलाई २००१ के दौरान ऐसी घटनाओं में पाँच आदिवासियों ने अपने प्राण गंवाये थे। निहित स्वर्थी तत्व आदिवासियों के शोषण की अपनी पद्धति को जारी रखना चाहते हैं इसीलिए वे आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं। सम्पर्क: जॉन सेम्युअल, एन.सी.ए.एस.

कच्छ में विश्व विकलांगता दिवस का आयोजन

दिनांक ३.१२.२००१ को विश्व विकलांगता दिवस पर कच्छ के भुज में विकलांगों की एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी। उसमें लगभग १२०० विकलांग महिलाएँ, पुरुष व बालक उपस्थित थे। कच्छ युवा विकलांग मंडल और स्नेह समुदाय के संयुक्तावधान में इसका आयोजन हुआ। इस सभा का उद्देश्य विकलांगों के प्रति समाज में रोजाना होने वाले भेदभाव प्रति लोगों में जागृति लाना तथा सार्वजनिक नीति पर प्रभाव डालना था ताकि विकलांग लोग अपने अधिकारों का उपभोग कर सकें और गौरवपूर्वक जीवन जी सकें। इस सभा में नौ प्रस्ताव पारित किये गए थे। उनमें सार्वजनिक स्थानों में विकलांगों की पहुँच बढ़े, सभी विकलांगों को पहचान-पत्र मिले, उत्तम गुणवत्ता वाले उत्तम साधन मिलें, जीवन-निर्वाह के समान अवसर मिलें, शिक्षण हेतु समान अवसर मिलें, सामाजिक सुरक्षा मिले समाज और सरकार विकलांग लोगों के प्रति संवेदनशील बने और विकलांग लोगों में आत्मविश्वास तथा गौरव उत्पन्न हो, ऐसे विषयों को समाहित किया गया था। बाद में इन मांगों का एक आवेदनपत्र जिलाधीश को दिया गया था।

इस सम्मेलन में विकलांगों के अलावा उनके परिजन भी उपस्थिति थे। सभा का उद्घाटन जिला विकास अधिकारी (डी.डी.ओ.) ने किया था। स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ता और सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इसमें उपस्थित थे। स्नेह समुदाय और कच्छ युवा विकलांग मंडल अब इस सभा के प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु अभियान चलायेंगे।

संदर्भ सामग्री

आज के दलित आंदोलन का एजेंडा

गुजरात के दलित आंदोलन के नेता और राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार आयोग के संयोजक श्री मार्टिन मेकवान ने ९.१२.२००१ को डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर निर्वाण दिवस पर अहमदाबाद में जो डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर स्मृति व्याख्यान २००१ दिया था, वह पुस्तक रूप में छप गया है। 'अधिकार' संस्था द्वारा इस व्याख्यान का आयोजन किया गया था। अहमदाबाद के मेंहदी नवाज जंग हॉल में यह आयोजन हुआ था। उनका व्याख्यान दो भागों में विभक्त है:

१. भूमिका
२. दलित आंदोलन की बुनियाद में विद्यमान आज की स्थिति

व्याख्यान दाता ने दलित आंदोलन की बुनियाद में विद्यमान आज की स्थिति को सात भागों में बाँटा है:

१. अस्तित्व बनाये रखने के सवाल से शुरू होने वाली आर्थिक परिस्थिति
२. सुरक्षा
३. स्वीकृति : प्रेम से लेकर मान-मर्यादा तक
४. स्वमान
५. सम्पूर्ण विकास
६. दलित याने क्या?
७. दलित आंदोलन के ठोस कार्यक्रम

व्याख्यान दाता ने कहा है कि दलित आंदोलन के संदर्भ में ये सवाल खड़े होते हैं:

१. मेरे पास दलित बंधुओं की परिस्थिति की समुचित समझ है?
२. मेरे पास परिस्थिति की जो समझ है, क्या उसमें अधिसंख्य लोगों की सहमति है?
३. मुझे इस परिस्थिति को बदलने संबंधी संग्राम या संघर्ष के अंत में किस परिणाम की अपेक्षा है?
४. क्या इस संग्राम या संघर्ष के संचालन हेतु मेरे पास कोई पद्धति, अभिगम या व्यूहरचना है?
५. इस संग्राम या संघर्ष के लिए मेरे पास क्या आयोजन है?
६. क्या यह संग्राम, संघर्ष या आंदोलन मुझे संभव प्रतीत होता है?
७. क्या मैं इस आंदोलन के लिए वांछित सभी कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हूँ?
८. इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा?

व्याख्यानकार ने इन तमाम मुद्दों की अपने व्याख्यान में विस्तार से चर्चा की है। जो लोग दलितों की समस्याओं के बारे में चिंतित हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं, राजनितिक नेताओं, विद्या जगत के विशेषज्ञों तथा स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए यह व्याख्यान मार्गदर्शन देने वाला है।

प्रति प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करें: परिवर्तन ट्रस्ट, १४, महालक्ष्मी सोसाइटी, शंकर पार्क के सामने, के.के. गर्ल्स हाईस्कूल के पीछे, मु.पो.तहसील पादरा, जिला बड़ौदा, फोन: ०२६५-६२२११५२
पृष्ठ ४६.

विश्वभर में छाई दलितों की आवाज

अगस्त-सितंबर के मध्य दक्षिण अफ्रीका के डरबन में संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) की वंशवाद विरोधी परिषद आयोजित हुई, उसके बाद इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसमें भारत के दलितों की आवाज डरबन सम्मेलन में प्रस्तुत हुई और डरबन की प्रक्रिया में दलित समस्या को लेकर क्या हासिल हुआ, इस बारे में विस्तार से विचार प्रस्तुत किए गए हैं। पुस्तक के प्रकरण इस प्रकार हैं:

१. विश्वभर में छाई दलितों की आवाज
२. विश्व में भेदभाव के शिकार बने अन्य जन समूह

३. डरबन में आखिर में क्या हुआ?
४. डरबन की प्रक्रिया में दलित समस्या पर क्या हासिल हुआ?

इस पुस्तक में वंशवाद के विरुद्ध शिखर सम्मेलन की ओर ले जाने वाले प्रसंगों का सविस्तार विवरण दिया गया है, साथ ही इस सम्मेलन में स्वैच्छिक संस्थाओं के मंच का जो घोषणापत्र घोषित हुआ, उसका मूल पाठ भी दिया गया है। इसके अलावा स्वैच्छिक संस्थाओं के मंच पर स्वीकृत ठोस कदमों संबंधी कार्यक्रम भी दिया गया है।

डरबन सम्मेलन के दौरान जिन विशिष्ट महानुभावों ने प्रवचन दिये थे उनके अंश भी इस पुस्तक में दिये गए हैं । फिर, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति डॉ. के. रामास्वामी द्वारा प्रस्तुत निवेदन का सम्पूर्ण पाठ और राष्ट्रीय दलित मानव अधिकार आंदोलन का एजेंडा आदि भी समाहित किया गया है।

भारत के दलितों की भाँति ही विश्व के अलग-अलग देशों में अलग-अलग जातियों व धर्म के लोगों की कैसी दयनीय स्थिति है, इसके बारे में भी इस पुस्तक में विवरण दिया गया है।

लेखकः श्री मार्टिन मेकवान, प्रकाशकः परिवर्तन ट्रस्ट, १४, महालक्ष्मी सोसायटी, शंकर पार्क के सामने, के.के.गर्ल्स हाईस्कूल के पीछे, मु.पो. तहसील पादरा, जिला बड़ौदा, पृष्ठ ७६, स्वैच्छिक योगदान २५/-.

इवोल्विंग एन एज्युकेशनल स्ट्रेटेजी फॉर केपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ग्रासरूट लीडर्स

यह अंग्रेजी पुस्तिका 'जन विकास' के श्री फिरोज कांट्रेक्टर के साथ 'उन्नति' की सुश्री दीपा सोनपाल की बातचीत के आधार पर लिखी गई है। जन विकास के भाग रूप में सेंटर फॉर रूरल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग (सी.आर.एस.टी) में ही श्री फिरोज कांट्रेक्टर के साथ काम करने वाली सुश्री विभा और सुश्री शिरिन के साथ हुई बातचीत से प्राप्त मुद्दों का समावेश भी इस पुस्तिका में हुआ है।

ग्राम विकास के लिए काम करने वाले युवकों हेतु श्री कांट्रेक्टर ने जो नूतन शिक्षण पद्धति विकसित की है, उनके अनुभव भी विस्तार से इस पुस्तिका में दिये गए हैं। उन्होंने फैलोशिप प्रोग्राम इन सोशियल मैनेजमेंट (एफ.पी.एस.एम) और बाद में युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम किस तरह विकसित किये थे, और उसमें किन विषयों को क्यों शामिल किया गया है, इसका विवरण भी दिया गया है। अपने बारे में, दूसरों के बारे में तथा आसपास की दुनिया के बारे में जागरूकता के द्वारा शिक्षण - यही इस कार्यक्रम का आधारभूत सिद्धांत है। तीन चरणों में ये कार्यक्रम विकसित किये गये हैं। अभ्यासक्रम का सम्पूर्ण ब्यौरा इसमें दिया गया है।

इस प्रक्रिया के दौ कौनसे सबक सीखने को मिले, यह भी पुस्तिका में दिया गया है। स्थानीय नेताओं की क्षमता वृद्धि की शैक्षणिक व्यूह रचना कैसी होनी चाहिए, यह इस पुस्तिका के द्वारा समझ सकते हैं। विकास कार्यों में संलग्न और विशेष रूप से प्रशिक्षण के क्षेत्र में संलग्न कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण विषयक समझ को व्यापक बनाने हेतु यह पुस्तिका बहुत उपयोग रहेगी।

प्रति प्राप्त करने हेतु सम्पर्क साधें: 'उन्नति', जी-१/२००, आजाद सोसायटी, अहमदाबाद-३८० ०१५. पृष्ठ संख्या २४.

शिक्षण की वैज्ञानिकता

यह हिन्दी पुस्तक शिक्षण के आधारभूत विषयों पर ध्यान केंद्रित करती है। लेखक के शिक्षा संबंधी लेख इसमें समाहित हैं, साथ ही उनकी कई शिक्षा संबंधी कहानियां भी समाविष्ट है। लेखक, कवि, निबंधकार, शिक्षक और संपादक के बतौर सुविख्यात हैं और गिजुभाई बधेका की बहुत सी पुस्तकों का इन्होंने हिन्दी में अनुवाद किया है। कार्ल रोजर्स, एरिक एरिक्सन, पावलो फ्रेरे, गिजुभाई, जे.कृष्णमूर्ति आदि अनेक शिक्षाविदों के चितंन पर आधारित ये निबंध उनके चिंतन को आत्मसात करने हेतु उपयोगी सिद्ध होंगे। विशेष रूप से शिक्षकों के शिक्षण को अधिक रोचक, प्रभावी और समाजोपयोगी बनाने में यह पुस्तक उपयोगी रहेगी।

इस पुस्तक में कुल २१ प्रकरण हैं और उनमें शिक्षण के विविध पहलुओं और समस्याओं की गहन चर्चा की गई है। लेखकः रामनरेश सोनी, प्रकाशकः कलासन प्रकाशन, मॉर्डन मार्केट, बीकानेर : पृष्ठ १५०, मूल्यः १२०/-.

विगत तीन महीनों के दौरान 'उन्नति' द्वारा निम्नानुसार प्रवृत्तियाँ हाथ में ली गई थी:

कच्छ में पुनर्वास

हमने कच्छ में पुनर्वास संबंधी निम्न चार प्रवृत्तियों को संचालित करना जारी रखा है:
१. कमज़ोर समूहों का समुदाय आधारित पुनर्वास २. आवास एवं जीवन निर्वाह को प्रोत्साहन ३. भचाऊ में सहभागी नगर आयोजन ४. सहभागी पुनर्वास को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न संस्थाओं से सम्पर्क।

हमने पिछले तीन महीनों के दौरान १२०० से अधिक परिवारों की मनो-सामाजिक, स्वास्थ्य एवं अन्य रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का प्रयत्न किया था। हमने इस पर ध्यान केंद्रित किया था कि विकलांग लोगों को प्रमाण पत्र मिले, ताकि वे मुआवजा और अन्य अधिकार प्राप्त कर सकें। ३ दिसंबर, २००१ के विकलांगता दिवस पर हमने अपनी सहयोगी संस्थाओं 'ऐक्शन एड', 'कच्छ युवा विकलांग मंडल' और 'हैंडीकेप इंटरनेशनल' द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लिया था। विकलांगों संबंधी समस्याएँ उठाने के अतिरिक्त इस बैठक में संवेदनशीलता जगाने का काम भी किया गया।

आवास और जीवन निर्वाह के संदर्भ में हमने कसीदे-बुनाई करने वाली २०० महिलाओं, ४२ बुनकरों और हाथों से छपाई काम करने वाली लगभग १६ इकाइयों को सहयोग दिया है। भूकंपग्रस्त कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तुएँ 'डोरी' ब्रांड नाम से बाज़ार में भेजी गई हैं। कारीगर पहली बार सी.आई.आई. द्वारा १ से ३ नवंबर, २००१ मध्य अहमदाबाद में ग्रामीण उद्यमियों के सम्मेलन के दौरान आयोजित प्रदर्शनी में भाग लेने आए थे।

हमने ५०१ परिवारों को आवास उपलब्ध करा दिया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि भचाऊ नगर में निर्माण-कार्य की स्वीकृति देने की घोषणा सरकार ने अभी तक नहीं की है। परिणामतः निर्माण कार्य अभी शुरू ही नहीं हुआ। हम सभी हितैषियों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं और विभिन्न हित समूहों की जरूरतों की एक विस्तृत सूची तैयार कर रहे हैं ताकि जमीन के समुचित उपयोग एवं ढाँचागत सुविधाओं के विकास की आयोजना हो सके।

सहभागी आयोजन की प्रक्रिया कच्छ के अन्य नगरों में शुरू करने हेतु 'ऐक्शन एड' द्वारा दिनांक १७.१२.२००१ को एक बैठक आमंत्रित की गई थी। इस प्रक्रिया के आयोजक के बतौर एक संसाधन संस्था के रूप में हमारा चयन किया गया था। पुनर्वास विषयक अनुभवों और प्राप्त पदार्थ-पाठ को प्रोत्साहन देने के लिए हमने विभिन्न संस्थाओं से सम्पर्क जारी रखे। हमने ओक्सफाम की समीक्षा-बैठक में भाग लिया तथा 'कारीतास (भारत) हेतु जीवन-निर्वाहन को प्रोत्साहन देने के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया था।

'फोर्ड फाउन्डेशन' के प्रादेशिक प्रतिनिधि डॉ. गौहर रिजवी ने २८.१२.२००१ को भचाऊ स्थित हमारे कार्यालय का अवलोकन किया था। उनकी मुलाकात भचाउ में हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी और प्रोत्साहित करने वाली रही।

गुजरात और राजस्थान में पंचायती राज संबंधी प्रवृत्तियाँ

गुजरात में पंचायतों के चुनाव

गुजरात में डेढ़ वर्ष के बाद २३.१२.२००१ को ग्राम पंचायतों के चुनाव आयोजित किये गए। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों, इसके लिए तथा दलितों और महिलाओं का उसी के रूप में नहीं वरन् स्वतंत्र नेतृत्त्व खड़ा हो, इसको प्रोत्साहन देने के लिए हमने मतदाता जाग्रति अभियान चलाया। इसके लिए २००० से भी अधिक गाँवों को शामिल करने हेतु लगभग ६० स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ व्यूह रचना तैयार की गई। इसके अतिरिक्त ग्राम स्तर पर जाग्रति फैलाने के लिए हमने पाँच पोस्टर, दो प्रकार की ओडियो कैसेट, तीन प्रकार की वीडियो कैसेट और चौपानिये प्रकाशित कराये और उन्हें वितरित किया। पंचायती राज संबंधी हमारे द्वैमासिक पत्र 'पंचायत जगत' का ग्राम पंचायत चुनाव विषयक विशेषांक प्रकाशित किया गया। मतदाता जागृति अभियान ने हमें स्थानीय शासन

प्रक्रिया में डमी नेतृत्त्व के दोषों के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद दी।

ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायित्व

इन तीन माह के दौरान हमने जलस्त्राव समितियों, संयुक्त वन-संचालन समितियों, युवक मंडलों, महिला मंडलों और पंचायतों जैसी स्थानीय ग्रामीण संस्थाओं के मध्य संबंधों और संघर्षों को समझने का प्रयत्न किया है। 'सज्जता संघ' के साथ सहयोग में हमने राजकोट, हिम्मतनगर और अंकलेश्वर में तीन एक-दिवसीय प्रादेशिक बैठकें इस मुद्दे पर आयोजित की, इसमें स्थानीय संस्थाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं और पंचायतों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इन तीनों बैठकों में यह मुद्दा अत्यंत स्पष्टता से उभरकर आया कि पंचायत हो या स्थानीय ग्रामीण स्तर की अन्य कोई संस्था हो, लेकिन वह गाँव के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। यद्यपि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ये संस्थाएँ लोगों के प्रति उत्तरदायी बनें। ऐसी सिफारिश की गई कि इन तमाम संस्थाओं का सहअस्तित्व जरूरी है और वे ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी बनें, यह आवश्यक है। इस मुद्दे पर राज्य स्तर की एक बैठक २४.१.२००१ को आयोजित की गई।

महिला नेतृत्त्व का सशक्तिकरण

पंचायतों में महिला नेता अधिक सशक्त बनें इसके लिए यदि नव-चयनित प्रतिनिधि एक मंच पर आएँ और एक-दूसरे के अनुभव से सीखें तो उन्हें स्वयं अनुभव होगा कि वे स्वयं मजबूत हैं। पहले भेरोर में जो महिला सम्मेलन इन महिला प्रतिनिधियों हेतु आयोजित किया गया था, उसका विवरण दिया गया था। दिनांक ९.११.२००१ को ऐसा ही एक सम्मेलन शिक्षित रोजगार प्रबंधक समिति के सहयोग से झुनझुनू में आयोजित किया गया था। डूंगरपुर जिले की आसपुर पंचायत समिति में १६-१७ दिसंबर २००१ के मध्य चयनित महिला प्रतिनिधियों का जिलास्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

पिछले तीन माह के दौरान हमारे पंचायती राज कार्यक्रम का मध्यसत्रीय मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकनकर्ताओं ने पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के कार्यक्रम के भाग-स्वरूप पंचायत संदर्भ केन्द्र स्थापित करने के हमारे प्रयासों की प्रशंसा की थी। उन्होंने इन केन्द्रों को संस्थागत स्वरूप देने की भावी योजना गढ़ने की जरूरत की सिफारिश की थी।

लोक आंदोलन को सहयोग

दलित अधिकार अभियान

राजस्थान में दलित अधिकार अभियान प्रगति कर रहा है। राजस्थान में इस अभियान को सहयोग देने के लिए हमने दलितों की स्थिति के बारे में एक अध्ययन हाथ में लिया है। 'ऐक्शन एड' द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे अध्ययन का ही यह एक भाग है। इसके प्राथमिक निष्कर्षों के आधार पर तैयार एक लेख 'विचार' के इसी अंक में प्रकाशित किया गया है। हम सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधन प्राप्त करने में दलितों को पीड़ित करने वाले भेदभाव के बारे में एक अध्ययन हाथ में ले रहे हैं।

जोधपुर और बाड़मेर जिलों में खंड स्तर पर दलित संदर्भ केन्द्र दलितों को १०० बीघा से अधिक जमीन दिलाने में सफल रहा है। इस जमीन पर उच्च वर्ण के लोगों ने कब्जा कर लिया था। जोधपुर के बालेसर में कानूनी साक्षरता और सामाजिक चेतना के बारे में १३-१४ दिसंबर के मध्य महिला नेताओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

पोशित्रा में जारी लोक संघर्ष

हमारे पूर्ववर्ती अंकों में हमने द्वारका के समीप पोशित्रा में सूचित विशिष्ट आर्थिक विस्तार एवं बंदरगाह के कारण उद्‌भूत विस्थापन के विरुद्ध लोक संघर्ष के बारे में जानकारी दी थी। स्थानीय लोगों ने दो वर्षों से सतत संघर्ष जारी रखने के बाद इस परियोजना की सक्षमता के प्रश्न पर तथा उचित मुआवजा माँगने के लिए अदालत में पुकार की है। यद्यपि उच्च न्यायालय ने विशिष्ट आर्थिक विस्तार की स्थापना के पक्ष में फैसला दिया है। अब लोगों के संघर्ष को उचित पुनर्वास पैकेज प्राप्त करने तथा सहभागी आयोजन

प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना होगा। स्थानीय लोक संगठन ने पुनर्वास के नियमों के क्रियान्वयन हेतु एक वित्तीय संस्था के साथ सम्पर्क करने का आयोजन किया है। हम पोशित्रा में लोक संघर्ष को अपना शैक्षणिक सहयोग देना जारी रख रहे हैं।

शैक्षणिक एवं शोध प्रवृत्ति

शहरी शासन के संबंध में कार्यलक्ष्यी योजना

शहरी शासन में नागरिकों की भागीदारी के बारे में हमारी कार्यलक्ष्यी शोध जारी है। रिपोर्ट कार्ड पद्धति द्वारा नगर की बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता जाँचने हतु लोगों की क्षमता विकसित करने के अतिरिक्त हमने इस प्रक्रिया को संस्थागत स्वरूप देने तथा स्थायी बनाने हेतु वार्ड स्तरीय लोक समितियों का गठन किया है। इन तीन महीनों के दौरान हमने कच्छ के भूकंपग्रस्त चार नगरों की नगरपालिका की भूमिका के बारे में भी छानबीन की है । आगामी तीन महीनों में शहरी शासन के बारे में एक राज्यस्तरीय कार्यशाला के आयोजन का सोच विचाराधीन है।

वरिष्ठ प्रशिक्षक के साथ संवाद

विगत चार दशकों से स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में व्यस्त रहने वाले श्री फिरोज कांट्रेक्टर के साथ संवाद करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। उनके साथ हुई बातचीत के आधार पर स्थानीय नेताओं की क्षमता बढ़ाने हेतु उन्होंने जो शैक्षणिक व्यूह रचनाएँ अपनायी थी, उनके बारे में अंग्रेजी में एक पुस्तिका प्रकाशित की है (देखें संदर्भ साहित्य) 'विचार' के अप्रैल-जून २००१ अंक में एक लेख के रूप में उसका संक्षिप्त रूप प्रकाशित किया गया था।

गरीबी उन्मूलन के लिए सामुदायिक नेताओं की क्षमता में वृद्धि हो, इसके प्रशिक्षण के लिए हम एक सर्व संग्रह तैयार कर रहे हैं।

सभ्य समाज की सहभागिता

अहमदाबाद शहर में स्वैच्छिक प्रयासों तथा दान को प्रोत्साहन देने के लिए हमने तीन मुद्दों पर अपना काम जारी रखा है: १. ऐतिहासिक स्मारकों संबंधी बातचीत में लोकभागीदारी २. प्राथमिक शालाओं की ढाँचागत सुविधाएँ सुधारना ३. पर्यावरण के संबंध में जाग्रति। विद्यार्थियों और दानदाताओं के साथ इस मुद्दे पर संवाद भी शुरू किया गया है।

'चरखा' द्वारा शासन, पुनर्वास, विकलांगता, जैविक खेती और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम जैसे प्रश्नों के बारे में स्वैच्छिक संस्थाओं और मीडिया के बीच कड़ी बने रहना जारी रहा है।

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संस्थान

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-6746145, 6733296 फैक्सः 079-6743752 email: unnatiad1@sancharnet.in

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

जी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर-342 003 राजस्थान

फोनः 0291-642185, फैक्सः 0291-643248 email: unnati@datainfosys.net

रूपांकनः रमेश पटेल **गुजराती से अनुवादः** रामनरेश सोनी

मुद्रकः कलरमैन ऑफसेट, सेलर, आगमन, मयूर कॉलोनी के पास, मीठाखळी छः रास्ता, नवरंगपुरा, अहमदाबाद- 380 009, फोन नं. 6431405

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।